

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No.694 of 2023**

In the matter of:

In Re: News item appearing in Hindustan Times dated 26-10-2023 titled as UN Predicts groundwater level in India will reduce to low by 2025 addressed to State of Uttar Pradesh through the Secretary, Department of Water Resources.

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	IN COMPLIANCE WITH HON'BLE NGT ORDER DATED 26-07-2024, AN ADDITIONAL REPLY FILED BY RESPONDENT NO-20, STATE OF UTTAR PRADESH	1 - 9
2.	A true copy of the Groundwater Management and Regulation Act-2019 is annexed here as Annexure-1	10 - 50
3.	A true copy of the Groundwater Management and Regulation Rules 2020 is annexed here as Annexure 2.	51 - 170
4.	A true Copy of the District Groundwater Management Council Order is annexed here as ANNEXURE - 3.	171 - 173
5.	A true Copy of the Order for Relief in Section 12 for MSME Users under the Groundwater Management and Regulation Act 2019 is annexed here as Annexure-4.	174
6.	A true copy of the Order for relief in granting NOC for Micro Small Users for extraction of GW below 10 KLD under the Groundwater Management and Regulation Act 2019 is annexed here as Annexure 5.	175

THROUGH

Priyanka

**PRIYANKA SWAMI & ASSOCIATES
F-13, GROUND FLOOR, JANGPURA EXTENSION,
NEW DELHI**

DATE: 11.09.2024

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No.694 of 2023**

In the matter of:

In Re: News item appearing in Hindustan Times dated 26-10-2023 titled as UN Predicts groundwater level in India will reduce to low by 2025 addressed to State of Uttar Pradesh through the Secretary, Department of Water Resources.

**IN COMPLIANCE WITH HON'BLE NGT ORDER DATED 26-07-2024, AN
ADDITIONAL REPLY FILED BY RESPONDENT NO-20, STATE OF
UTTAR PRADESH**

1. That in view of the Original Application No 694/2024- *News item titled "UN predicts groundwater level in India will reduce to 'low by 2025' appearing in Hindustan Times dated 26.10.2023* which was listed before the tribunal for hearing on date-26.07.2024. On the date of hearing Hon'ble NGT has passed an order in which the effective portion of the order is as –

"18. We also make it clear that all States Respondents, who have already filed their response/reports, shall ensure their representation before Tribunal on the next date either through any authorized representative or through Counsel, failing which we will be compelled to direct for personal appearance of concerned Secretaries and may also pass further stringent order as the situation may demand.

19. *All Respondents shall also explain by filing reply/additional reply, as the case may be, placing on record as to what considerations are taken into account while granting permission for extraction of groundwater particularly for commercial or industrial purposes in OCS areas, i.e., Over-Exploited areas, Critical and Semi- Critical.*

20. *List the matter on 12.09.2024*

21. *A copy of this order shall be forwarded to all the respondents by Registry forthwith for compliance.”*

In compliance with the above order the additional reply/ response on behalf of Respondent No- 20 State of Uttar Pradesh in terms of the considerations that are taken into account while granting permission for extraction of groundwater particularly for commercial or industrial purposes in OCS areas, i.e. Over-Exploited areas, Critical and Semi-Critical are follows-

1. That for protecting, conserving, controlling and regulating groundwater to ensure sustainable management of Groundwater in the state of UP, especially in stressed rural and urban areas of Uttar Pradesh, UP has enacted Groundwater Management and Regulation Act- 2019 in the State of UP on 02 October 2019, A true copy of the Groundwater Management and Regulation Act- 2019 is annexed here as **Annexure-1** and further Groundwater Management and Regulation Rules 2020 on Feb 25th, 2020. A true copy of the Groundwater Management and Regulation Rules 2020 is annexed

here as **Annexure 2**. It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.

2. That it is pertinent to mention here that the groundwater users are broadly categorised into 02 major categories in the said act -
 - Domestic and Agriculture Users
 - Industrial/ Commercial/ Infrastructural/ Bulk Users

3. That it is respectfully submitted that with the reference to abstraction of groundwater, services like *Registration of wells, Grant of Authorization (NOC) for the construction of New wells, and Renewal of existing* NOC are being provided by an online web portal (<http://upgwdonline.in>) which is also integrated with Nivesh Mitra Portal of Government of Uttar Pradesh.

4. That it is pertinent to mention here that for the efficient management of services, a decentralised system has been created by establishing the “District Groundwater Management Council” in each district of Uttar Pradesh. District Groundwater Management Council, headed by District Magistrate is the overall unit for the management and regulation of Groundwater resources at the district level. Further, all the district-level officers of the concerned department have been nominated as members of the council. A true Copy of the District Groundwater Management Council Order is annexed here as **ANNEXURE - 3**.

5. That it is pertinent to mention here that the District Council is empowered to approve/ reject the online Application of NOC/ Reg. of wells received on web portal and also to ensure compliance of all the aforesaid conditions imposed while granting Registration/ No objection Certificate.
6. That it is pertinent to mention here that A Nodal officer has also been nominated in every district to facilitate the district councils.
7. That it is respectfully submitted that the Exemption made under the Act from seeking NOC for domestic and Agriculture users in all areas of the state of UP.
8. That it is respectfully submitted that under the **Section-12(1)** of the aforesaid act a ***Ban on new well construction in Notified Areas (Over Exploited, Critical)*** has been decided and in this it is stated that “*No person or group of persons or institutions or agency or establishment shall construct / sink new well for commercial, industrial, Infrastructural, and Bulk use including construction of boring/ tube well under government schemes within the notified areas, except Govt. Schemes of drinking water supplies and tree plantations*”.
9. That it is respectfully submitted that the Exemption is also made under the Act from Seeking NOC to Micro and Small Enterprises for drawing less than 10 KLD GW in Notified or Non-Notified areas but it is mandatory to have registration of bore well / tube well. Further,

users registered under the MSME category are allowed to get NOC in notified areas also with the condition to comply with all the conditions made under NOC. A true copy of the Order for Relief in Section 12 for MSME Users under the Groundwater Management and Regulation Act 2019 is annexed here as **Annexure 4**. A true copy of the Order for relief in granting NOC for Micro Small Users for extraction of GW below 10 KLD under the Groundwater Management and Regulation Act 2019 is annexed here as **Annexure 5**.

10. That it is pertinent to mention here that it is important that the conditions imposed while granting NOC are as below:
 - a) No Objection Certificate shall be granted only in such cases where local government water supply agencies are not able to supply the desired quantity of water.
 - b) All industries abstracting ground water in excess of 100 m³/d shall be required to undertake annual water audit through consultants empanelled by CGWA.
 - c) Construction of observation wells(s)/piezometer(s) within the premises and installation of appropriate water level monitoring mechanism shall be mandatory for industries drawing/ proposing to draw more than 10m³/day of ground water and. Monitoring of water level shall be done by the project proponent.
 - d) The proponent shall be required to adopt roof top rain water harvesting/ recharge in the project premises or in the assessment unit as decided by the District Groundwater Management Council.

- e) Injection of treated/ untreated waste water into aquifer system is strictly prohibited.
 - f) Industrial users are required to submit NOC issued by UPPCB while applying for grant of NOC.
 - g) Industries which are likely to cause ground water pollution e.g. Tanning, Slaughter Houses, Dye, Chemical/ Petrochemical, Coal washeries, other hazardous units etc. (as per CPCB list) need to undertake necessary well head protection measures to ensure prevention of ground water pollution.
 - h) Installation of Sewage Treatment Plants (STP) shall be mandatory for new projects, where ground water requirement is more than 20 m³ /day. The water from STP shall be utilized for toilet flushing, car washing, gardening etc.
11. That it is respectfully submitted that a dedicated task force has also been constituted by the District Magistrate of concerning district for verification of facts submitted by an applicant.
12. That it is pertinent to mention here if any commercial, industrial, infrastructural and bulk user of ground water contravenes or fails to comply with any of the provisions of this Act, shall be punishable with fine as prescribed under section 39 of Act. Offences under this Act shall be cognizable and triable by a judicial magistrate of first class.
13. That it is pertinent to mention here if any commercial, industrial, infrastructural and bulk user of ground water or any drilling agency

fails to comply with any of the provisions of Act or Rule shall be punishable with fine of 2-5 lakh rupees or imprisonment of six month to one year or with both, in case of first offence. Penalties shall be doubled on repetition of the offences.

14. That it is respectfully submitted that the Polluting ground water is provisioned as serious offence under this Act, and if any user found guilty for the same, penal provisions are made with imprisonment of 2-5 years with fine of 5-10 lakh rupees. In case of repetition of the same, imprisonment for 5-10 years with fine of 10-20 lakh rupees.

With these steps the taken into account while granting permission for extraction of groundwater particularly for commercial or industrial purposes in OCS areas, i.e. Over-Exploited areas, Critical and Semi-Critical areas of the state of UP.

THROUGH



**PRIYANKA SWAMI & ASSOCIATES
F-13, GROUND FLOOR, JANGPURA EXTENSION,
NEW DELHI**

DATE: 11.09.2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 694/2023



News Item titled "UN predicts groundwater level in India will reduce to 'low' by 2025" appearing in Hindustan Times dated 26.10.2023



AFFIDAVIT

I, Dr. Rajesh Kumar Prajapati aged about 52 years s/o Sri Hari Ram Prajapati is presently posted as Special Secretary, Namami Gange and Rural Water Supply Department, Uttar Pradesh, Lucknow and Additional charge as Director, Ground Water Department, U.P. Lucknow having an office at presently in Lucknow.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying report has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying reply are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT




VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at Lucknow on this ____ day of _____ 2024,
that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of
my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed
therefrom.



DEPONENT



Sworn and Verified
before me.


ASHOK KUMAR DIXIT
Advocate & Notary
8839361342

11/9/24

I identify the deponent who has signed/
put T.I. before me. 

said act -

- Domestic and Agriculture Users
- Industrial/ Commercial/ Infrastructural/ Bulk Users





सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 7 अगस्त, 2019

श्रावण 16, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1468/79-वि-1-19-1(क)-14-19

लखनऊ, 7 अगस्त, 2019

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019 जिससे लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 5 अगस्त, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य के विशेष रूप से संकट ग्रस्त ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में दोनों परिमाणात्मक एवं गुणात्मक भू-गर्भ जल का अविरत प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु भू-गर्भ जल की सुरक्षा, संरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

चूंकि भू-गर्भ जल के अनियंत्रित और तीव्र निष्कर्षण के फलस्वरूप भू-गर्भ जल के स्तरों में आई गिरावट से भयप्रद स्थिति उत्पन्न हो गयी है और राज्य के अनेक भागों के ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में भू-गर्भ जल के स्रोतों में कमी आ गयी है;

और चूंकि भू-गर्भ जल, घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोगों हेतु एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल स्रोत होने के कारण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेय जल, खाद्य तथा जीविका सुरक्षा का मेरुदण्ड है;

और चूंकि अतिशय भूगर्भ जल निष्कर्षण और भूगर्भ जल संदूषण के कारण गम्भीर भूगर्भ जल संकट विद्यमान है;

और चूंकि भूगर्भ जल का विकास राज्य की आवश्यकता है, इसलिए विशेष रूप से अतिदोहित तथा संकटग्रस्त क्षेत्रों में इसका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन किया जाना भी इस बहुमूल्य संसाधन की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु समय की माँग है;

और चूंकि संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूगर्भ जल की समुचित वृद्धि/पुनर्भरण के प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल संसाधनों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए, और राज्य में उक्त संकटग्रस्त क्षेत्रों की भूगर्भ जल की पूर्णकालिक गुणवत्ता को अनुरक्षित या पुनर्स्थापित करते हुए भूगर्भ जल प्रदूषण निवारण के लिए उपबन्ध करना भी समीचीन है;

और चूंकि भूगर्भ जल के साम्यपूर्ण तथा पर्यावरणीय रूप से ठोस भूगर्भ जल विनियमन से वर्तमान समय की जलवायु परिवर्तन सहित कतिपय सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्राप्त हो सकती है;

और चूंकि जल ऐकिक प्रकृति का होता है जिसके लिए भू-पृष्ठ जल तथा भूगर्भ जल का एकीकृत रूप में होना अपेक्षित है, जो भूमि और वनस्पति से अभिन्न रूप में संयोजित होता है और उसका वर्षा जल (प्राकृतिक पुनर्भरण के माध्यम से) से जटिल रूप में जुड़ाव होता है।

और चूंकि भूगर्भ जल अपनी प्राकृतिक अवस्था में सामान्य रूप में एक सामूहिक संसाधन है और भारत के उच्चतम न्यायालय ने भूगर्भ जल लोक न्यास सिद्धांत को इस मान्यता के साथ लागू किया है कि भूगर्भ जल निजी संपत्ति अधिकार अनुपयुक्त अधिकार है जिनके कारण भूगर्भ जल की प्रास्थिति संकटमय, प्रतिकूल तथा परिवर्तनशील हो जाती है;

और चूंकि राज्य सरकार ने समस्त सम्बन्धित पहलुओं पर सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात यह विनिश्चय किया है कि भूगर्भ जल का किसी भी रूप में न्यायसंगत रूप में निष्कर्षण और उपयोग का प्रबंधन तथा विनियमन करना और राज्य के संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूगर्भ जल का संरक्षण तथा उसकी सुरक्षा करना भी लोकहित में समीचीन तथा आवश्यक है और उसे नियोजन तथा प्रबंधन में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेगी;

और चूंकि भूगर्भ जल संसाधनों की गुणात्मक एवं परिमाणात्मक अविरतता और भूगर्भ जल उपयोग में साम्यता को सुनिश्चित करने के लिए एक नया विधिक ढांचा (सन्धियों, सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं और समकालीन तथा आसन्न चुनौतियों को इंगित करने वाली उपयुक्त संस्थाओं सहित) अपेक्षित है;

और चूंकि राज्य सरकार ने समस्त संबंधित पहलुओं पर सावधानी पूर्वक परीक्षण करने के पश्चात यह विनिश्चय किया है कि लोकहित में भूगर्भ जल उपयोग का प्रथम अधिकार पीने के लिए, घरेलू तथा पशु उपयोग हेतु होगा।

एतद्वारा भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा;

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किए जा सकते हैं;

(4) इस अधिनियम के अधीन किए गए शास्तिक उपबंध, भूगर्भ जल के घरेलू और कृषि उपयोगकर्ताओं पर प्रयोज्य नहीं होंगे।

2-(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-

परिभाषाएं

(क) 'समुचित प्राधिकरण' का तात्पर्य 'ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप-समिति', 'विकास खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति', 'नगर पालिका जल प्रबंधन समिति', और जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद से है;

(ख) 'जलभृत' का तात्पर्य खण्डित चट्टानों, रेत, बजरी तथा तदसमान तलछटों से समाविष्ट भौगोलिक संरचना, संरचना समूह या आंशिक संरचना समूह के भूमिगत सतह से है जो पर्याप्त सरंध, पारगम्य और जल से संतृप्त है और जो किसी कूप या जल स्रोत को पर्याप्त मात्रा में जल प्रेषित करता है/प्रतिगृहीत करता है/प्रदान करता है;

(ग) 'भूजल सेना' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला में भूगर्भ जल जागरूकता कार्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु गठित व्यक्ति समूह से है;

(घ) 'खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति से है;

(ङ) 'सामूहिक उपयोक्ता' का तात्पर्य किसी अधिष्ठान यथा होटलों/लाजों/निजी आवासीय भवनों/आवासीय कालोनियों/रिजार्टों/निजी चिकित्सालयों/परिचर्या गृहों/कारबार प्रक्षेत्रों/मॉल्स/वाटर पार्को सहित किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह से है जो अपनी क्रियात्मक जल आवश्यकताओं के प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करते हैं;

(च) 'केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड' का तात्पर्य केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा पुनरुज्जीवन, भारत सरकार से है;

(छ) 'वाणिज्यिक उपयोक्ता' का तात्पर्य ऐसी किसी संस्था या किसी अभिकरण या किसी अधिष्ठान जो उक्त प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करता है, सहित ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह से है जो वित्तीय उपलब्धि या लाभ हेतु अपने कारबार या व्यापार के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है;

(ज) 'विकास प्राधिकरण' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य में किसी जिला विकास प्राधिकरण से है;

(झ) 'जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद' का तात्पर्य, धारा 6 के अधीन गठित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद से है;

(ञ) 'वेधन अभिकरण' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या किसी संस्था से है, जो किसी प्रयोजन यथा घरेलू/पीने हेतु/वाणिज्यिक/औद्योगिक/सामूहिक/अवसंरचनात्मक उपयोग के लिए भूगर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करने हेतु कूपों/नलकूपों का वेधन करने के व्यवसाय के भाग के रूप में संलग्न है;

(ट) 'पर्यावरणीय प्रवाह' लोगों को वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करने वाले जलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों के संघटकों, कृत्यों, प्रक्रियाओं तथा नम्यता को अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित जल प्रवाहों की गुणवत्ता, परिमाण तथा समय निर्धारण को निर्दिष्ट करते हैं;

(ठ) 'ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप-समिति' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप-समिति से है;

(ड) 'भूगर्भ जल विभाग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के भूगर्भ जल विभाग से है;

(ढ) 'भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्र' का तात्पर्य इस प्रकार के किसी क्षेत्र से है जहाँ भूगर्भ जल गुणवत्ता, भूजनित या मानव जनित कारणों के फलस्वरूप रासायनिक तत्वों, भौतिक-रासायनिक संघटकों, भारी धातुओं और जीवाण्विक संदूषण के उच्च स्तरीय/अतिशय संकेन्द्रण से प्रभावित है;

(ण) 'भूगर्भ जल संसाधन प्राक्कलन रिपोर्ट' खण्डों का अतिदोहित, संकटग्रस्त, अर्द्ध संकटग्रस्त और सुरक्षित श्रेणियों में श्रेणीकरण सहित भूगर्भ जल संसाधन खण्डवार निर्धारण के लिए भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड द्वारा तैयार की गयी भूगर्भ जल प्राक्कलन समिति की पद्धति तंत्र पर आधारित नवीनतम अनुमोदित रिपोर्ट को निर्दिष्ट करती है;

(त) 'भूगर्भ जल सुरक्षा योजना' का तात्पर्य उपलब्ध जल भूगर्भीय सूचनाओं पर क्रमिक रूप से आधारित किसी योजना से है और उसमें ऐसे उपाय/मध्यक्षेप सम्मिलित हैं जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र के रूप में तथा जल भूगर्भीय रूप में संभाव्य है;

(थ) 'भूगर्भ जल' का तात्पर्य ऐसे जल से है, जो किसी संतृप्त परिक्षेत्र में भूमि की सतह के नीचे पाया जाता है और जिसे कूपों या किन्ही अन्य साधनों से निकाला जा सकता है अथवा धाराओं और नदियों में झरनों तथा मुख्य प्रवाहों के रूप में निकलता है;

(द) 'उद्योग' का तात्पर्य किसी ऐसे कारबार, व्यापार, उपक्रम, विनिर्माण या नियोजकों की आजीविका से है, जो किसी अभिलाभ या लाभ हेतु चलाया जाता हो और उसके अन्तर्गत कोई आजीविका सम्बन्धी सेवा नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय या श्रमिक का उप व्यवसाय या माल के उत्पादन के लिये किसी नियोजक और उसके श्रमिक (चाहे ऐसा श्रमिक उक्त नियोजक द्वारा सीधे नियोजित किया गया हो या किसी अभिकरण, जिसके अन्तर्गत ठेकेदार भी हैं, द्वारा अथवा उसके माध्यम से) के मध्य सहयोग द्वारा चलाया जाने वाला क्रमबद्ध क्रियाकलाप भी हैं;

(ध) 'अवसंरचनात्मक प्रयोक्ता' का तात्पर्य ऐसी किसी फर्म या कंपनी सहित व्यक्ति या व्यक्ति समूह से है जो अवसंरचनात्मक विकास से सीधे संबंधित क्रियाकलापों/परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करता है;

(न) 'नगर पालिका जल प्रबंधन समिति' का तात्पर्य धारा 5 के अधीन गठित नगर पालिका जल प्रबंधन समिति से है;

(प) 'अधिसूचित क्षेत्र' का तात्पर्य धारा 9 के अधीन इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र से है जिसमें अति-दोहित, संकटमय और संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्र सम्मिलित हैं;

(फ) 'पानी पंचायत' का तात्पर्य तालाबों के अनुरक्षण और संरक्षण के लिए तालाब स्तर पर गठित किसी व्यक्ति-समूह से है;

(ब) 'प्रदूषण' का तात्पर्य भूगर्भ जल या भू-पृष्ठ जल या ऐसे संदूषण या जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में परिवर्तन या किसी मल, प्लास्टिक, थर्मोकोल या व्यापारिक वहिःस्राव या गैसीय या ठोस पदार्थ युक्त किसी अन्य तरल पदार्थ का भूगर्भ जल में (प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में) निस्सारण से है, जिससे उपताप हो सकता है या उपताप उत्पन्न होना सम्भावित हो या ऐसे भूगर्भ जल को लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा हेतु या घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषिगत या अन्य विधिसम्मत उपयोगों के लिए या पशुओं या पौधों या जलीय जीवों के जीवन एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक या क्षतिकारक हो सकता है;

(भ) 'वर्षा जल संचयन' का तात्पर्य भूगर्भ जल भण्डारण या उसके पुनर्भरण हेतु छत के ऊपर संचयन सहित सूक्ष्म जल विभाजक पैमाना पर वर्षा जल संग्रहण और भण्डारण तकनीक या प्रणाली से है;

(म) 'ग्रामीण क्षेत्रों' का तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जो नगरीय क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं;

(य) 'राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 7 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण से है;

(क क) 'नगरीय क्षेत्रों' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है जो यथास्थिति किसी विकास प्राधिकरण या किसी नगर पालिका या किसी नियामक निकाय द्वारा अधिसूचित किये जायं, जिनमें ऐसे क्षेत्र/भूमि सम्मिलित नहीं है, जो किसी विकास प्राधिकरण या किसी नगर पालिका या किसी विनियमित क्षेत्र की महायोजना में कृषि उपयोग हेतु वर्गीकृत किये गये हों;

(क ख) 'भूगर्भ जल उपयोक्ता' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या संस्था से है, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक आधार पर किये जाने वाले घरेलू उपयोग सहित किसी प्रयोजन के लिए भूगर्भ जल का स्वामित्व रखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं या विक्रय करता है/करते हैं और उसमें/उनमें कोई सरकारी या गैर सरकारी उद्योग, वाणिज्यिक उपयोक्ता, सामूहिक उपयोक्ता, कंपनी का कोई प्रतिष्ठान सम्मिलित है, किन्तु उसमें/उनमें ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग या संस्था सम्मिलित नहीं है, जो हस्तचालित या पशुचालित युक्तियों यथा हैण्डपम्प, रस्सी तथा बाल्टी और रहट आदि द्वारा कूप से निकाले गये भूगर्भ जल का प्रयोग करता है/करते हैं;

(क ग) 'जल और स्वच्छता समिति' का तात्पर्य जल और स्वच्छता योजनाओं के नियोजन, अनुश्रवण, क्रियान्वयन और अनुरक्षण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में गठित किसी समिति से है;

(क घ) 'जल उपयोक्ता संगम' का तात्पर्य सिंचाई जल प्रणाली का प्रबंधन और अनुरक्षण करने के लिए नहर निकास स्तर पर गठित निर्वाचित लोगों के संगठन से है;

(क ङ) 'कूप' का तात्पर्य भूगर्भ जल के खोज या निष्कर्षण या पुनर्भरण के लिए निर्मित किसी संरचना से है और उसके अन्तर्गत खुला कूप, डगबेल, बोरबेल, डग कम बोरबेल, नलकूप, अन्तः स्पन्दन गैलरी पुनर्भरण कूप अथवा उनमें से किसी का संयोजन या रूपान्तरण भी है, जिसका उपयोग भूगर्भ जल निष्कर्षण तथा भूगर्भ जल पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है;

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए सम्बन्धित विधियों में क्रमशः समनुदेशित हैं।

अध्याय—दो

संस्थागत ढांचा

3-(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप-समिति का गठन किया जायेगा, जो इस अधिनियम के अधीन भूगर्भ जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करने हेतु किसी खण्ड के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की निम्नतम लोक इकाई होगी;

ग्राम पंचायत भूगर्भ
जल उप-समिति

(2) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समिति का गठन करने के लिए जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को निदेश देगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(क) अध्यक्ष- ग्राम प्रधान;

(ख) सदस्य सचिव- ग्राम पंचायत सचिव;

(ग) जल संसाधनों का स्थलीय ज्ञान रखने वाले ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य, जो खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) भूजल सेना/पानी पंचायत/जल उपयोक्ता संगम/जल और स्वच्छता समिति के दो सदस्य, जिन्हें खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ङ) खण्ड स्तर पर कार्यरत सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों के रूप में दो सदस्य, जिन्हें खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(3) सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाय;

(4) ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप-समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे;

(क) समस्त स्रोतों से सूचना एकत्र करना;

(ख) धारा 13 में यथा उपबंधित ग्राम पंचायत भूगर्भ जल सुरक्षा योजना तैयार करना;

(ग) ऐसे कृत्यों को क्रियान्वित करना, जैसा कि विहित किया जाय;

4-(1) खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा जो खण्ड स्तर पर भूगर्भ जल के समग्र प्रबंधन हेतु एक सार्वजनिक इकाई होगी;

खण्ड पंचायत
भूगर्भ जल प्रबंधन
समिति

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति का गठन करने के लिए जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को निदेश जारी करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) अध्यक्ष- खण्ड प्रमुख

(ख) सदस्य सचिव-खण्ड विकास अधिकारी(बी0डी0ओ0)

(ग) जल संसाधनों का स्थलीय ज्ञान रखने वाले ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) भूजल सेना/पानी पंचायत/जल उपयोक्ता संगम/जल और स्वच्छता समिति के दो सदस्य जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ङ) खण्ड स्तर पर कार्यरत संबंधित विभागों के प्रतिनिधि के रूप में दो सदस्य जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(3) सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

(4) खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) यथा प्रतिपादित/विहित मार्ग दर्शनों के अनुसार प्रत्येक कम से कम दस ग्राम पंचायतों के समूह में तैयार की गयी, ग्राम पंचायत भूगर्भ जल सुरक्षा योजनाओं को समेकित करके एक समग्र खण्ड स्तरीय भूगर्भ जल सुरक्षा योजना तैयार करना;

(ख) खण्ड पंचायत भूगर्भ जल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(ग) सम्बंधित खण्ड की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 10 की उपधारा (2) और धारा 11 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ताओं के क्षेत्रों से भिन्न अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त कूपों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों को क्रियान्वित करना जैसाकि विहित किया जाय।

5-(1) एक नगर पालिका जल प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा, जो नगरीय क्षेत्रों में एकीकृत रूप में जल प्रबंधन हेतु निम्नतम लोक इकाई होगी;

नगर पालिका जल प्रबंधन समिति

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को नगर पालिका जल प्रबंधन समिति का गठन करने के लिए निदेश जारी करेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) अध्यक्ष-यथास्थिति नगर प्रमुख/नगर पालिका प्रमुख;

(ख) सदस्य सचिव-यथास्थिति नगर आयुक्त या कार्यपालक अधिकारी;

(ग) जल संसाधनों का स्थलीय ज्ञान रखने वाले लोक-प्रतिनिधि के रूप में दो सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) निवासी कल्याण संगम/सामाजिक समूह के दो सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ङ) सम्बन्धित विभागों (भूगर्भ जल विभाग से एक प्रतिनिधि सहित) के प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(3) सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाय;

(4) नगर पालिका जल प्रबंधन समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) संबंधित नगर पालिका के भीतर सम्बंधित संस्थानों के साथ समन्वय में कार्य करना;

(ख) जल आपूर्ति के स्रोतों (भू-पृष्ठ जल और भूगर्भ जल) को अवधारित करना और उन्हें एकीकृत करना;

(ग) धारा 13 के अधीन उपबंधित समग्र नगर पालिका भूगर्भ जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना;

(घ) सम्बंधित नगर पालिका की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 10 की उपधारा (2) और धारा 11 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ताओं के क्षेत्रों से भिन्न अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त कूपों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(ङ) नगर पालिका भूगर्भ जल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(च) ऐसे अन्य कृत्यों को क्रियान्वित करना, जैसा कि विहित किया जाय।

जिला भूगर्भ जल
प्रबंधन परिषद्

6-(1) एक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद का गठन किया जायेगा, जो जिला स्तर पर भूगर्भ जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक समग्र इकाई होगी;

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण को जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद का गठन करने के लिये निदेश जारी करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे;

(क) अध्यक्ष—जिला मजिस्ट्रेट;

(ख) सदस्य सचिव—जिला विकास अधिकारी;

(ग) राज्य में भूगर्भ जल प्रबंधन के क्षेत्र में दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले विषय विशेषज्ञ के रूप में एक सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(घ) भूगर्भ जल के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का 01 सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ड.) अन्य सदस्य भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, उद्यान विभाग तथा वन और वन्य जीव विभाग के (प्रत्येक से एक) जिला स्तरीय प्रतिनिधि होंगे;

(च) संबंधित खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति और नगर पालिका भूगर्भ जल प्रबंधन समिति प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि (आमंत्रित के रूप में);

(3) सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाय;

(4) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के कृत्य निम्नलिखित होंगे—

(क) सूक्ष्म जल विभाजक पद्धति पर आधारित और यथा विहित मार्गदर्शनों के अनुसार खण्ड पंचायत और नगर पालिका भूगर्भ जल सुरक्षा योजना का जिला स्तरीय भूगर्भ जल सुरक्षा योजना के साथ समन्वय स्थापित करना;

(ख) जिला भूगर्भ जल सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन करना;

(ग) जिला भूगर्भ जल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(घ) जल जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना;

(ड.) अधिसूचित और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में समस्त विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ताओं को रजिस्ट्रीकृत करना और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु प्राधिकार प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वीकृत करना तथा वेधन अभिकरणों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(च) ऐसे अन्य कृत्यों को क्रियान्वित करना जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाय या समनुदेशित किया जाय;

(छ) ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप-समितियों, खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति और नगर पालिका जल प्रबंधन समितियों और साथ ही साथ राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करना;

7-(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से एक राज्य प्राधिकरण स्थापित करेगी, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा।

राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण

(2) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे :-

- | | |
|--|---------|
| 1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन | अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई और भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन | सदस्य |
| 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन | सदस्य |
| 4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 5. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 6. निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 7. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | सदस्य |
| 8. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 9. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 10. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 11. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम | सदस्य |
| 12. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 13. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 14. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड (उ0क्षे0) | सदस्य |
| 15. मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 16. उत्तर प्रदेश राज्य में भूगर्भ जल प्रबंधन का दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले तीन विषय विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे) | सदस्य |
| 17. भूगर्भ जल के क्षेत्र में कार्य करने वाला सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का एक प्रख्यात व्यक्ति | सदस्य |
| 18. संबंधित खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति, नगर पालिका भूगर्भ जल प्रबंधन समिति और जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि (आमंत्रित के रूप में) | सदस्य |

(3) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण का सदस्य सचिव होगा;

(4) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि और रिक्तियों को भरने की रीति तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाय;

(5) अध्यक्ष राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा तथा निदेशक, भूगर्भ जल विभाग का कार्यालय राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा;

(6) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) धारा 9 के अधीन यथा उपबंधित भूगर्भ जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन हेतु क्षेत्रों को अधिसूचित करना;

(ख) धारा 12 के अधीन यथा उपबंधित भूगर्भ जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन हेतु क्षेत्रों को गैर अधिसूचित करना;

(ग) धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित भूगर्भ जल निष्कर्षण की सीमाओं को नियत करना;

(घ) धारा 26 के अधीन यथा उपबंधित भूगर्भ जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करना;

(7) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के कर्मचारिवृंद

(क) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण को अपने कृत्यों का समुचित निष्पादन करने और इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने योग्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार उतनी संख्या में प्राविधिक कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारिवृंद की नियुक्ति कर सकती है, जैसाकि वह संस्थागत सहायता, सुविधाओं तथा बजट सहित आवश्यक समझे;

(ख) ऐसे कर्मचारियों के कृत्य और सेवा की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी, जैसाकि विहित किया जाय;

(ग) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा;

(8) अन्य समुचित निकायों के लिए सहायता:-

ग्राम पंचायत उप-समिति/खण्ड पंचायत/नगर पालिका समिति और जिला परिषद को निर्विघ्न और सम्यक् रूप से कार्य करने के लिए कर्मचारी वर्ग तथा कार्यालय के साथ ही साथ समस्त संस्थागत सहायता और कार्य सुविधाओं तथा बजट सम्बंधी अपेक्षाओं के लिए भी उपबंध किये जायेंगे।

अध्याय-तीन

कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व

भूगर्भ जल विभाग
के कर्त्तव्य

8-(1) भूगर्भ जल विभाग, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के माध्यम से समुचित निकाय यथा नगरीय क्षेत्रों के मामले में नगर पालिका भूगर्भ जल प्रबंधन समिति और ग्रामीण क्षेत्रों हेतु खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबंधन समिति के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु एक क्रियाविधि विकसित करेगा;

(2) उक्त विभाग, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण हेतु प्राविधिक सचिवालय के रूप में कार्य करेगा;

(3) भूगर्भ जल के विनियमन के प्रयोजन के लिए क्षेत्रों का अभिनिर्धारण :

भूगर्भ जल विभाग, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के परामर्श से ऐसे क्षेत्रों, यथा भूगर्भ जल विभाग और केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड द्वारा किये गये नवीनतम भू-गर्भ जल संसाधन प्राक्कलन के अनुसार श्रेणीकृत अतिदोहित तथा संकटग्रस्त खण्डों और संकटग्रस्त नगर पालिका/नगरीय क्षेत्रों (जहाँ भूगर्भ जल स्तरों में महत्वपूर्ण हास हुआ हो अर्थात् पिछले पाँच वर्षों में प्रतिवर्ष 20 सेमी० हास अभिलिखित किया गया हो) जिन्हें अधिसूचना के माध्यम से विनियमन के प्रयोजनार्थ अधिसूचित क्षेत्रों के रूप में अभिहित किया जाना हो, में भूगर्भ जल के समग्र प्रबंधन तथा विनियमन हेतु समुचित उपाय करने के लिए उक्त संकटग्रस्त नगर पालिका/ नगरीय क्षेत्रों को अभिनिर्धारित तथा चिन्हांकित करेगा;

(4) भूगर्भ जल सूचना/आकड़े:-अतिदोहित संकटमय खण्डों और संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्त उपलब्ध भूगर्भ जल सूचना/आकड़े भूगर्भ जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रभागों के प्रभागीय आकड़ा केन्द्रों द्वारा जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषदों को उपलब्ध कराये जायेंगे। ऐसी सूचना भूगर्भ जल विभाग के वेबसाइट के माध्यम से ऑन-लाइन उपलब्ध करायी जायेगी।

अध्याय—चार

शक्तियां और कृत्य

9—(1) जहाँ (भूगर्भ जल विभाग की जानकारियों पर आधारित) सक्षम प्राधिकरणों से परामर्श करने के पश्चात् राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में और किसी रूप में विभिन्न प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल का प्रबंधन एवं विनियमन करना और वर्षा जल संचयन/भूगर्भ जल पुनर्भरण को प्रवर्तित करना तथा अतिदोहित/संकटग्रस्त खण्डों एवं संकटमय नगरीय क्षेत्रों (भूगर्भ जल विभाग द्वारा यथा अभिज्ञानित/चिन्हांकित) जहाँ भूगर्भ जल स्तर संकटग्रस्त या चिन्ताजनक स्तरों तक पहुँच गये हों, में विभिन्न समुचित जल संरक्षण/जल बचत/जल दक्ष पद्धतियों को क्रियान्वित करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन हो, वहाँ वह राज्य सरकार को ऐसी रीति से, जैसाकि विहित किया जाय, यह परामर्श देगा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से अधिसूचित क्षेत्र घोषित करे;

भूगर्भ जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन क्षेत्रों को अधिसूचित करने की शक्तियाँ

परन्तु यह कि,—

(क) इस उप-धारा के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक, अधिसूचना प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीन माह से पूर्वतर दिनांक नहीं होगा;

(ख) इस धारा के अधीन हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक अधिसूचना को गजट में प्रकाशित किये जाने के अतिरिक्त उस क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले अन्यून तीन दैनिक क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा और उसे यथा विहित अन्य रीति से भी तामील किया जायेगा;

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सीमांकन और तत्सम्बन्धी अधिसूचना जारी किये जाने की प्रक्रिया वही होगी जैसाकि विहित किया जाय;

(3) उप-धारा-(1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना की नवीन भू-गर्भ जल निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार समीक्षा की जायेगी और रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार वह इस रूप में होगी जैसाकि विहित किया जाय;

10—(1) विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं का पंजीकरण अधिसूचित क्षेत्रों (नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों) में अवस्थित प्रत्येक वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक कूप उपयोक्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु सम्बंधित जिला भू-गर्भ जल प्रबंधन परिषद् को आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया, समय सीमा, प्रारूप, फीस आदि और अन्य उपबंध वही होंगे जैसाकि विहित किया जाय;

अधिसूचित क्षेत्रों में उपयोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण

परन्तु यह कि,—

(क) जहाँ कोई विद्यमान वाणिज्यिक उपयोक्ता या सामूहिक उपयोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल निकालते हुए पाया जाता है तो यथास्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय-आठ के अधीन दंडित किए जाने का भागी होगा/होगी/होंगे;

(ख) जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत कूप निष्क्रिय हो जाता है वहाँ भूगर्भ जल के उपयोक्ता द्वारा उक्त तथ्य को तत्काल संबंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् के संज्ञान में लाया जाएगा;

(ग) जहाँ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारक कोई भूगर्भ जल उपयोक्ता किसी रजिस्ट्रीकृत कूप में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन करना चाहता हो वहाँ यथास्थिति उसे या व्यक्ति समूह या किसी अभिकरण को तदनिमित्त राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण से यथाविहित रीति से अनापत्ति प्राप्त करना होगा;

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित उपयोक्ताओं से भिन्न प्रत्येक विद्यमान और भावी भूगर्भ जल उपयोक्ता जिसमें घरेलू और कृषि भूगर्भ जल उपयोक्ता सम्मिलित है भूगर्भ जल उपयोग के लिए संबंधित खंड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति/नगर पालिका जल प्रबंधन समिति को ऑनलाइन या सीधे रजिस्ट्रीकृत करना होगा। ऑनलाइन सूचना हेतु वेब पोर्टल के संबंध में सूचना उक्त समिति द्वारा प्रदान की जाएगी।

गैर अधिसूचित क्षेत्रों में विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण

11-(1) गैर अधिसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक कूप (विद्यमान या सिंक किया जाने वाला) भूगर्भ जल उपयोक्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृत किए जाने हेतु संबंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया, समय-सीमा, प्रारूप, फीस इत्यादि और अन्य उपबंध वही होंगे जैसा कि विहित किया जाए;

परन्तु यह कि,—

(क) यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल निकालते हुए पाया जाता है तो यथास्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय 8 के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा/होगी/होंगे;

(ख) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत कूप निष्क्रिय हो जाता है तो भूगर्भ जल उपयोक्ता द्वारा तत्काल इस तथ्य को सम्बंधित जिलों के भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के संज्ञान में लाया जायेगा;

(ग) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारक कोई भूगर्भ जल उपयोक्ता, किसी रजिस्ट्रीकृत कूप में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन करना चाहता है तो यथास्थिति उसे या व्यक्ति समूह या किसी अभिकरण को तदनिमित्त सम्बंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद से यथा विहित रीति से अनापत्ति प्राप्त करना होगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित उपयोक्ताओं से भिन्न घरेलू या कृषि भूगर्भ जल उपयोक्ता सहित प्रत्येक विद्यमान तथा भावी भू-गर्भ जल उपयोक्ता को आन लाइन या सीधे सम्बंधित खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबंधन समिति/नगरपालिका जल प्रबंधन समिति से भू-गर्भ जल उपयोगों हेतु रजिस्ट्रीकृत कराना होगा। आन लाइन सूचना हेतु वेब पोर्टल के सम्बंध में उक्त समिति द्वारा सूचित किया जायेगा।

अधिसूचित क्षेत्रों में नवीन कूप निर्माण पर प्रतिबंध

12-(1) कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह या संस्था या अभिकरण या प्रतिष्ठान, अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर सरकारी पेय जलापूर्ति तथा वृक्षारोपण योजनाओं के सिवाय सरकारी योजनाओं के अधीन बोरिंग/नलकूप निर्माण सहित वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक उपयोग हेतु कोई नवीन कूप निर्मित/सिंक नहीं करेगा।

यदि कोई इस उपधारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता/करती है तो वह अध्याय 8 के अधीन दण्ड का भागी होगा/होगी।

ऐसा प्रतिबन्ध तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार द्वारा नवीन भूगर्भ जल संसाधन प्राक्कलन रिपोर्ट के आधार पर या नगरीय भूगर्भ जल स्तरों में गिरावट होने की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण सुधार होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के परामर्श पर उक्त क्षेत्र को गैर अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है;

(2) अधिसूचित क्षेत्रों में वाणिज्यिक/सामूहिक उपयोगों के प्रयोजन हेतु किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग या संस्था या अभिकरणों द्वारा अपरिष्कृत/अप्रसंस्कृत/अनभिक्रियित भूगर्भ जल निकालने, उसका विक्रय करने तथा उसकी आपूर्ति करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी और ऐसा कार्य किया जाना अध्याय-आठ के अधीन दण्डनीय होगा।

13—अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल संसाधनों के अविरतता को सुनिश्चित करने तथा उसे प्राप्त करने के लिए भूगर्भ जल सुरक्षा योजनाएँ क्रमबद्ध क्रियान्वयन हेतु यथा विहित रीति से तैयार की जाएंगी।

अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल सुरक्षा योजनाओं का तैयार किया जाना और उनका क्रियान्वयन

14—गैर अधिसूचित क्षेत्र में वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोग के लिए भूगर्भ जल निकालने के प्रयोजनार्थ कोई कूप खोदने के इच्छुक किसी व्यक्ति या व्यक्ति-वर्ग या संस्था या अभिकरण या प्रतिष्ठान को इस प्रयोजनार्थ अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को आवेदन करना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया, समय-सीमा, प्रारूप, आवेदन, फीस इत्यादि और विभिन्न उपबन्ध, निबन्धन और शर्तें वही होंगी जैसाकि विहित किया जाय;

गैर अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल निकालने के प्राधिकार को स्वीकृत किया जाना

परन्तु यह कि भूगर्भ जल के पूर्व से विद्यमान उपयोक्ता को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर तदनिमित्त इस धारा के अधीन प्राधिकार प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन करना होगा;

परन्तु यह और कि,—

(क) निबंधन और शर्तों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किन्तु वे निम्नलिखित तक निर्बन्धित नहीं होंगे;

(एक) जल की अधिकतम मात्रा जिसे निकालने की अनुज्ञा होगी;

(दो) विद्यमान प्रदूषण नियंत्रण मानकों और उपायों के माध्यम से भूगर्भ जल संदूषण निवारण की साधनानियां;

(तीन) अपनाये जाने वाले वर्षा जल संचयन सहित संरक्षण उपायों का विवरण;

(चार) भूगर्भीय जल संभाव्यता के अनुसार भूगर्भ जल पुनर्भरण के उपाय;

(पाँच) उपयोगार्थ निकाले गये भूगर्भ जल का किसी विहित अनुपात में पुनः उपयोग करना;

(छ) अपशिष्ट जल को बहाने से पूर्व उसे विहित मानकों तक लाने के लिए उसका शोधन करना;

(सात) सर्वाधिक दक्ष जल उपयोग पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी को अपनाना तथा उसके अनुसार चलना;

(ख) किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु प्रदान किये गये प्राधिकार/ अनापत्ति का प्रयोग, प्रदान किये गये प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा;

(ग) प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र धारक को, प्राधिकार के अधीन निकाले गये भूगर्भ जल का वाणिज्यिक प्रयोग और/या लाभ के लिए, किसी अन्य को किसी भी नाम से या प्रारूप में विक्रय करने से प्रतिषिद्ध किया जायेगा;

(घ) वांछित प्रयोजन के लिए भूगर्भ जल निकालने और उसका उपयोग करने हेतु प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे नये उपयोक्ता, यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें कूप का निर्माण कार्य पूरा कर लेने के पश्चात् यथाविधि विहित रीति से सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा;

(ङ) (एक) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण-पत्र की निबंधन और शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द कर सकती है;

परन्तु यह कि सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र धारक को उक्त प्रमाण-पत्र रद्द करने से पूर्व सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगी;

(दो) इस धारा के अधीन जारी किया गया प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र असक्राम्य होगा। तथापि किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया ऐसा प्रमाण-पत्र, उसका/उसकी विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त किया जायेगा और उक्त प्रमाण-पत्र शेष अवधि के लिए तब तक निरन्तर विधिमान्य रहेगा जब तक कि विधिक उत्तराधिकारी ऐसे मृत प्रमाण-पत्र धारक द्वारा कृत किया-कलापों को जारी रखते हैं। तथापि ऐसी प्रसुविधा जिसके लिए उक्त प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था, के लिए सम्पत्ति का अन्तरण किये जाने पर प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि नये स्वामी द्वारा किया-कलाप की प्रकृति अपरिवर्तित रूप में जारी रखी जाती है।

(तीन) प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, प्रमाण-पत्र में नियत अवधि तक के लिए विधिमान्य होगा;

(चार) जहाँ प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता समाप्त हो गयी हो वहाँ ऐसे प्रमाण-पत्र धारक को तत्सम्बंधी निरन्तरता के लिए नये सिरे से आवेदन करना होगा।

वाणिज्यिक,
औद्योगिक
अवसंरचनात्मक या
सामूहिक भूगर्भ
जल उपयोक्ताओं
हेतु भूगर्भ जल
निकालने की सीमा
नियत किया जाना

15-(1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, भूगर्भ जल विभाग के परामर्श से (सम्बंधित क्षेत्र के भूगर्भ जलीय शर्तों तथा संसाधन संभाव्यता पर आधारित) अधिसूचित और साथ ही साथ गैर अधिसूचित क्षेत्रों में कूप हेतु रजिस्ट्रीकरण जारी करने के दौरान विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं हेतु और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में कूप हेतु रजिस्ट्रीकरण या प्राधिकार प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के दौरान समस्त नवीन वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं हेतु भूगर्भ जल निकालने की सीमा यथाविहित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार नियत करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन नियत सीमा का उल्लंघन करके भूगर्भ जल नहीं निकाल सकता है।

भूगर्भ जल
निकालने/खींचने
पर फीस

16-(1) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता, जिसे आगे इस धारा में उक्त उपयोक्ता कहा गया है, भूगर्भ जल खींचने की मात्रा के आधार पर वार्षिक रूप में प्रभारित किये जाने वाले शुल्क का भुगतान किये बिना दोनों अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल नहीं निकालेगा। फीस यथाविहित रूप में जमा की जायेगी;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 के अधीन प्रभारित जल उपकर के अतिरिक्त होगी।

(3) निकाले गये भूगर्भ जल की मात्रा को मापने तथा उसे अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ उक्त प्रत्येक उपयोक्ता को ऐसे मानको का मीटर ऐसे स्थानों पर लगाना होगा, जैसाकि विहित किया जाय और यह मान लिया जायेगा कि मीटर द्वारा अभिलिखित की गयी मात्रा में उक्त उपयोक्ता द्वारा भूगर्भ जल निकासी की गयी है, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाय। निकालने हेतु अनुज्ञात/प्राधिकृत भूगर्भ जल की मात्रा के सापेक्ष वास्तविक रूप में निकाले गये जल की जाँच करने हेतु एक वार्षिक भूगर्भ जल लेखा परीक्षा संचालित की जायेगी।

बेधन अभिकरणों
का रजिस्ट्रीकरण

17-(1) सम्बंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद में रजिस्ट्रीकरण के बिना फर्म, अभिकरण या कंपनी सहित कोई व्यक्ति भूगर्भ जल निकालने हेतु भूमि का न तो बेधन करेगा और न ही उसमें लगेगा।

(2) भूगर्भ जल निकालने हेतु भूमि बेधन में पहले से ही लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, अभिकरण या कंपनी को जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद में रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसी अवधि के भीतर आवेदन करना होगा जैसाकि उक्त परिषद द्वारा अपेक्षा की जाय।

18—अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भूगर्भ जल उपयोक्ता तथा बेधन अभिकरणों के लिए प्रत्येक समुचित प्राधिकरण की शक्ति वही होगी जैसाकि विहित की जाय।

किसी भूगर्भ जल उपयोक्ता के लिए अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों में प्राधिकरण की शक्तियाँ

19—धारा 14 के अधीन जारी प्रत्येक आदेश या निर्देश को उसी रीति से तामील किया जायेगा, जैसाकि विहित किया जाय।

आदेशों आदि का तामील किया जाना

20—किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन कृत किसी कार्यवाही के आधार पर उसे हुई किसी क्षति के लिए राज्य सरकार या किसी समुचित प्राधिकरण से किसी प्रकार की क्षति या प्रतिकर का दावा करने का हक नहीं होगा।

प्रतिकर दावा करने पर प्रतिबंध

21—राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण, लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों या उसके द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्तव्यों में से समस्त शक्तियों या किसी शक्ति का प्रयोग/समस्त कर्तव्यों/किसी कर्तव्य का निर्वहन, ऐसी परिस्थितियों तथा ऐसी शर्तों, यदि कोई हो में जैसाकि उसके आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, इस निमित्त राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात जारी आदेश में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति तथा समुचित निकाय द्वारा भी किया जा सकता है।

शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन

22—राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के समस्त कर्मचारी, जब इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अनुसरण में कार्यरत हों या उनका कार्यरत होना आशयित हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

प्राधिकरण के कर्मचारी, लोक सेवक होंगे

23—इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सदभावना पूर्वक की गयी या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या सरकार के किसी समुचित प्राधिकरण, किसी अन्य अधिकारी या किसी समुचित प्राधिकरण के किसी सदस्य या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई अभियोग, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

सदभावनापूर्वक की गयी कार्यवाही के सापेक्ष सुरक्षा

अध्याय—पांच

भूगर्भ जल का प्रदूषण—निवारण

24—(1) भूगर्भ जल विभाग, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद और विशेषज्ञ निकायों यथा केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से ऐसे क्षेत्रों, जिनकी भूगर्भ जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण करने और पेयजल आपूर्ति हेतु सुरक्षित गुणवत्तापरक परिक्षेत्रों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल की गुणवत्ता खतरनाक प्रदूषण से प्रभावित पायी गयी है, की (ऊर्ध्व एवं पार्श्व रूप में) पहचान एवं सीमांकन करेगा;

भूगर्भ जल गुणवत्ता वाले संवेदनशील परिक्षेत्रों का सीमांकन तथा संरक्षण

(2) उपधारा (1) में यथा सीमांकित क्षेत्र, भूगर्भ जल प्रदूषण निवारण एवं रोकथाम के प्रयोजनार्थ प्रत्येक दो वर्ष में राज्य सरकार के भूगर्भ जल विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्र घोषित किये जायेंगे।

भूगर्भ जल प्रदूषण /
संदूषण से सम्बंधित
सूचना संग्रहण

25—ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समितियों, खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समितियों और नगरपालिका भूगर्भ जल प्रबंधन समितियों प्रदूषण स्रोतों सहित भूगर्भ जल प्रदूषण से सम्बंधित सूचना संग्रह करने के लिए उत्तरदायी होंगी। ऐसी सूचना सम्बंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषदों के स्तर पर राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण को समुचित कार्यवाही हेतु अग्रतर प्रस्तुत किये जाने के लिए संकलित तथा समेकित की जायेगी।

भूगर्भ जल प्रदूषण
नियंत्रण के उपाय

26—(1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक उपयोक्ता भूगर्भ जल प्रदूषित नहीं करेगा। वह सम्बंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के माध्यम से जहां कहीं आवश्यक हो यथा विहित रूप में अनिवार्य रूप से शोधन संयंत्र स्थापित कराना सुनिश्चित करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसा भूगर्भ जल उपयोक्ता, विहित अवधि के भीतर शोधन संयंत्र स्थापित करने में विफल हो जाय वहां राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के पास यह अधिकार होगा कि वह ऐसे उपयोक्ता के लागत पर आवश्यक शोधन संयंत्र निर्मित करवाये और धारा 39 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन ऐसे उपयोक्ता के विरुद्ध कार्यवाही करें।

27—(1) कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ता, किसी संक्रिया या प्रसंस्करण या शोधन तथा निस्तारण प्रणाली के माध्यम से—

(क) अपशिष्ट जल, मल, व्यापारिक तथा घरेलू वहिःस्राव या संदूषक पदार्थों का निस्तारण या निस्तारण कूप में नहीं करेगा या;

(ख) भूमि पर अपशिष्ट का ढेर नहीं लगायेगा जो घुलकर जलभृत में बह सकता है, या जिसके कारण संदूषक पदार्थ चूकर उसमें फैल सकते हैं तथा उसमें विषैले जीव उत्पन्न हो सकते हैं;

(2) उपधारा (1) के उपबंध का उल्लंघन करने वाला कोई भूगर्भ जल उपयोक्ता, धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा।

28—(1) खुली भूमि, मैदान, सड़कों (पक्की/कच्ची) कृषि फार्मों पर गिरने वाले (छत के ऊपर के सिवाय) वर्षा जल से भूगर्भ जल का कृत्रिम पुनर्भरण किए जाने की प्रक्रिया में जलभृतों में पुनर्भरण, बोरवेल, पुनर्भरण कूपक अन्तःक्षेपण कूप आदि के माध्यम से सीधे पुनर्भरण किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

उप धारा (1) के उपबंध का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति, धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दंडित किए जाने का भागी होगा।

जल-भृतों में
प्रदूषक पदार्थों
आदि का
निस्तारण करने
हेतु कूप के
उपयोग पर
प्रतिषेध

खुले क्षेत्रों से
जलभृतों में सीधे
पुनर्भरण पर
प्रतिबंध

तालाबों, नदियों,
कूपों आदि के
प्रदूषण पर प्रतिषेध

29—(1) समुचित प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक उपयोक्ता, दूषित जल या किसी अन्य प्रदूषणकारी पदार्थ का निस्तारण या निस्तारण करके तालाबों, नदियों, कूपों आदि को प्रदूषित नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा।

(3) समुचित प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने के ऐसे समस्त उपाय करने होंगे कि घरेलू गृहस्थी के किसी अपशिष्ट से तालाब, नदियों, कूप आदि प्रदूषित न हों।

अध्याय— छः

स्वतः विनियमन, वर्षा जल संचयन, भूगर्भ जल पुनर्भरण, पुनः उपयोग तथा पुनः प्रयोग और जल भराव निवारण

स्वतः विनियमन

30—(1) अधिसूचित क्षेत्रों(ग्रामीण) के कृषक स्वतः विनियमन की प्रक्रिया को ग्रहण करने के लिए संबधित ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समितियों और खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समितियों द्वारा प्रोत्साहित किए जाएंगे।

(2) स्वतः विनियमन ग्रहण करने की प्रक्रिया :-

संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूगर्भ जल संसाधनों को सुरक्षित रखने, संरक्षित रखने तथा उन्हें विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित रीति से स्वतः विनियमन की प्रक्रिया ग्रहण की जाएगी:-

(क) कृषक यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न फसलों हेतु वैज्ञानिक रूप से संस्तुत सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित सिंचाई जल मात्रा/फसल सिंचाई संख्या का प्रयोग करते हुए भूगर्भ जल दुर्व्ययन तथा अति सिंचन से बचा जा सकता है;

(ख) अधिसूचित क्षेत्रों(ग्रामीण) के कृषक कृषि बंधों, कृषि तालाबों, अल्प जल फसल बीजों के प्रयोग और प्रक्षेप तथा फुहारा सिंचाई प्रणाली के प्रयोग सहित विभिन्न जल संरक्षण/जल बचत पद्धतियां अपनाने हेतु प्रोत्साहित किए जाएंगे;

(ग) दोनों ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल के प्रत्येक उपयोक्ता को, मितव्ययिता एवं दक्षता पूर्वक भूगर्भ जल निकालने और उसका उपयोग करने, जल दुर्व्यय को रोकने, पुनः उपयोग किए गए जल का प्राथमिकता पर प्रयोग करने, वर्षा जल संचयन तथा पुनर्भरण पद्धतियों को ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

31-(1) समुचित प्राधिकरण, भूवैज्ञानिक शर्तों के अनुसार वर्षा जल संचयन और जलागम संरक्षण को प्रोत्साहित करेंगे जो जल सुरक्षा योजनाओं का अभिन्न अंग होना चाहिए। समुचित प्राधिकरण, संकटग्रस्त नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के संबंध में विभिन्न भूगर्भ जल उपयोक्ताओं को संवेदनशील बनाएंगे। भूगर्भ जल उपयोक्ता समुचित प्राधिकरणों से वर्षा जल-संचयन प्रणाली का उपयुक्त प्राविधिक रेखा चित्र तथा अभिकल्प प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें विकास परख योजनाओं तथा परियोजनाओं से संबंधित समस्त प्राकृतिक संसाधनों के एकीकरण तथा उनमें परिवर्तन के माध्यम से अपनी अधिकारिता के भीतर वर्षा जल-संसाधनों के संवर्धन हेतु एकीकृत प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, उपयोग तथा विनियमन के लिए समस्त संभावित कदम उठाने होंगे।

वर्षा जल संचयन,
भूगर्भ जल
पुनर्भरण तथा
जलागम संरक्षण

(2) तत्समय प्रवृत्त राज्य की अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी नगर पालिका जल प्रबंधन समिति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से सम्यक रूप से जारी छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का उपबंध करने की विद्यमान भवन उप विधियों के अधीन निर्धारित शर्तें अधिरोपित करेंगी। ऐसे निर्धारण, भवन योजनाएँ अनुमोदित करने वाले या स्वीकृत करने वाले संबंधित सरकारी अभिकरणों पर बाध्यकारी होंगे। सामूहिक आवास/ कॉलोनियों हेतु सम्मिलित पुनर्भरण प्रणाली का उपबंध किया जाना भी भवन उप विधियों के अधीन अनिवार्य होगा।

(3) जलागम संरक्षण के अंतर्गत क्षेत्र के भू-भाग/मिट्टी की दशा की प्रकृति पर आधारित समुचित भूगर्भ जल संरक्षण तथा पुनर्भरण संरचनाएँ सम्मिलित हैं।

32-समुचित प्राधिकरण अपने क्षेत्रों के अंतर्गत अपेय नगरीय औद्योगिक तथा कृषि प्रयोग हेतु और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से पुनः प्रयोग के माध्यम से पेयजल आपूर्ति में वृद्धि हेतु जल का पुनः उपयोग किए जाने तथा विशिष्ट रूप से पोषणीय जल का पुनः प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे;

भूगर्भ जल का
पुनः उपयोग तथा
पुनः प्रयोग

परंतु यह कि अवधारित सीमा से अधिक भूगर्भ जल निकालने वाले वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ता को ऐसे प्रयोजनों, जो उपयुक्त हों, के लिए जल का पुनः उपयोग करने के लिए आदेशित किया जाएगा। समुचित प्राधिकरण ऐसे आदेशों को प्रवर्तित करने के लिए अनुश्रवणकारी तथा प्रोत्साहनकारी तंत्र अभिकल्पित करेंगे।

जल भराव
निवारण तथा
न्यूनकरण

33-(1) समुचित प्राधिकरण, अपने क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे क्रियाकलापों को हतोत्साहित तथा उनकी रोकथाम करेंगे जिनके कारण भू-जलभराव होना संभाव्य हो। ऐसे निकाय जलभराव के विरुद्ध भू-संरक्षण हेतु समस्त संभावित नियामक उपाय करेंगे;

(2) नहर समादेशों में सिंचाई विभाग को उप-भू-पृष्ठ जलप्लावित स्थितियों में प्रभावी रूप से सुधार करने के लिए समुचित उपाय करना होगा तथा उपबंध करना होगा;

(3) ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उपसमिति, खंड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति या नगरपालिका जल प्रबंधन समिति जलप्लावित क्षेत्रों में ऐसे क्रिया-कलापों, जिनके कारण जलभराव की स्थिति बिगड़ सकती है, का विनियमन करने के लिए ऐसी नियम/शर्तें अधिरोपित कर सकती हैं जैसा कि विहित किया जाए। खंड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति/नगरपालिका जल प्रबंधन समिति, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषदों तथा संबंधित विभागों के परामर्श से भू-शोधन तथा भू-जल निकास से संबंधित समुचित मध्यक्षेपों के माध्यम से यथा विहित रीति से जलभराव को कम करने का उपाय करेगी;

(4) जलभराव न्यूनकरण के उपाय, विशेषज्ञ निकायों/संबंधित विभागों के सम्यक परामर्श से समुचित प्रसंस्करणों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए किए जाएंगे।

नदियों, तालाबों,
कूपों आदि का
पुनरुज्जीवन और
जीर्णोद्धार

34-समुचित प्राधिकरणों को प्रत्येक ग्राम में नदियों, तालाबों, कूपों आदि के पुनरुज्जीवन और जीर्णोद्धार के लिए कार्य करना होगा। समुचित प्राधिकरणों को ऐसी नदियों, तालाबों, कूपों आदि को संरक्षित करने हेतु दक्ष योजनाओं को विकसित और क्रियान्वित करना होगा।

अध्याय-सात

प्रभावपूर्ण निर्धारण तथा पारदर्शिता

प्रभावपूर्ण निर्धारण

35-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समुचित प्राधिकरणों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपनी अधिकारिता क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली ऐसी क्रियाकलापों के दोनों सामाजिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं का प्रभावपूर्ण निर्धारण करने का उपक्रम करें;

(2) प्रभावपूर्ण निर्धारण की प्रक्रिया में अल्पकालिक तथा संचयी प्रभावपूर्ण निर्धारण सम्मिलित होगा जो विनिर्दिष्ट रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों में हो सकता है:-

(क) जीवन जलाधिकार पर प्रभाव;

(ख) पेय जल संसाधनों पर प्रभाव;

(ग) भूगर्भ जल गुणवत्ता तथा परिमाण पर प्रभाव;

(घ) कृषि उत्पादन पर प्रभाव;

(ङ) नदियों तथा जल पिंडों सहित पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव;

(च) भू-उपयोग पर प्रभाव;

पारदर्शिता प्रणाली

36-(1) समुचित प्राधिकरणों का अपनी अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत यह कर्तव्य होगा कि वे नागरिकों के साथ प्रभावी तथा मित्रतापूर्ण पारदर्शिता स्थापित करें;

(2) सूचना की न्यूनतम विषयवस्तु, आवर्तन तथा अन्य विवरण सतर्कतापूर्वक प्रस्तुत किए जाएंगे;

(3) किसी जिला के भीतर सूचना हेतु समस्त अनुरोधों को युक्तियुक्त अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

सतर्क प्रकटीकरण
से सम्बन्धित
कर्तव्य

37-(1) समुचित प्राधिकरण अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र के संबंध में सतर्कतापूर्वक सूचना का प्रकटीकरण करेंगे;

(2) समुचित निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वह अभिलेखों का प्रसार इस रीति से करें कि कोई भी व्यक्ति सूचना को सुगमतापूर्वक समझ सके। इस दायित्व में सूचना का समेकित तथा संक्षिप्त रूप में प्रसार करना भी सम्मिलित है।

38—इस अधिनियम की धारा 35 के अधीन ग्रहीत क्रियाकलापों का प्रभावपूर्ण निर्धारण किए जाने पर तत्संबंधी सूचना सार्वजनिक रूप में पहुंच हेतु इंटरनेट पर रखी जाएगी।

सूचना सार्वजनिक रूप में रखी जाएगी

अध्याय—आठ

अपराध और शास्तियां

39—(1) यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ अपराध और शास्तियां जल उपयोक्ता या कोई वेधन अभिकरण—

(क) इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी किसी नियमावली के किसी उपबंध, अध्याय पांच में वर्णित उपबंधों के सिवाय का उल्लंघन करता है या उसका अनुपालन करने में विफल रहता है, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने हेतु समुचित प्राधिकरणों या राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन तथा नियामक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के लिए व्यवधान उत्पन्न करता है तो वह ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा और जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है या ऐसे कारावास, जो छः माह से कम नहीं होगा और जो एक वर्ष तक हो सकता है, के साथ या प्रथम अपराध के मामले में दोनों के साथ दंडित किया जाएगा;

(ग) उपखण्ड (ख) के अधीन दोष सिद्ध किए जाने के पश्चात पुनः उक्त अपराध करता है तो ऐसा उपयोक्ता द्वितीय अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह ऐसे जुर्माने, जो उक्त उपखण्ड के अधीन उसे अधिनिर्णीत किए गए कारावास के अतिरिक्त, उसे अधिनिर्णीत किए गए जुर्माने की धनराशि का दोगुना होगा, के साथ दंडित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन उसे स्वीकृत किया गया प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाणपत्र तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।

(2) कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता, जो धारा 26 की उपधारा (2), धारा 27, धारा 28 और धारा 29 के अधीन उपबंधित किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, निम्नलिखित दण्ड का भागी होगा—

(क) ऐसी अवधि का कारावास, जो दो वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो तीन वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना, जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु जो प्रथम अपराध के मामले में दस लाख रुपए तक हो सकता है;

(ख) ऐसी अवधि का कारावास, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो सात वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना, जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो बीस लाख रुपए तक हो सकता है, यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट उक्त अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो पहले ही उक्त अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो;

(3) कोई जलापूर्तिकर्ता (सरकारी पेयजल आपूर्ति योजनाओं से भिन्न) जो ऐसे भूगर्भ जल की आपूर्ति करता है या कराता है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विहित गुणवत्ता मानक को पूरा करने में विफल हो, ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा और जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है, के साथ दण्डित किया जाएगा;

(4) जो कोई किसी भवन का स्वामी होते हुए इस अधिनियम के अधीन किसी समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी रेखा चित्र अभिकल्प और मार्गदर्शनों के अनुसार भूगर्भ जल पुनर्भरण करने के लिए वर्षा जल संचयन तंत्र प्रतिष्ठापित किए जाने हेतु उत्तरदायी हो ऐसा करने में विफल हो तो वह ऐसी रीति से और ऐसे दण्ड के साथ दण्डित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय।

कंपनियों द्वारा
अपराध

40-(1) जब कभी किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो तब प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था या उसके प्रति उत्तरदायी था, अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा;

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया हो या उसकी ओर से की गई किसी उपेक्षा के कारण हुआ हो वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण :-

(1) इस धारा के प्रयोजन के लिए कंपनी, का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अंतर्गत कोई फर्म या अन्य संगम या व्यक्ति भी है और

(2) किसी फर्म के संबंध में निदेशक का तात्पर्य फर्म में किसी भागीदार से है।

अपराधों का प्रशमन

41-(1) धारा (39) की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, ऐसे अधिकारियों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, द्वारा अभियोग संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात अभियुक्त के आवेदन पर न्यूनतम विहित जुर्माना के साथ प्रशमन फीस स्वरूप अपराध के लिए विहित न्यूनतम जुर्माना का पचास प्रतिशत जुर्माना अधिरोपित करने के पश्चात, किया जा सकता है;

परंतु यह कि प्रशमन का उपचार केवल प्रथम अपराध के लिए उपलब्ध होगा;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन किसी अपराध का प्रशमन करने की शक्ति का प्रयोग करेगा;

(3) किसी अपराध के प्रशमन हेतु प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय;

(4) जहां किसी अपराध के प्रशमन, कोई अभियोग संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय वहां ऐसे अपराधी, जिसके संबंध में इस प्रकार अपराध प्रशमित किया जाय, के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोग नहीं संस्थित किया जाएगा;

(5) जहां किसी अपराध का प्रशमन, कोई अभियोग संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाय वहां ऐसा प्रशमन उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जाएगा जिसमें अभियोग लम्बित हो और अपराध प्रशमन का इस प्रकार संज्ञान लिए जाने पर उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार प्रशमन किया जाय, को उन्मोचित कर दिया जाएगा।

अपराधों का संज्ञान

42-(1) इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होंगे और किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होंगे;

(2) जिला भू-गर्भ जल प्रबंधन परिषद या किसी क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल की गई किसी शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सकता है;

परन्तु यह की अभियोग का पहल करने के पूर्व क्षुब्ध व्यक्ति को अभियोग का पहल करने के लिए अपने आशय से अवगत कराते हुए जिला भू-गर्भ जल प्रबंधन परिषद को एक माह की नोटिस देनी होगी।

अध्याय-नौ

शिकायत निवारण

43-(1) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिला भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

भूगर्भ जल
शिकायत निवारण
अधिकारी

(2) कोई भी व्यक्ति भूगर्भ जल के प्रबंधन, संरक्षण, निष्कर्षण और प्रदूषण से संबंधित बिन्दुओं पर अपना/अपनी शिकायत, जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है/सकती है;

(3) जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के विनिश्चय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, अपना/अपनी शिकायत राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन तथा विनियमन प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकता है/सकती है।

44-(1) जिला भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के पास अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 41 की उप धारा (2) में उल्लिखित समस्त शिकायतों की अधिकारिता होगी;

भूगर्भ जल
शिकायत निवारण
अधिकारी की
अधिकारिता और
उसकी शक्तियां

(2) शिकायतें, जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष यथाविहित रीति से प्रस्तुत की जाएगी;

(3) जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी, किसी अनुवर्ती समय जो तीस दिन से अधिक नहीं होगा, में शिकायत प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत भू-गर्भ जल उप समिति/खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति/नगर पालिका जल प्रबंधन समिति या जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के माध्यम से समुचित कार्रवाही करेगा;

अध्याय-दस

प्रकीर्ण

45-राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन तथा नियामक प्राधिकरण और जिला भू-गर्भ जल प्रबंधन परिषदों के पास राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी कोई सूचना, जो उसके द्वारा इस अधिनियम या तदधीन बनाई गई नियमावली, विनियमावली तथा उप-विधियों के अधीन उनकी शक्तियों के प्रयोग तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित हो, मांगने की शक्ति होगी और ऐसा विभाग या व्यक्ति ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा/होगी।

समुचित
प्राधिकरणों से
सूचना मांगने की
शक्ति

46-(1) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद इस अधिनियम के उपबंध के अधधीन किसी ऐसे वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भू-गर्भ जल उपयोक्ता और किसी विद्यमान अभिकरण जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके कूप सिंक किया हो या कर रहा हो या जिसने जल निकाला हो या निकाल रहा हो से लिखित रूप में नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट अन्धून पन्द्रह दिन की समयावधि के अंतर्गत इस प्रकार जल का निकाला जाना बंद करे और कब्जाधीन कूप के स्वामी या व्यक्ति से यह भी अपेक्षा कर सकती है कि वह कूप को अपने व्यय पर और ऐसी रीति से जैसा कि उक्त परिषद ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करें, उसको बंद या मुहर बंद कर दे;

अधिनियम का
उल्लंघन करके
खोदे गये कूपों
को हटाने की
समुचित
प्राधिकरणों की
शक्तियां

(2) यदि ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील की गई हो नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस प्रकार कूप खुदाई बंद नहीं करता है या बंद करता है किंतु समुचित प्राधिकरण के समाधान प्रद रूप में कूप बंद या मुहरबंद नहीं करता है तो (सम्बंधित) परिषद भूमि में प्रवेश करके उक्त कूप को बंद या मुहरबंद कर सकती है;

(3) उपधारा (2) के अधीन (सम्बंधित) परिषद द्वारा उपगत लागत की वसूली, उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किए गए व्यक्ति से, भू-राजस्व बकाया के रूप में की जा सकती है।

पूर्व विद्यमान अधिकार

47-(1) भू-गर्भ जल उपयोक्ता के पूर्व-विद्यमान अधिकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहना जारी रहेंगे;

(2) भू-गर्भ जल उपयोक्ता, किन्हीं विधिक या अन्य अधिकारों, जो इस अधिनियम के अधीन समाप्त हो गए हैं, के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

भू-गर्भ जल निधि

48-राज्य सरकार, भू-गर्भ जल निधि नामक एक निधि सृजित करेगी और शास्तियों, रजिस्ट्रीकरण फीस तथा भू-गर्भ जल निकालने की फीस आदि की समस्त लेखा-प्राप्तियाँ, इस निधि में जमा की जाएगी। निधि का संचालन निदेशक, भू-गर्भ जल विभाग द्वारा किया जायेगा। निधि का उपयोग, राज्य में भू-गर्भ जल प्रबंधन क्रिया-कलापों यथा भू-गर्भ जल संरक्षण के लिए मांग पक्ष के मध्यक्षों को प्रोत्साहित करने हेतु और राज्य सरकार तथा भू-गर्भ जल विभाग द्वारा विनिश्चित किए गए प्रभावी अनुश्रवण युक्तियों/तंत्रों द्वारा भू-गर्भ जल उपयोग की दक्षता में वृद्धि करने हेतु दोनों मांग पक्ष तथा आपूर्ति पक्ष के माध्यम से किया जाएगा।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

49-राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

50-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध कर सकती है जो कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसे किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

किसी उपयोक्ता/वादी को छूट प्रदान करने की राज्य सरकार की शक्तियाँ

51-राज्य के समग्र विकास के हित में राज्य सरकार, राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण की संस्तुति पर किसी प्रयोक्ता या प्रयोक्ता वर्ग या वाद को इस अधिनियम के किसी उपबंध से छूट प्रदान कर सकती है।

अन्य विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव

52-तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य की किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे।

उद्देश्य और कारण

भू-गर्भ जल घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोगों के लिए जल का एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, भोजन और आजीविका का प्रधान आधार है। राज्य सरकार के संज्ञान में यह लाया गया है कि भू-गर्भ जल के अनियंत्रित और तीव्र निष्कर्षण के फलस्वरूप राज्य के अनेक क्षेत्रों में भू-गर्भ जल के स्तरों में गिरावट और भू-गर्भ जल जलाशयों में हास होने की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

राज्य में गम्भीर भू-गर्भ जल संकट और भू-गर्भ जल संदूषण की स्थिति से निपटने के लिए राज्य में दोनों परिमाणात्मक एवं गुणात्मक भू-गर्भ जल का अविरत प्रबन्धन सुनिश्चित करने हेतु भू-गर्भ जल की सुरक्षा, संरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन करने के लिए एक विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019 पुर-स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1468(2)/LXXIX-V-1-19-1(ka)-14-19

Dated Lucknow, August 7, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhoo-Garbh Jal (Prabandhan Aur Vinियaman) Adhinyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 13 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 5, 2019. The Laghu Sichi Evam Bhoo-Garbh Jal Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhinyam.

THE UTTAR PRADESH GROUND WATER
(MANAGEMENT AND REGULATION) ACT, 2019

(U.P. Act no. 13 of 2019)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for protecting, conserving, controlling and regulating ground water to ensure its sustainable management in the State, both quantitatively and qualitatively, especially in stressed rural and urban areas, and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS uncontrolled and rapid extraction of ground water has resulted in alarming situation of declining ground water levels and depletion of ground water reservoirs in many parts of the State, both in rural and urban areas;

AND WHEREAS groundwater, being the single most important source of water for domestic, agricultural and industrial uses, is the backbone of drinking water, food and livelihood security in rural and urban areas;

AND WHEREAS a serious groundwater crisis prevails due to excessive overdraft and groundwater contamination;

AND WHEREAS development of ground water is the need of the State, its management, control and regulation specially in over-exploited and critical areas is also the need of the hour for protection and preservation of this precious resource;

AND WHEREAS it is also expedient to provide for conservation, protection and development of ground water resources for the purpose of proper augmentation/recharge of ground water in stressed areas and to prevent ground water pollution by maintaining or restoring wholesomeness of ground water quality thereof in the State;

AND WHEREAS the equitable and environmentally sound regulation of groundwater can contribute to tackling some of the most important challenges of our times, including climate change;

AND WHEREAS water is unitary in nature, requiring the integration of surface water and groundwater, has integral links to land and vegetation and has an intricate relationship with rainwater (through natural recharge);

AND WHEREAS groundwater in its natural state is a common pool resource and the Supreme Court of India has applied the public trust doctrine to groundwater, in recognition that private property rights in groundwater are inappropriate given the emerging status, conflicts and dynamics of groundwater;

AND WHEREAS the State Government has, after careful examination of all related aspects, decided that it is expedient and necessary in the public interest to manage and regulate the extraction and use of ground water judiciously in any form and also to conserve and protect ground water in the stressed areas of the State and that shall be accorded the highest priority in both planning and management;

AND WHEREAS a new legal framework (with norms, principles, procedures and institutions suitable to address contemporary and imminent challenges) is required to ensure the qualitative and quantitative sustainability of groundwater resources and equity in groundwater use;

AND WHEREAS the State Government has, after careful examination of all related aspects, decided that in the public interest the first right to use of ground water would be for drinking, domestic and cattle use.

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

**CHAPTER – I
PRELIMINARY**

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019.

(2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint and different dates for different areas may be appointed.

(4) Penal provisions made under this Act shall not be applicable on domestic and agricultural users of ground water.

Definitions

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) **'Appropriate Authorities'** means 'Gram Panchayat Ground Water Sub-Committee'; 'Block Panchayat Ground Water Management Committee'; 'Municipal Water Management Committee' and the 'District Ground Water Management Council';

(b) **'Aquifer'** means an underground layer of geological formation, group of formations or part of a formation, comprising fractured rocks, sand, gravel and like sediments, that is sufficiently porous, permeable and saturated with water and that transmits/accepts and yields significant quantity of water to a well or spring;

(c) **'Bhoojal Sena'** means group of persons constituted in every district of Uttar Pradesh for carrying out ground water awareness programs;

(d) **'Block Panchayat Ground Water Management Committee'** means the Block Panchayat Ground Water Management Committee constituted under section 4;

(e) **'Bulk User'** means a person or a group of persons including any establishment such as hotels/lodges/private residential buildings/housing colonies/resorts/private hospitals/nursing homes/ business complexes/malls/ water parks, which extract and use ground water for the purpose of his or her or their operational water needs;

(f) **'Central Ground Water Board'** means the Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Government of India;

(g) **'Commercial user'** means a person or a group of persons including any institution or any agency or any establishment who or which extract and use ground water for the purpose which directly or indirectly benefits his/her or their business or trade to make financial gain or profit;

(h) **'Development Authority'** means a District Development Authority in the State of Uttar Pradesh;

(i) **'District Ground Water Management Council'** means the District Ground Water Management Council constituted under section 6;

(j) **'Drilling Agency'** means an establishment, owned by a person or a class of persons or an institution, who or which is involved as a part of trade thereof drilling wells/tube wells for extracting and use of ground water for any purpose such as domestic/drinking/commercial/industrial/bulk/ infra-structure use;

(k) 'Environmental flows' refer to the quality, quantity, and timing of water flows required to maintain the components, functions, processes, and resilience of aquatic ecosystems that provide goods and services to people;

(l) 'Gram Panchayat Ground Water Sub Committee' means the Gram Panchayat Ground Water Sub Committee constituted under section 3;

(m) 'Ground Water Department' means the Ground Water Department of the Government of Uttar Pradesh;

(n) 'Ground Water Quality Sensitive Zone' means such an area where quality of ground water is affected with high levels/excessive concentration of chemical elements, physiochemical constituents, heavy metals and bacteriological contamination, resulted due to geogenic or anthropogenic causes;

(o) 'Ground Water Resource Estimation Report' refers to the latest approved report, based on the Ground Water Estimation Committee methodology, prepared by the Ground Water Department, Uttar Pradesh and Central Ground Water Board for block-wise assessment of groundwater resources including categorization of blocks into over-exploited, critical, semi-critical and safe categories;

(p) 'Ground Water Security Plan' means a plan to be progressively based on available hydrogeological informations and shall include such measures/interventions which are area-specific and hydrogeologically feasible;

(q) 'Ground Water' means the water occurring in its natural state below the ground surface in the zone of saturation and that can be extracted through wells or any other means or emerges as springs and base flows in streams and rivers;

(r) 'Industry' means any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers, carried out with a motive to make any gain or profit, and includes any calling service, employment, handicraft, or industrial occupation or avocation of workman or any systematic activity carried on by co-operation between an employer and his workman (whether such workman are employed by such employer directly or by or through any agency including a contractor) for the production of goods;

(s) 'Infrastructural User' means a person or a group of persons including a firm or any company, who or which extract and use ground water for the purpose of carrying out such activities/projects which are directly related to infrastructural development;

(t) 'Municipal Water Management Committee' means the Municipal Water Management Committee constituted under section 5;

(u) 'Notified area' means the area notified as such under section 9 which includes Over-exploited, Critical blocks and Stressed Urban Areas;

(v) 'Pani Panchayat' means a group of persons constituted at pond level for maintenance and conservation of ponds;

(w) 'Pollution' means such contamination of ground water or surface water or such alteration of the physical, chemical or biological properties of water or such discharge of any sewage, Plastic, Thermocol or trade effluent or of any other liquid, gaseous or solid

substance into ground water (whether directly or indirectly) as may, or is likely to, create a nuisance or render such ground water harmful or injurious to public health or safety, or to domestic, commercial, industrial, agricultural or other legitimate uses, or to the life and health of animals or plants or of aquatic organisms;

(x) 'Rainwater harvesting' means the technique or system of collection and storage of rainwater, at micro watershed scale, including roof-top harvesting, for storage or for recharge of groundwater;

(y) 'Rural Areas' means those areas which are not classified as Urban Areas;

(z) 'State Ground Water Management and Regulatory Authority' means the Uttar Pradesh State Ground Water Management and Regulatory Authority established under section 7;

(aa) 'Urban Areas' means the areas notified by a development authority or a municipality or a regulatory body as the case may be, excluding such areas/lands as are classified for agriculture use in the master plan of a development authority or a municipality or a regulated area;

(ab) 'User of ground water' means a person or a class of persons or an institution who or which own or use or sell ground water for any purpose including domestic use made either on personal or community basis and includes an industry, a commercial user, a bulk user, a company or an establishment whether government or not but does not include a person or a class of persons or an institution who or which use ground water drawn from well by manual or animal devices such as hand pump, rope and bucket, Persian wheel etc.;

(ac) 'Water and Sanitation Committee' means a committee constituted in each gram panchayat for planning, monitoring, implementation and maintenance of water and sanitation schemes;

(ad) 'Water User Association' means an organization of elected people constituted at canal outlet level for managing and maintaining irrigation water system;

(ae) 'Well' means a structure sunk for the search or extraction or recharge of groundwater and shall include open well, dug well, bore well, dug-cum bore well, tube well, infiltration gallery, recharge well or any of their combination or variation, which, could be utilized for extraction of ground water, recharge ground water.

(2) Words and expressions used but not defined herein and defined in any law for the time being in force shall have the same meaning respectively assigned to them in the respective laws.

CHAPTER - II INSTITUTIONAL FRAMEWORK

Gram Panchayat
Ground Water Sub-
Committee

3. (1) There shall be constituted a Gram Panchayat Ground Water Sub-Committee in every Gram Panchayat, which shall be the lowest public unit in rural areas within a block to protect and manage groundwater resources under this Act.

(2) The State Government shall, by notification in the *Gazette*, within three months of the constitution of District Ground Water Management Council, issue direction to the District Ground Water Management Council for constituting the Gram Panchayat Ground Water Sub-Committee, which shall consist of,-

(a) the Chairperson - Gram Pradhan;

(b) the Member Secretary - Gram Panchayat Secretary;

(c) three Members as representative of Gram Panchayat, having field knowledge of water resources to be nominated by the Block Development Officer;

(d) two Members of Bhoojal Sena/Pani Panchayat/Water User Association/Water and Sanitation Committee to be nominated by the Block Development Officer;

(e) two Members as representative from concerned departments working at Block Level to be nominated by the Block Development Officer.

(3) The terms and conditions of the service of the Members shall be such as may be prescribed.

(4) The functions of the Gram Panchayat Ground Water Sub-Committee shall be,-

(a) to collect information from all sources;

(b) to prepare the Gram Panchayat Ground Water Security Plan as provided under section 13;

(c) to carry out such other functions, as may be prescribed.

4. (1) There shall be constituted a Block Panchayat Ground Water Management Committee, which shall be a public unit at block level for overall management of ground water;

Block Panchayat
Ground Water
Management
Committee

(2) The State Government shall, by notification in the Gazette, within three months of the constitution of District Ground Water Management Council, issue direction to the District Ground Water Management Council for constituting the Block Panchayat Ground Water Management Committee, which shall consist of,-

(a) the Chairperson - Block Pramukh;

(b) the Member Secretary - Block Development Officer (BDO);

(c) three Members as representative of Gram Panchayat, having field knowledge of water resources to be nominated by the District Magistrate;

(d) two Members of Bhoojal Sena/Pani Panchayat/Water User Association/Water and Sanitation Committee, to be nominated by the District Magistrate;

(e) two Members as representative from concerned departments working at Block Level to be nominated by the District Magistrate.

(3) The terms and conditions of the service of the Members shall be such as may be prescribed.

(4) The functions of the Block Panchayat Ground Water Management Committee shall be,-

(a) to prepare an overall Block Level Ground Water Security Plan by consolidating Gram Panchayat Ground Water Security Plans, each prepared in cluster of at least ten number gram panchayats, according to the guidelines as may be formulated/prescribed;

(b) to monitor the implementation of Block Panchayat Ground Water Security Plan;

(c) to register all the wells within the notified and non-notified areas other than those of existing commercial, industrial, infrastructural and bulk users as per the provisions of sub-section (2) of section 10 and sub-section (2) of section 11 within the territorial jurisdiction of respective block;

(d) to carry out such other functions, as may be prescribed.

5. (1) There shall be constituted a Municipal Water Management Committee, which shall be the lowest public unit for managing water in urban areas in an integrated manner.

Municipal Water
Management
Committee

(2) The State Government shall, by notification in the Gazette, within three months of the constitution of District Ground Water Management Council, issue direction to the District Ground Water Management Council for constituting the Municipal Water Management Committee, which shall consist of,-

(a) the Chairperson - Nagar Pramukh/Nagar Palika Pramukh, as the case may be;

(b) the Member Secretary - Nagar Ayukt or Executive Officer, as the case may be;

(c) two Members as representative of Public, having field knowledge of water resources to be nominated by the District Magistrate;

(d) two Members of Resident Welfare Association/Social Group to be nominated by the District Magistrate;

(e) three Members as representative from concerned departments (including one from Ground Water Department) to be nominated by the District Magistrate.

(3) The terms and conditions of the service of the Members shall be such as may be prescribed.

(4) The functions of the Municipal Water Management Committee shall be,-

(a) to work in co-ordination with water related institutions within the respective municipality;

(b) to determine the sources of water supply (surface water and ground water) and integrate them;

(c) to prepare an overall Municipal Ground Water Security Plans provided under section 13;

(d) to register all the wells within the notified and non-notified areas other than those of existing commercial, industrial, infrastructural and bulk users as per the provisions of sub-section (2) of section 10 and sub-section (2) of section 11, within the territorial jurisdiction of respective municipality;

(e) to monitor the implementation of Municipal Ground Water Security Plan;

(f) to carry out such other functions, as may be prescribed.

District Ground
Water Management
Council

6. (1) There shall be constituted a District Ground Water Management Council, which shall be an overall unit for management of ground water resources at district level.

(2) The State Government shall, by notification in the Gazette, within three months of the constitution of State Ground Water Management and Regulatory Authority, issue direction to the State Ground Water Management and Regulatory Authority for constituting the District Ground Water Management Council, which shall consist of,-

(a) the Chairperson - District Magistrate;

(b) the Member Secretary - District Development Officer;

(c) one Member as subject Expert having longstanding working experience in the field of ground water management in the State, to be nominated by the District Magistrate;

(d) one Member from the public/Non-Government Organization/social sector having experience in the field of ground water to be nominated by the District Magistrate;

(e) other Members shall be the district level representatives (one each) from Ground Water Department, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Agriculture Department, Minor Irrigation Department, Uttar Pradesh Jal Nigam, Local Body, Development Authority, Irrigation and Water Resources Department, Industries Department, Horticulture Department and Forest and Wild Life Department;

(f) one representative (as invitee) each from the respective Block Panchayat Ground Water Management Committee and Municipal Ground Water Management Committee.

(3) The terms and conditions of the service of the Members shall be such as may be prescribed.

(4) The functions of the District Ground Water Management Council shall be,-

(a) to consolidate Block Panchayat and Municipal Ground Water Security Plan into District level Ground Water Security Plan, based on macro-watershed approach and as per the guidelines as may be prescribed;

(b) implementation of District Ground Water Security Plan;

(c) to monitor the implementation of District Ground Water Security Plan;

(d) to conduct water awareness programmes;

(e) to register all existing commercial, industrial, infrastructural and bulk users in notified and non-notified areas and grant of authorization certificate/ No-objection certificate for ground water abstraction in non-notified areas and registration of drilling agencies;

(f) to carry out such other functions, as may be prescribed or assigned by the Uttar Pradesh State Ground Water Management and Regulatory Authority;

(g) to co-ordinate with Gram Panchayat Ground Water Sub-Committees, Block Panchayat Ground Water Management Committees and Municipal Water Management Committees as well as with the State Ground Water Management and Regulatory Authority.

7. (1) The State Government shall, by notification in the Gazette, establish, with effect from such date as may be specified in the notification, an State Authority to be known as the Uttar Pradesh State Ground Water Management and Regulatory Authority.

State Ground
Water
Management and
Regulatory
Authority

(2) The State Ground Water Management and Regulatory Authority shall consist of-

1	The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh	Chair-person
2	The Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Minor Irrigation and Ground Water Department, Government of Uttar Pradesh	Member
3	The Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Finance Department, Government of Uttar Pradesh	Member
4	The Engineer-in-Chief, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh	Member
5	The Director, Agriculture Department, Uttar Pradesh	Member
6	The Director, Horticulture Department, Uttar Pradesh	Member
7	The Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board	Member
8	The Chief Town and Country Planner, Awas evam Shahri Niyojan Vibhag, Uttar Pradesh	Member
9	The Director, Awas Bandhu, Uttar Pradesh	Member
10	The Director, Local Bodies, Uttar Pradesh	Member
11	The Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam	Member
12	The Chief Engineer, Minor Irrigation Department, Uttar Pradesh	Member
13	The Director, Industries Department, Uttar Pradesh	Member
14	The Regional Director, Central Ground Water Board (NR)	Member
15	The Principal Chief Conservator of Forest, Forest Department, Uttar Pradesh	Member

16.	Three Subject Experts (to be nominated by the State Government), having long standing working experience of ground water management in the State of Uttar Pradesh.	Member
17.	An eminent person from Public/Non-Government Organization/Social Sector working in the field of ground water	Member
18.	One representative (as invitee) each from the respective Block Panchayat Ground Water Management Committee, Municipal Ground Water Management Committee and District Ground Water Management Council	Member

(3) The Director, Ground Water Department, Uttar Pradesh shall be the Member Secretary of the State Ground Water Management and Regulatory Authority.

(4) The term of office and the manner of filling the vacancies and other conditions of service of the Chairperson and other members shall be such as may be prescribed.

(5) The Chairperson shall be the principal executive officer of the State Ground Water Management and Regulatory Authority and the office of the Director, Ground Water Department shall work as the secretariat of the State Ground Water Management and Regulatory Authority;

(6) The functions of the State Ground Water Management and Regulatory Authority shall be,-

(a) to notify the areas for management and regulation of ground water resources as provided under section 9;

(b) to de-notify the areas for management and regulation of ground water resources as provided under section 12;

(c) to fix ground water abstraction limits as provided under section 15;

(d) to take ground water pollution control measures as provided under section 28.

(7) **Staff of the State Ground Water Management and Regulatory Authority,-**

(a) in order to enable the State Ground Water Management and Regulatory Authority to perform its functions properly or exercise the powers under this Act, the State Government may appoint such number of technical personnel and other staff as it may consider necessary including all of institutional support, facilities and the budget;

(b) the functions, terms and conditions of service of such employees shall be such as may be prescribed;

(c) the State Ground Water Management and Regulatory Authority shall function under the overall control and supervision of the State Government.

(8) **Support for other Appropriate Bodies:-**

Provisions shall also be made for the staff and office including all institutional support and working facilities, budgetary requirements for the Gram Panchayat Sub-Committee/Block Panchayat/Municipal Committee and the District Council for smooth and proper functioning.

CHAPTER – III
DUTIES AND RESPONSIBILITIES

8. (1) The Ground Water Department shall develop a mechanism to co-ordinate with the appropriate body such as Municipal Ground Water Management Committee in case of urban areas and Block Panchayat Ground Water Management Committee for rural areas through the District Ground Water Management Council.

Duties of Ground
Water Department

(2) The department shall work as Technical Secretariat for the State Ground Water Management and Regulatory Authority.

(3) **Identification of areas for the purpose of regulating ground water:** The Ground Water Department in consultation with State Ground Water Management and Regulatory Authority shall identify and delineate the areas, such as over-exploited and critical blocks categorized as per latest Ground Water Resource Estimation carried out by the Ground Water Department and Central Ground Water Board and the stressed Municipal/Urban areas (where significant decline of ground water levels, i.e., more than 20cm/year recorded during the last five years), for taking up appropriate measures for overall management and regulation of ground water in such areas, which are to be designated as Notified Areas for the purpose of the regulation through notification.

(4) **Ground Water Information/Data:** All the available ground water information/data regarding Over-exploited/Critical blocks and Stressed Urban areas shall be provided to the District Ground Water Management Councils as well as other Appropriate Authorities by the Divisional Data Centres of respective Field Divisions of Ground Water Department. Such information shall also be made available on-line through the website of the Ground Water Department.

CHAPTER-IV
POWERS AND FUNCTIONS

9. (1) Where the State Ground Water Management and Regulatory Authority, after consultation with appropriate authorities (based on inputs from the Ground Water Department) is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest to manage and regulate ground water for various purposes in any form in any area and to enforce rain water harvesting/ground water recharge and to implement various appropriate water conservation/water saving/water efficient practices in over-exploited/critical blocks and stressed urban areas (as identified and delineated by the Ground Water Department) where ground water levels have depleted to critical or alarming levels, it shall advise the State Government in such manner as may be prescribed to declare by notification such areas as Notified Areas for the purposes of this Act with effect from such date as may be specified in the notification :

Powers to notify
areas for
management and
regulation of
ground water
resources

Provided that-

(a) the date specified in the notification under this sub-section shall not be earlier than three months from the date of publication of the notification;

(b) every notification in Hindi as well as in English languages under this section shall, in addition to its publication in the Gazette, be published in not less than three daily regional newspapers having wide circulation in that region and also be served in such other manner as may be prescribed.

(2) The Procedure for Demarcation and issuance of notification of the areas referred in sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(3) The notification issued under sub-section(1) shall be reviewed periodically or the new Ground Water Assessment Report and according to the findings of the shall be in such manner as may be prescribed.

Registration of
Users in Notified
Areas

10. (1) **Registration of existing commercial, industrial, infrastructural and bulk users of Ground Water:** Every existing well for commercial, industrial, infrastructural and bulk user located in Notified Areas (both urban and rural areas) shall apply to the respective District Ground Water Management Council for grant of a certificate of registration. The procedure, time limit, forms, fee etc. and other provisions for the grant of registration certificate shall be such as may be prescribed:

Provided that-

(a) where any existing Commercial user or Bulk user is found extracting ground water without registration, he or she or a group of persons or an agency (as the case may be) shall be liable to be punished under Chapter-VIII;

(b) where a registered well becomes defunct, the fact shall immediately be brought to the notice of the respective District Ground Water Management Council by the user of ground water;

(c) where any such user of ground water, having certificate of registration wants to carry-out any modification or alteration in a registered well, he or she or a group of persons or an agency (as the case may be) shall obtain clearance for the same from the State Ground Water Management and Regulatory Authority in such manner as may be prescribed.

(2) Every existing and future users of ground water, other than those mentioned in sub-section (1), including domestic and agriculture users of ground water shall register online or directly to the respective Block Panchayat Ground Water Management Committee/Municipal Water Management Committee for ground water usages. The web-portal for online intimation shall be informed by the said committee.

Registration of
Existing
Commercial,
Industrial,
Infrastructural and
Bulk Users of
Ground Water in
Non-notified
Areas

11. (1) Every well (existing or to be sinked) for commercial, industrial, infrastructural and bulk use of ground water in non-notified areas shall apply to the respective District Ground Water Management Council for grant of a certificate of registration. The procedure, time limit, forms, fee etc. and other provisions for the grant of registration certificate shall be such as may be prescribed :

Provided that-

(a) if any Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk user of ground water is found extracting ground water without registration, he or she or a group of persons or an agency (as the case may be) shall be liable to be punished under Chapter-VIII;

(b) if a registered well becomes defunct, this fact shall immediately be brought to the notice of the respective District Ground Water Management Council by the user of ground water;

(c) if any such user of ground water, having certificate of registration wants to carry-out any modification or alteration in a registered well, he or she or a group of persons or an agency (as the case may be) shall have to obtain clearance for the same from the respective District Ground Water Management Council in such manner as may be prescribed.

(2) Every existing and future user of ground water, other than those mentioned in sub-section (1), including a domestic or an agriculture user of ground water shall register online or directly to the respective Block Panchayat Ground Water Management Committee/Municipal Water Management Committee for ground water usages. The web-portal for online intimation shall be informed by the said committee.

12. (1) No person or group of persons or institution or agency or establishment shall construct/sink any new well for Commercial, Industrial, Infrastructural and Bulk use including construction of borings/tube-wells under Government Schemes within the Notified areas, except Government schemes for drinking water supplies and tree plantations. If anyone contravenes the provisions of this sub-section, he or she will be liable for punishment under Chapter-VIII. Such ban shall continue till the area is denotified by the State Government on advice of Uttar Pradesh State Ground Water Management and Regulatory Authority on the basis of new Ground Water Resource Estimation Report or significant improvement in declining trend of urban ground water levels after seeking approval from the State Government.

Ban on new well construction in Notified Areas

(2) Extraction, sale and supply of raw/unprocessed/untreated ground water in Notified Areas by a person or class of persons or institution or agencies or any other establishment for the purpose of commercial/bulk uses will not be allowed and such an act will be punishable under Chapter-VIII.

13. For ensuring and achieving sustainability of ground water resources in the Notified areas, Ground Water Security Plans shall be prepared for systematic implementation in such manner as may be prescribed.

Preparation and implementation of Ground Water Security Plans in Notified Areas

14. Any person or class of persons or institution or agency or establishment desiring to sink a well for the purpose of abstraction of ground water for commercial, industrial, infrastructural or bulk use in the non-notified area shall apply to the respective District Ground Water Management Council for No-Objection Certificate for this purpose. The procedure, time limit, forms, application, fee etc. and various provisions, terms and conditions for the No-objection certificate shall be such as may be prescribed:

Grant of Authorization for Ground Water abstraction in Non-notified Areas

Provided that the pre existing user of ground water shall apply for the issue of authorization certificate therefore under this section within a period of ninety days from the date of commencement of this Act :

Provided further that-

- (a) the terms and conditions shall include but are not restricted to,-
- i-the maximum quantity of water that shall be allowed for extraction;
 - ii-precautions to prevent any contamination of ground water by mandating existing pollution control standards and measures;
 - iii-details of conservation measures, including rainwater harvesting, to be taken;
 - iv-groundwater recharging measures as per the hydrogeological feasibility;
 - v-recycling of a prescribed proportion of the extracted groundwater for the use;
 - vi-treating wastewater to bring it to prescribed standards before it is discharged;
 - vii-adopting and practising the most efficient water use practices and technology;
- (b) the authorisation/No-objection granted for a specified purpose shall not be used for any purpose other than that for which it has been granted;
- (c) the holder of authorization certificate/No-objection certificate shall be prohibited from selling, by whatever name or form, ground water extracted under the authorisation to someone else for commercial use and/or gain;

(d) such new users after getting authorization /No-objection certificate for abstraction and use of ground water for desired purpose shall ensure that they shall have to obtain certificate of registration from the respective District Ground Water Management Council after the construction of the well is completed in such manner as may be prescribed;

(e) (i) District Ground Water Management Council may cancel the authorization/No-objection certificate in case of non-compliance of the terms and conditions of the authorization/No-objection certificate:

Provided that the District Ground Water Management Council concerned shall give the holder of authorization certificate/No-objection certificate an opportunity of being heard before cancelling such certificate;

(ii) Authorization certificate/ No-objection certificate issued under this section shall be in alienable. However, such certificate, granted to an individual, shall be inherited by his or her legal heirs and shall continue to be valid for the remaining period as long as the legal heirs continue the activities done by the deceased holder of such certificate. However, on transfer of the property for the benefit for which such certificate was granted, the authorization certificate/ No-objection certificate shall continue to be valid so long as the nature of the activity continues unaltered by the new owner;

(iii) The authorization certificate/ No-objection certificate shall be valid for such period as fixed in the certificate;

(iv) Where the validity of the authorization certificate/ No-objection certificate has expired, the holder of such certificate shall apply afresh for continuation thereof.

Fixing of limit for abstraction of Ground Water for Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk users of ground water

15. (1) The State Ground Water Management and Regulatory Authority in consultation with the Ground Water Department (depending upon the hydrogeological conditions and resource potential of the area concerned) shall fix the ground water abstraction limit for the existing Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk users of ground water while issuing registration for well in Notified as well as Non-notified areas and for all the new Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk users of ground water in Non-notified areas, while issuing registration or authorization certificate/ No-objection certificate for well, in such terms and conditions as may be prescribed.

(2) No person can withdraw ground water in contravention of the limit fixed under sub section (1).

Fee on Ground Water extraction/drawl

16. (1) No commercial, industrial, infrastructural or bulk user of ground water herein after in this section refer to as the said user, shall extract ground water in both the notified and non-notified areas without payment of fee to be charged annually on the basis of quantity of ground water drawl. The fee shall be deposited in such manner as may be prescribed.

(2) The fee referred to in sub section (1) shall be in addition to water cess charged under the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977.

(3) For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix meters of such standards and at such places as may be prescribed and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. An annual ground water audit shall be conducted to check the actual extracted water against quantity of ground water allowed/authorized for extraction.

17. (1) No person including firm, agency or company shall perform or engage in drilling the ground for extraction of ground water without registration with District Ground Water Management Council concerned.
- (2) Every person, firm, agency or company already engaged in drilling of ground for extraction of ground water shall apply for the registration with the District Ground Water Management Council within such period as may be required by the said Council.
18. The power of every Appropriate Authority for any ground water user and drilling agencies in notified and non-notified areas shall be such as may be prescribed.
19. Every order or direction issued under section 14 shall be served in such manner as may be prescribed.
20. No person shall be entitled to claim any damages or compensation from the State Government or any appropriate authority for any loss sustained by him by virtue of any action taken under this Act.
21. The State Ground Water Management and Regulatory Authority may, by general or special order in writing, direct that all or any of the powers or duties which may be exercised or discharged by it shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in its order be exercised or discharged also by any person, appropriate body, specified in this behalf in the order issued after approval of State Government.
22. All employees of the State Ground Water Management and Regulatory Authority shall when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or the rules made there under be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.
23. No prosecution, suit or other legal proceeding shall be instituted against the State Government, any Appropriate Authority, any other officer of the Government or any member or other employees of any Appropriate Authority for anything done or intended to be done in good faith under this Act, or the rules made there under.

Registration of drilling agencies

Powers of the Authority in Notified and Non-notified areas for any user of Ground Water

Service of orders, etc.

Bar to claim compensation

Delegation of powers and duties

Employees of the Authority to be Public Servants

Protection against action taken in good faith

CHAPTER-V

PREVENTION OF GROUND WATER POLLUTION

24. (1) The Ground Water Department shall identify and demarcate (vertically and laterally), in consultation with the State Ground Water Management and Regulatory Authority, District Ground Water Management Councils and the expert bodies such as Central Ground Water Board, Uttar Pradesh Jal Nigam and Uttar Pradesh Pollution Control Board such areas which are found affected with ground water quality and pollution hazards for the purpose of prevention and control of ground water pollution in such areas and also to find safe quality zones for potable water supplies.
- (2) Such areas, as are demarcated in sub-section (1), shall be declared as Ground Water Quality Sensitive Zones by notification by the State Government in Ground Water Department every two years for the purpose of prevention and protection of ground water pollution.
25. The Gram Panchayat Ground Water Sub-Committees, Block Panchayat Ground Water Management Committees and Municipal Ground Water Management Committees shall be responsible for collecting information related to ground water pollution including sources of pollution. Such information shall be compiled and consolidated at the level of respective District Ground Water Management Councils for onward submission to State Ground Water Management and Regulatory Authority for appropriate action.

Demarcation and protection of Ground Water quality sensitive zones

Collection of information related to Ground Water pollution/contamination

Ground Water
Pollution control
measures

26. (1) The State Ground Water Management and Regulatory Authority shall ensure that no commercial, industrial, infrastructural and bulk user pollute ground water. It shall ensure through respective District Ground Water Management Council to make installation of treatment plant mandatory wherever necessary in such manner as may be prescribed.

(2) Where such user of ground water referred to in sub-section-(1) fails to set up treatment plant within the prescribed period, the State Ground Water Management and Regulatory Authority shall have the right to get the necessary treatment plant constructed at such user's cost and proceed against such user under the provisions of sub-section (2) of section 39.

Prohibition on use of
well for disposal of
polluting matter etc.
into the Aquifers

27. (1) No commercial, industrial, infrastructural and bulk user by operation or process or any treatment and disposal system shall,-

(a) discharge or dispose waste water, sewage, trade and domestic effluent or contaminants into the well, or ;

(b) dump waste on the land which may lead to leaching or percolation of contaminants, toxins into the aquifer.

(2) Any user of ground water who contravenes the provision of sub-section (1) shall be liable to be punished under sub-section (2) of section 39.

Ban on direct
recharging from
open areas into the
aquifers

28. (1) In the process of Artificial Recharge to Ground Water from rain water (except from rooftop) falling on open land, ground, roads (paved/unpaved), agricultural farms shall not be allowed for direct recharging into the aquifers through recharge well, bore well, recharge shaft, injection well etc.

(2) Any person who contravenes the provision of sub-section (1) shall be liable to be punished under sub-section (2) of section 39.

Prohibition on
polluting of ponds,
rivers, wells, etc.

29. (1) The Appropriate Authorities shall ensure that no commercial, industrial, infrastructural and bulk user pollute ponds, rivers, wells, etc. by disposing or discharging of dirty water or any other polluting matter.

(2) Any person who contravenes the provision of sub-section-(1) shall be liable to be punished under sub-section (2) of section 39.

(3) The Appropriate Authorities shall take all measures to ensure that any waste from domestic household does not pollute ponds, rivers, wells, etc.

CHAPTER – VI

SELF REGULATION, RAIN WATER HARVESTING, GROUND WATER RECHARGE, RECYCLING AND REUSE, PREVENTION OF WATER LOGGING

Self regulation

30. (1) The farmers of Notified Areas (Rural) shall be encouraged by the respective Gram Panchayat Ground Water Sub-Committees, Block Panchayat Ground Water Management Committees for adopting the process of self regulation.

(2) **Process for adopting self regulation:** The process of self regulation shall be adopted in the following manner in order to protect, conserve and regulate ground water resources in the stressed areas,-

(a) the farmers shall ensure that by applying desired quantity of irrigation water/number of watering to the crops as per the requirement of watering scientifically recommended for different crops that the wastage of ground water and over irrigation is avoided;

(b) the farmers of Notified Areas (Rural) shall be encouraged to adopt various water conservation/water saving practices including farm bunding, farm ponds, use of seeds of low water crops and use of drip and sprinkler irrigation system;

(c) every user of ground water in both rural and urban areas shall be encouraged to extract and use ground water in an economical and efficient way, avoid waste of water, use give priority to recycled water, adopting of rain water harvesting and recharging methods.

31. (1) The Appropriate Authorities shall encourage rainwater harvesting and catchment conservation as per geological conditions which should be integral part of Water Security Plans. The Appropriate Authorities shall sensitize different users of ground water about the suitable technologies of rainwater harvesting systems in stressed urban and rural areas. Users of ground water may obtain suitable technical drawing and design of Rain Water Harvesting System from the Appropriate Authorities. They shall undertake all possible steps in integrated natural resources conservation, use and regulation for the augmentation of groundwater resources within its jurisdiction, through integration and convergence of all natural resources relating to developmental schemes and projects.

Rain water harvesting, Ground Water recharge and catchment conservation

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other Law of the State for the time being in force, the Municipal Water Management Committee shall impose stipulated conditions under existing building by-laws for providing rooftop rainwater harvesting structures, duly issued by the State Government by notification. Such stipulations shall be binding on concerned Government agencies sanctioning or approving building plans. The provision of Combined Recharge System for group housing/colonies shall also be made mandatory under building by-laws.

(3) Catchment conservation shall include appropriate groundwater conservation and recharge structures depending on the nature of the terrain/soil condition/geology of the area.

32. The Appropriate Authorities shall within their areas encourage recycling and, in particular, foster re-use of water for non-potable urban, industrial, and agricultural use, as well as augmentation of potable water supplies through indirect reuse :

Recycling and re-use of Ground Water

Provided that-;

commercial, industrial, infrastructural and bulk user withdrawing ground water above a determined threshold limit shall be mandated to recycle water for purposes as may be suitable. Appropriate Authorities shall design monitoring and incentive mechanisms to enforce such mandates.

33. (1) The Appropriate Authorities shall within their areas discourages and prevents such activities that are likely to lead to potential water logging of land. Such bodies shall undertake all possible regulatory measures, for the protection of land against water logging.

Prevention and mitigation of water logging

(2) In canal commands, the Irrigation Department shall take appropriate measures and make provisions, to effectively improve sub-surface water logged conditions.

(3) The Gram Panchayat Ground Water Sub-Committee, Block Panchayat Ground Water Management Committee or Municipal Water Management Committee, may impose such stipulated conditions, as may be prescribed, for regulating such activities in waterlogged areas that may lead to worsening of the water logging condition. The Block Panchayat Ground Water Management Committee/Municipal Water Management Committee, in consultation with the District Ground Water Management Councils and concerned departments, shall take steps to mitigate water logging through proper interventions.

(4) Water logging mitigation measures shall be adopted by using appropriate processes and technologies, in due consultation with expert bodies/ concerned departments.

Revival and Rejuvenation of rivers, ponds, wells, etc.

34. The Appropriate Authorities shall work for revival and rejuvenation of rivers, ponds, wells, etc. in every village. Appropriate Authorities shall develop and execute efficient plans to conserve such rivers, ponds, wells, etc.

CHAPTER-VII

IMPACT ASSESSMENT AND TRANSPARENCY

Impact Assessment

35. (1) It shall be the duty of the Appropriate Authorities to undertake impact assessment of both social and environment aspects of such activities to be implemented in the area of their jurisdiction in accordance to the provisions of this Act.

(2) The process of impact assessment shall include short-term and cumulative impact assessment, may be in the following fields and specifically:-

- (a) Impact on right to water for life;
- (b) Impact on drinking water sources;
- (c) Impact on quality and quantity of groundwater;
- (d) Impact on agricultural production;
- (e) Impact on the ecosystem including rivers and water bodies;
- (f) Impact on land use.

Transparency Systems

36. (1) It shall be the duty of the Appropriate Authorities in the area of their jurisdiction to create an effective and citizen-friendly transparency.

(2) The minimum content, periodicity, and other details of the information to be put out proactively.

(3) All requests for information within a district shall be fulfilled within reasonable period.

Duties of proactive disclosure

37. (1) The Appropriate Authorities with respect to the area of their jurisdiction shall proactively disclose information;

(2) It shall be the duty of the appropriate body to disseminate the records in such a manner that any person can understand the information easily. This obligation shall also include the dissemination of information in a consolidated and summarized form.

Information to be kept in Public Domain

38. Information on the Impact Assessment of such activities taken up under this Act in section 35 shall be placed on internet for access by public.

CHAPTER-VIII

OFFENCES AND PENALTIES

Offences and penalties

39. (1) If any commercial, industrial, infrastructural and bulk user of groundwater or any drilling agency,-

(a) contravenes or fails to comply with any of the provisions of this Act or any rule made there under except provisions described under chapter-V; or

(b) obstructs the Appropriate Authorities or any other person authorized by the State Ground Water Management and Regulatory Authority to exercise any of the powers under this Act, shall be punishable with fine which shall not be less than two lakh rupees which may extend up to five lakh rupees or imprisonment which shall not be less than six month and which may extend to one year or with both, in case of first offence.

(c) repeats the offence after conviction thereof under sub-clause (b), such user shall be deemed to be guilty of second offence and shall be punished with fine which shall be double the amount of fine awarded to him or her, in addition to imprisonment awarded to him or her under the said sub-clause. Besides, the authorisation/no-objection certificate granted to him under this Act shall be cancelled with immediate effect.

(2) Any commercial, industrial, infrastructural and bulk user of ground water who contravenes any of the provisions provided under sub-section (2) of section 26, section 27, section 28 and section 29, shall be liable for punishment, -

(a) with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to three years with fine which shall not be less than five lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees, in case of first offence;

(b) with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years with fine which shall not be less than ten lakh rupees but which may extend to twenty lakh rupees, if the offence is committed by a person who has previously been convicted for the offence referred to in clause (a).

(3) Any supplier of water (other than Government drinking water supply schemes) who supplies or causes to be supplied groundwater which fails to meet the quality standard prescribed under any law for the time being in force shall be punished with fine which shall not be less than two lakh rupees and which may extend to five lakh rupees.

(4) Whoever being an owner of a building liable for installation of a system for harvesting rainwater to recharge groundwater as per the sanctioned drawing, design and guidelines issued by any of the Development Authority or any other authority having power to sanction drawing, fails to do so, shall be punished in such manner and with such punishment as may be prescribed.

40. (1) Whenever an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time of the commission of offence was in charge of, or was responsible to the company for the conduct of the business of the company, shall be deemed to be guilty of the offence;

Offences
by Companies

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence;

EXPLANATION : For the purpose of this section—

(1) "Company" means anybody corporate and includes a firm or other association or individuals; and

(2) "Director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

41. (1) An offence punishable under sub clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 39 may be compounded on the application of the accused before or after the institution of the prosecution by such officers as may be notified by the State Government after imposing fifty per cent of minimum fine prescribed for the offence as compounding fee along with the minimum prescribed fine :

Compounding of
offences

Provided that the remedy for compounding shall be available for the first offence only.

(2) Every officer referred to in sub-section (1) shall exercise the power to compound an offence subject to the direction, control and supervision of the State Government.

(3) Every application for the compounding of an offence shall be made in such form and in such manner as may be prescribed.

(4) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.

(5) Where the composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought by the officer referred to in sub-section (1) in writing to the notice of the court in which prosecution is pending and on such notice of the composition of the offence being given, the person against whom the offence is so compounded shall be discharged.

Cognizance of offences

42. (1) Offences under this Act shall be cognizable and triable by a judicial magistrate of first class.

(2) The magistrate may take cognizance of the offence on a complaint filed by the District Ground Water Management Council or by any aggrieved person :

Provided that—

before initiating the prosecution, the aggrieved person shall give one-month's notice to the District Ground Water Management Council intimating her or his intention to initiate prosecution.

CHAPTER -IX

GRIEVANCE REDRESSAL

Ground Water
Grievance
Redressal Officer

43. (1) The District Magistrate of each district of Uttar Pradesh shall act as District Ground Water Grievance Redressal Officer.

(2) Any person may submit his or her grievance on issues related to management, conservation, abstraction and pollution of ground water to the District Ground Water Grievance Redressal Officer.

(3) Any person aggrieved by the decision of the District Ground Water Grievance Redressal Officer may submit his or her grievance to State Ground Water Management and Regulation Authority.

Jurisdiction and
powers of Ground
Water Grievance
Redressal Officer

44. (1) The District Ground Water Grievance Redressal Officer shall have jurisdiction over all grievance mentioned in sub-section (2) of section 43, within his territorial jurisdiction.

(2) The grievances shall be submitted to District Groundwater Grievance Redressal Officer in such manner as may be prescribed.

(3) The District Groundwater Grievance Redressal Officer shall take appropriate action through respective Gram Panchayat Ground Water Sub Committee/ Block Panchayat Ground Water Management Committee/ Municipal Water Management Committee or District Ground Water Management Council, as the case may be, after submission of grievance at any subsequent time, not exceeding thirty days.

CHAPTER -X

MISCELLANEOUS

Power of the
appropriate
authorities to call
for information

45. The State Ground Water Management and Regulatory Authority and the District Ground Water Management Councils shall have the power to call for any information from any department of the State Government or any other person, which is required by it in the exercise of its powers and the performance of its duties and functions under this Act or the rules, regulations and bye-laws made there under, and such department or person shall be bound to furnish such information.

Powers of the
appropriate
authorities to
remove wells dug
in contravention of
the Act

46. (1) The District Ground Water Management Council, subject to the provision of this Act, may require any Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk user of ground water and any existing agency, who has sunk or is sinking a well or who has extracted or is extracting water in contravention of any of the provisions of this Act, by notice in writing to stop such extraction within the time specified in the notice, being not less than fifteen days, and require the owner or the person in possession of the well to close or seal off the well at his expense and in such manner as it may specify in such order;

(2) If the person on whom a notice under sub-section (1) has been served does not stop such extraction or stop such extraction but does not close or seal off the well to the satisfaction of the appropriate authority within the time specified in the notice, the council (concerned) may enter the land and close or seal off the well.

(3) The cost incurred by the council (concerned) under sub-section (2) shall be recoverable as an arrear of land revenue from the person on whom a notice under sub-section (1) has been served.

47. (1) Pre-existing rights of a user of ground water will continue to be valid for a period of one year from the date of commencement of this Act, after which the rights and entitlements shall be in accordance with the provisions of this Act. Pre-existing rights

(2) The user of ground water shall not be entitled for any compensation for any legal or other rights that become extinguished under this Act.

48. The State Government shall create a fund to be known as Ground Water Fund and all the receipts on account of penalties, registration fees, fee on ground water extraction etc. shall be credited to this fund. The fund shall be operated by the Director, Ground Water Department. The fund shall be utilized for ground water management activities in the State such as conservation of ground water, both through demand side and supply side management for encouraging demand side interventions and for increasing efficiency of ground water usage by effective monitoring devices/mechanisms, decided by the State Government and Ground Water Department. Ground Water Fund

49. The State Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act. Power of the State Government to make Rules

50. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary or expedient for removing the difficulty. Power to remove difficulties

Provided that, no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before both houses of the state Legislature.

51. In the interest of overall development of the State, the State Government on recommendation of the State Ground Water Management and Regulatory Authority may exempt any user or class of users or case from any provision of this Act. Powers of the State Government to exempt any user/ cases

52. Notwithstanding anything contained in any other law of the State of Uttar Pradesh for the time being in force, the provisions of this Act shall prevail. Effect of this Act on other Laws

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Ground Water is the single most important source of water for domestic, agricultural and industrial uses. It is the backbone of drinking water, food and livelihood in rural and urban areas. It has been brought to the notice of State Government that uncontrolled and rapid extraction of ground water has resulted in alarming situation of declining ground water levels and depletion of ground water reservoirs in several areas of the state. In order to deal with the situation of serious groundwater crisis and groundwater contamination in the state, it has been decided to make a law to provide for protecting, conserving, controlling and regulating ground water to ensure its sustainable management, both quantitatively and qualitatively, especially in stressed rural and urban areas.

This Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Bill, 2019 is introduced accordingly.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 192 राजपत्र-(हिन्दी)-2019-(571)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 69 सा० विधायी-2019-(572)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

क्रम-संख्या-31(क-1)



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 25 फरवरी, 2020

फाल्गुन 6, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3

संख्या 158/76-3-2020-10जी.डब्लू-2014 (नियमावली)

लखनऊ, 25 फरवरी, 2020

अधिसूचना

सा०प०नि०-8

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली, 2020

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

परिभाषाएं

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) से है;

(ख) "चालान" का तात्पर्य धारा 48 के अधीन सृजित भूगर्भ जल निधि में फीस जमा करने या कोई धनराशि जमा करने की रसीद से है;

(ग) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से अनुलग्न प्रपत्र से है;

(घ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा, जब तक कि वह विनिर्दिष्ट न हो, से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय-दो

समुचित प्राधिकरणों के सदस्यों की पदावधि

गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि 3-धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ), धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ), धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ), धारा 6 के उपधारा (2) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ) और धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (16), (17) और (18) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

गैर-सरकारी सदस्यों की न्यूनतम अर्हता 4-नियम-3 में विनिर्दिष्ट सदस्यों की न्यूनतम अर्हता, इस नियमावली में संलग्न अनुलग्नक के अनुसार होगी।

समुचित प्राधिकरणों की बैठकें 5-समुचित प्राधिकरणों की बैठकें ऐसे समय में होंगी जैसा कि किसी प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा निदेशित किया जाय परन्तु यह कि लगातार दो बैठकों की अवधि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी-

(क) ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समिति, खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति, नगरपालिका भूगर्भ जल प्रबंधन समिति, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के मामले में तीस दिन;

(ख) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण के मामले में नब्बे दिन।

अध्याय-तीन

अधिसूचित और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में कूपों का रजिस्ट्रीकरण

अधिसूचित और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में उपयोक्ताओं के रजिस्ट्रीकरण स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया, समय सीमा, प्रारूप फीस और अन्य उपबन्ध

6-कूप-रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया -

(1) कोई विद्यमान वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ता, जो अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से पूर्व अधिसूचित क्षेत्र या गैर अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल निकालने या उसका उपयोग करने के लिए कोई कूप खोदा हो अथवा किसी गैर अधिसूचित क्षेत्र का कोई भावी वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ता, प्रपत्र-1(क) में अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) या धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन करेगा।

(2) कोई विद्यमान वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ता, जो अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से पूर्व अधिसूचित क्षेत्र या गैर अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल निकालने या उसका उपयोग करने के लिए कोई कूप खोदा हो और उसके पास भूगर्भ जल निकालने या उसका उपयोग करने के लिए या तो केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा या भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी विधिमान्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र हो, प्रपत्र 1(ख) में अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) या धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर करेगा।

(3) नियम 6 के उपखण्ड (1) में उल्लिखित भूगर्भ जल उपयोक्ता से भिन्न प्रत्येक विद्यमान भूगर्भ जल उपयोक्ता जिसमें घरेलू और कृषि सम्बन्धी भूगर्भ जल उपयोक्ता सम्मिलित हैं, जो अपने परिसर या कृषि भूमि की जोतों में कूप खोदा हों या बोरिंग करायी हो, अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) या धारा 11 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन, प्रपत्र 1(ग) में यथास्थिति खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति या नगरपालिका जल प्रबंधन समिति को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से छः माह की अवधि के भीतर करेगा।

(4) नियम 6 के उपखण्ड (1) में उल्लिखित भूगर्भ जल उपयोक्ता से भिन्न प्रत्येक भावी भूगर्भ जल उपयोक्ता, जिसमें घरेलू तथा कृषि सम्बन्धी भूगर्भ जल उपयोक्ता सम्मिलित हैं, जो अपने परिसर या कृषि भूमि जोतों में कूप खोदना चाहता हो या बोरिंग कराना चाहता हो, अधिनियम की धारा 10 या धारा 11 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन, प्रपत्र 1(घ) में ऐसे कूप की खुदाई के पूर्व यथास्थिति खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति या नगरपालिका जल प्रबन्धन समिति को करेगा:

परन्तु यह कि किसी उपयोक्ता, जो क्षेत्र में भूगर्भ जल निकालने या उसका उपयोग करने के लिए एक से अधिक कूप की खुदाई कराया हो, में प्रत्येक कूप के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

(5) प्रपत्र-1 आनलाइन वेब पोर्टल www.upgwdonline.in से निःशुल्क डाउनलोड किया जाएगा।

(6) प्रपत्र को अनुचित रूप से भरे जाने और प्रपत्र 1 में विनिर्दिष्ट समस्त आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करने में विफल होने पर आवेदन अस्वीकृत किए जाने योग्य होगा।

(7) उपरोक्त उप खण्डों में यथा उल्लिखित समस्त आवेदन www.upgwdonline.in वेबपोर्टल पर आनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे।

7-रजिस्ट्रीकृत कूप में उपांतरण या परिवर्तन किए जाने की प्रक्रिया:-

(1) यदि अधिसूचित क्षेत्र में कोई रजिस्ट्रीकृत वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता, जिसके पास रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र हो, रजिस्ट्रीकृत कूप में कोई उपांतरण या परिवर्तन करना चाहता हो, तो यथास्थिति वह या व्यक्ति समूह या अभिकरण को सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को तद्विनिमित्त प्रपत्र 2(क) जमा करके राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त करना होगा। इसके लिए सम्बन्धित उपयोक्ता को नियम 10 के उपनियम (1) में यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(2) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता गैर अधिसूचित क्षेत्र के रजिस्ट्रीकृत कूप में कोई उपांतरण, संशोधन या परिवर्तन करना चाहता हो तो यथास्थिति उसे या किसी व्यक्ति समूह या अभिकरण को तद्विनिमित्त संबंधित जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को प्रपत्र 2(ख) प्रस्तुत करके जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद से अनापत्ति प्राप्त करना होगा। इसके लिए सम्बन्धित उपयोक्ता को नियम 10 के उप नियम (1) में यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

8-जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद या नगरपालिका जल प्रबन्धन समिति या खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का निस्तारण:-

(1) नियम 6 के उप नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त किए जाने पर, यदि जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद यह समझती है कि आवेदन, अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) या धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिये है, तो वह, अपनी बैठक में समाधान हो जाने के पश्चात् मामले को अनुमोदित कर सकती है और उपयोक्ता को प्रपत्र-3(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकती है और यदि संबंधित जिला स्तरीय प्राधिकरण का उस मामले में समाधान नहीं होता है, तो वह सारवान कारण देने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने से अस्वीकृत कर देगा और प्रपत्र 4(क) में उपयोक्ता को तदनुसार सूचित कर देगा।

(2) नियम 6 के उप नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त किए जाने पर, विद्यमान वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ता, जो केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा या भूगर्भ जल विभाग द्वारा जारी विधिमाम्य अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करता है, स्वतः रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाएगा। ऐसे उपयोक्ता आनलाइन समुचित आवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर प्रपत्र 3(ख) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

(3) नियम 6 के उप नियम (3) और उप नियम (4) के अधीन आवेदन प्राप्त किए जाने पर, कृषि और घरेलू भूगर्भ जल उपयोक्ता स्वतः रजिस्ट्रीकृत हो जायेंगे। ऐसे उपयोक्ता आनलाइन समुचित आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर प्रपत्र 3(ग) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।

(4) ऐसे उपयोक्तागण, जिनके रजिस्ट्रीकरण स्वीकृति के लिए आवेदन उप खंड (1) के अधीन अस्वीकृत कर दिए गये हों, आवेदन का निस्तारण करने के लिए प्राधिकरण के सचिव के माध्यम से राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामलों में राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रीकरण स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने के संबंध में इस नियम के अधीन संबंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति या नगरपालिका जल प्रबंधन समिति या खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति द्वारा किया गया कोई विनिश्चय, ऐसे आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर उपयोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जायेगा।

(6) उपयोक्तागण यथास्थिति जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद या नगरपालिका जल प्रबंधन समिति या खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति के कार्यालय से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं।

9-रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए रजिस्टर :-

(1) प्रपत्र 3(क) या 3(ख) में जारी किए गए प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए, आनलाइन वेब-पोर्टल www.upgwdonline.in में एक ई-रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को प्रपत्र 3(क) और 3(ख) में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रतियाँ भी अनुरक्षित करनी होगी।

(3) प्रत्येक नगरपालिका जल प्रबंधन समिति को प्रपत्र 3(ग) में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रतियों का एक पृथक रजिस्टर भी अनुरक्षित करना होगा।

(4) प्रत्येक खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति को प्रपत्र 3(ग) में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की संयुक्त हस्ताक्षरित प्रतियों का एक पृथक रजिस्टर भी अनुरक्षित करना होगा।

10-आवेदन फीस:-

(1) कोई वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ता, कूप रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा विनिश्चय फीस की ऐसी धनराशि जमा करेगा जो नियम 6 के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में उल्लिखित हो। राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण विभिन्न श्रेणी के भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के लिए फीस की धनराशि की समय-समय पर समीक्षा कर सकता है।

(2) नियम 6 के उप नियम (3) और उप नियम (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई फीस नहीं होगी।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन फीस का भुगतान आनलाइन किया जाएगा और उसे राज्य सरकार द्वारा सृजित भूगर्भ जल निधि में जमा किया जाएगा।

11-(1) फर्म, अभिकरण या कंपनी सहित कोई व्यक्ति, जो भूगर्भ जल निष्कर्षण के लिए वेधन कार्य करना चाहता हो प्रपत्र 5(क) में, अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को करेगा।

वेधन अभिकरणों के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया

(2) फर्म, अभिकरण या कंपनी सहित कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व भूगर्भ जल निष्कर्षण के लिए वेधन कार्य में संलग्न हो, प्रपत्र 5(ख) में, अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट एक आवेदन, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर करेगा।

(3) नियम 11 के उप नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त किए जाने पर यदि जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद यह विचार करती है कि आवेदन धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये है, तो वह अपनी बैठक में समाधान कर लेने के पश्चात् मामले को अनुमोदित करेगी और ऐसे वेधन अभिकरण को प्रपत्र 6(क) में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगी और यदि संबंधित जिला स्तरीय प्राधिकरण का उक्त मामले में समाधान नहीं होता है, तो वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने से अस्वीकृत कर देगा और तदनुसार ऐसे व्यक्ति को प्रपत्र 7(क) में सूचित करेगा।

(4) नियम 11 के उप नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त किये जाने पर, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद आवेदन प्राप्त करने के लिए एक माह के भीतर ऐसे वेधन अभिकरण को प्रपत्र 6(ख) में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगी।

(5) यदि फर्म, अभिकरण या कंपनी सहित कोई व्यक्ति, जो एक से अधिक जिलों में वेधन कार्य करना चाहता हो तो उससे प्रत्येक जिले के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

(6) यदि फर्म, अभिकरण या कंपनी सहित कोई व्यक्ति, जिसने पहले ही एक जिले में वेधन कार्य के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो और वह किसी अन्य जिले में रजिस्ट्रीकरण कराना चाहता हो तो उसे प्रपत्र 5(क) में एक आवेदन करना होगा। उसे प्रपत्र के साथ पहले ही प्राप्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति अपलोड करनी होगी।

(7) नियम 11 के उप नियम (6) के अधीन आवेदन प्राप्त किए जाने पर, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद आवेदन प्राप्त करने के सात दिनों के भीतर ऐसे वेधन अभिकरण को प्रपत्र 6(ख) में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगी।

(8) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद यह भी सुनिश्चित करेगी कि उप नियम (3), उप नियम (4) और उप नियम (7) के अधीन रजिस्ट्रीकृत वेधन अभिकरण अधिसूचित क्षेत्र या भूगर्भ जल गुणवत्ता वाले संवेदनशील क्षेत्रों में वेधन कार्य निष्पादित नहीं करेगा।

(9) पंजीकृत ड्रिलिंग एजेन्सी के द्वारा प्रत्येक तीन माह में किये गए ड्रिलिंग कार्यों का विवरण ऑनलाइन वेब पोर्टल पर प्रेषित किया जाएगा।

(10) प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण स्वीकृत या अस्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में इस नियम के अधीन सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा किए गए किसी विनिश्चय की सूचना उपयोक्ता को ऐसा आवेदन प्राप्त किए जाने के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी।

(11) उपयोक्तागण जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के कार्यालय से रजिस्ट्रीकरण की सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं।

(12) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा वेधन अभिकरणों को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पृथक-पृथक रजिस्टर रखे जाएंगे।

12-आवेदन फीस :-

(1) नियम 11 के उप नियम (1), उप नियम (2) या उप नियम (6) के अधीन कोई आवेदक, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा विनिश्चित फीस की राशि जमा करेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन फीस का भुगतान आनलाइन किया जाएगा और उसे राज्य सरकार द्वारा सृजित भूगर्भ जल निधि में जमा किया जाएगा।

अध्याय -चार

प्राधिकार/अनापत्ति की स्वीकृति

गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में उपयोक्ताओं के लिए प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया, समय सीमाएं, प्रारूप, फीस और अन्य उपबन्ध, निबंधन एवम् शर्तें

अनापत्ति प्रमाणपत्र के नवीकरण की प्रक्रिया

जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन का निस्तारण

13-(1) कोई भावी या विद्यमान उपयोक्ता, जिसके पास केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण या भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो, नियम-6 के उपनियम (1) के अधीन प्रपत्र 8(क) में आवेदन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वीकृति जारी करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) प्रपत्र 8(क) आनलाइन वेबपोर्टल www.upgwd.gov.in से निःशुल्क डाउनलोड किया जाएगा।

(3) ऐसे प्रपत्र जो सम्यक रूप से भरे न हो अथवा उनके साथ प्रपत्र 8 (क) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न न हो, अस्वीकृत किए जाने योग्य होंगे।

14-(1) कोई विद्यमान वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ता, जो अधिसूचित या गैर-अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल का निष्कर्षण करने या उपयोग करने के लिए कोई कूप खोद चुका हो और अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण या भूगर्भ जल विभाग द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाण पत्र धारित किया हो और भूगर्भ जल का निष्कर्षण करना जारी रखना चाहता हो, प्रपत्र 8(ख) में आवेदन करेगा।

(2) कोई उपयोक्ता, जिसके पास भूगर्भ का पूर्व से विद्यमान अधिकार हो, अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष के पश्चात् अथवा विद्यमान अनापत्ति प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, अनापत्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।

15-(1) नियम 13 के अधीन आवेदन प्राप्त किए जाने पर, यदि जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद यह विचार करती है कि आवेदन धारा 14 के अधीन प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वीकृति जारी करने के लिए है, तो वह प्रपत्र 8(ग) में प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपयोक्ता को प्रदान कर सकती है और यदि सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद का मामले के सम्बन्ध में समाधान नहीं होता है तो वह प्राधिकार/अनापत्ति प्रदान करने का प्रमाणपत्र जारी करने से अस्वीकार कर देगी और प्रपत्र 8(घ) में उपयोक्ता को तदनुसार सूचित करेगी।

(2) उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदन का निस्तारण जनपदीय परिषद द्वारा नियमानुसार 30 दिवस के अन्दर किया जायेगा। निर्धारित अवधि में आवेदन का निस्तारण न होने की दशा में अनापत्ति स्वतः निर्गत मानी जायेगी। यदि यह पाया जाता है कि निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों/प्राविधानों के विपरीत है, तो राज्य भूजल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा दोषियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन जनपदीय भूजल प्रबंधन परिषद द्वारा निर्गत प्राधिकार/अनापत्ति अनापत्ति की वैधता 5 वर्ष होगी। किन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन होने अथवा क्षेत्र की भूजल स्थिति के अनुसार राज्य नियामक प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह निर्गत अनापत्ति को निरस्त कर दें अथवा ऐसे प्रतिबन्ध लगा सके, जो कि वह उचित पाए।

(4) नियम, 14 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद तकनीकी टिप्पणियों के लिए आवेदन, भूगर्भ जल विभाग को अग्रसारित करेगी।

जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद भूगर्भ जल विभाग की संस्तुति पर भूगर्भ जल विभाग द्वारा यथा संस्तुत अवधि के लिए प्रपत्र 8(ड) में प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र को नवीकृत कर सकती है।

(5) ऐसे उपयोक्तागण जिनके आवेदन उप नियम (1) के अधीन प्राधिकार/अनापत्ति प्रदान किए जाने हेतु अस्वीकृत कर दिए गए हों, आदेश प्राप्त किए जाने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को अपील कर सकते हैं।

(6) प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान या अस्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में इस नियम के अधीन सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा किए गए किसी विनिश्चय की सूचना, ऐसे आवेदन के विनिश्चय की प्राप्ति के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर उपयोक्ता को सम्यक अभिस्वीकृति सहित रजिस्टर्ड डाक से तथा इलेक्ट्रानिक रूप से प्रदान की जाएगी :

परन्तु यह कि उपयोक्ता संबंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के कार्यालय से सीधे सूचना की प्रति प्राप्त कर सकता है।

16-प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पृथक-पृथक रजिस्टर रखेगी।

17-(1)नियम 13 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई नया कूप खोदने हेतु प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत करने के लिए किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ता को ऐसी मात्रा में फीस जमा करनी होगी जैसा कि राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन तथा विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाय। राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण समय-समय पर विभिन्न श्रेणी के भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के लिए फीस की धनराशि की समीक्षा कर सकता है।

(2) नियम 13 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन पर प्राधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् अधिनियम की धारा 16 के अधीन यथा उपबंधित भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु फीस की वार्षिक धनराशि ऐसे उपयोक्ता द्वारा वार्षिक रूप में जमा की जाएगी। भूगर्भ जल निष्कर्षण के लिए फीस की धनराशि का अवधारण, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण समय-समय पर विभिन्न श्रेणी के भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के लिए निष्कर्षण की फीस की धनराशि की समीक्षा कर सकता है।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट फीस का भुगतान प्रपत्र 8 (क) में यथाविहित रीति से किया जाएगा और इसे भूगर्भ जल निधि में जमा किया जाएगा।

अध्याय -पांच

अधिसूचित क्षेत्रों की पहचान और उनका सीमांकन

18-अधिसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान और उनका सीमांकन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा।

(1) ग्रामीण क्षेत्र- अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों के सीमांकन के प्रयोजन से, अतिदोहित एवम् नाजुक खण्डों पर विचार किया जाएगा। अतएव, भूगर्भ जल विभाग, नवीनतम भूगर्भ जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अतिदोहित एवम् नाजुक खण्डों के रूप में वर्गीकृत किए गए खण्डों की जिलावार सूची की पहचान करेगा और तैयार करेगा।

प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए रजिस्टर

प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन फीस और भूगर्भ जल निष्कर्षण/आहरण के लिए फीस

अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचित क्षेत्रों के सीमांकन और अधिसूचना जारी किये जाने की प्रक्रिया

(2) नगरीय क्षेत्र-नगरीय सेक्टर में, जैसा कि अधिनियम में उपबंधित किया गया है, ऐसे संकटग्रस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में जहां भूगर्भ जल स्तर नाजुक/खतरनाक स्तर तक गिर गया है, ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किये जाने के प्रयोजन से विचार किया जायेगा। भूगर्भ जल विभाग उन नगरीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और उन्हें संकटग्रस्त के रूप में चिन्हित करेगा, जहां पिछले पांच वर्षों के दौरान भूगर्भ जल स्तर में 20 सेमी प्रति वर्ष से अधिक की महत्वपूर्ण गिरावट अभिलिखित की गई है।

(3) भूगर्भ जल विभाग, उक्त क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिए राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को अतिदोहित एवं नाजुक खण्डों और संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्रों की सूची प्रस्तुत करेगा, जैसा कि अधिनियम में उपबंधित किया गया है।

19-अधिसूचना जारी किया जाना-

(1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को भूगर्भ जल ह्रास के विश्लेषण के आधार पर विभाग द्वारा पहचानकृत नवीनतम भूगर्भ जल संसाधन आंकलन के अनुसार वर्गीकृत अतिदोहित एवम् नाजुक खण्डों के सम्बन्ध में भूगर्भ जल विभाग द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक विचार विमर्श करना होगा।

(2) तत्पश्चात् प्राधिकरण राज्य सरकार को अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के क्रियान्वयन के प्रयोजन से ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचना द्वारा घोषित करने का परामर्श देगा। भूगर्भ जल विभाग की संस्तुति के आधार पर राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, राज्य सरकार को ऐसी सरकारी योजनाओं को बंद करने या पुनः अभिकल्पित करने के लिए भी परामर्श देगा, जो सीधे भूगर्भ जल निष्कर्षण पर निर्भर हैं।

(3) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए राज्य प्राधिकरण की संस्तुति और उसके परामर्श पर सम्यक रूप से विचार करेगी।

(4) उप नियम (3) में निर्दिष्ट अधिसूचना समस्त संबंधित विभागों की वेबसाइटों पर अपलोड की जाएगी और उक्त क्षेत्र में दो व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी।

अध्याय -छः

वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ताओं के लिए भूगर्भ जल के निष्कर्षण की सीमा नियत किया जाना

वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के लिए भूगर्भ जल निष्कर्षण की सीमा नियत करने की प्रक्रिया

20-(1) समस्त विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के लिए भूगर्भ जल निष्कर्षण की सीमा नियत करने हेतु भूगर्भ जल विभाग, पणधारकों के परामर्श से, इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से छः माह के भीतर राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(2) भूगर्भ जल विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण समस्त वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के भूगर्भ जल निष्कर्षण की सीमायें नियत करेगा।

(3) उप नियम(2) के अधीन नियत भूगर्भ जल निष्कर्षण सीमाएं, धारा 15 के प्रयोजनार्थ यथास्थिति अधिसूचित और साथ ही साथ गैर अधिसूचित क्षेत्रों में विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के कूपों के लिए और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में नये वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के कूपों के लिए रजिस्ट्रीकरण या प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण लिखी जाएगी।

अध्याय-सात

भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्रों का सीमांकन और उनकी घोषणा

21-भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्र का सीमांकन-

(1) उत्तर प्रदेश के दोनों ग्रामीण और नगरीय प्रखण्डों में समस्या का सिंहावलोकन करने के प्रयोजन से, भूगर्भ जल गुणवत्ता सम्बन्धी आंकड़ा और तत्सम्बन्धी सूचना एकत्र करने, उसका मूल्यांकन और विश्लेषण करने के लिए भूगर्भ जल विभाग, विशेषज्ञ निकायों यथा केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम, केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान और उन संस्थाओं, जिन्होंने भूगर्भ जल गुणवत्ता के सम्बन्ध में विद्यमान आंकड़ा, रिपोर्ट तथा सूचना प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट क्षेत्र भूगर्भ जल गुणवत्ता सम्बन्धी अध्ययन कर लिए हों, के भी साथ प्राविधिक परामर्श करेगा।

(2) ऐसे उपलब्ध आंकड़ों के मूल्यांकन, विश्लेषण और मानचित्रण के आधार पर, भूगर्भ जल विभाग सम्पूर्ण राज्य के लिए एक व्यापक गुणवत्तापूर्ण आंकड़ा आधार तैयार करने और विकसित करने की कार्यवाही करेगा। इसके पश्चात् विभाग उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जो पेयजल और सिंचाई जल आपूर्ति पर प्रदूषण के खतरों के जोखिम के साथ घटिया भूगर्भ जल गुणवत्ता से प्रभावित पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों का सीमांकन और मानचित्रण भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्रों के रूप में किया जाएगा।

(3) विभाग ऐसे भूगर्भ जल गुणवत्ता वाले संवेदनशील परिक्षेत्रों की उनकी जीOपीOएसO अवस्थितियों सहित विस्तृत जिलावार सूची तैयार करेगा।

(4) सम्पूर्ण राज्य के लिए भूगर्भ जल की गुणवत्ता की पूर्ण सूचना, प्रदूषण का रोकथाम तथा नियंत्रण करने और पेय जलापूर्तियों हेतु सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण क्षेत्रों का पता लगाने के समुचित उपायों के माध्यम से ऐसे रेखांकित क्षेत्रों में भूगर्भ जल गुणवत्ता का संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन तथा विनियामक प्राधिकरण को अग्रतर कार्यवाही के लिए प्रस्तुत की जायेगी।

(5) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण तत्काल कार्यवाही करेगा और संबंधित विभागों को ऐसे रेखांकित क्षेत्रों में भूगर्भ जल गुणवत्ता का संरक्षण सुनिश्चित करने की अपनी विद्यमान नीतियों या योजनाओं को परिवर्तित करने या पुनः अभिकल्पित करने के लिए निदेश जारी करेगा। समस्त सम्बन्धित विभागों को ऐसे रेखांकित परिक्षेत्रों में अपनी विद्यमान नीतियों या योजनाओं को परिवर्तित या अभिकल्पित करना होगा।

(6) उप नियम (5) में निदेश जारी करने के पश्चात् यदि जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद यह पाता है कि उस जिले में भूगर्भ जल के प्रदूषण के लिए किसी विभाग की कोई विशिष्ट योजना उत्तरदायी है, तो परिषद को ऐसे मामलों में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप तत्काल कार्यवाही करनी होगी और ऐसा कोई मामला राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को भी प्रस्तुत करना होगा।

भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्रों के सीमांकन और उनकी घोषणा की प्रक्रिया

भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी करना

22 (1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, राज्य की भूगर्भ जल गुणवत्ता के संबंध में भूगर्भ जल विभाग द्वारा उपबंधित सूचना पर आवश्यक प्राविधिक परामर्श करने के पश्चात्, अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचना द्वारा भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्रों के रूप में घोषित किये जाने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति करेगा तथा परामर्श देगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य में भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्रों की घोषणा के लिए राज्य प्राधिकरण के परामर्श और उसकी संस्तुति पर सम्यक रूप से विचार करेगी और धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन दोनों हिंदी और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा में अधिसूचना जारी करेगी। उक्त अधिसूचना में अधिसूचित क्षेत्र के लिए राज्य सरकार के निदेश भी अन्तर्विष्ट होंगे।

(3) उक्त अधिसूचना, गजट में और तत्पश्चात् सार्वजनिक सूचना के रूप में सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश के माध्यम से कम से कम तीन दैनिक क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

(4) समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने के अतिरिक्त, उक्त अधिसूचना व्यापक रूप में प्रसारित किये जाने के लिए समस्त संबंधित विभागों की वेबसाइटों पर भी अपलोड की जाएगी।

अध्याय-आठ

उपचारित अपशिष्ट जल के मानक नियत किये जाने की प्रक्रिया

तथा उपचार संयंत्र संस्थापित किये जाने की प्रक्रिया

उपचारित अपशिष्ट जल के मानक नियत किये जाने की प्रक्रिया

23-(1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण के निदेश पर, भूगर्भ जल विभाग, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश जल निगम से परामर्श के पश्चात् उसे उपचारित अपशिष्ट के मानकों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव ऐसे समय के भीतर जैसा कि उक्त प्राधिकरण द्वारा निदेशित किया जाय, प्रस्तुत करेगा।

(2) भूगर्भ जल विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, उपचारित अपशिष्ट जल के मानकों को अनुमोदित करेगा।

(3) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, भूगर्भ जल उपयोक्ता को अनापत्ति प्रदान करते हुए अनुमोदित मानक के अनुपालन के लिए प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को निदेश जारी करेगा।

उपचार संयंत्र की संस्थापन की प्रक्रिया

24-(1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषदों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि भूगर्भ जल या भू-पृष्ठ जल को प्रदूषित करने वाले समस्त वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं को इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उपचार संयंत्र संस्थापित करना होगा।

(2) प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो माह के भीतर अपने जिला के समस्त उद्योगों का भौतिक सत्यापन करेगी।

(3) भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, उन उद्योगों की एक सूची तैयार करेगी, जिन्होंने समुचित उपचार संयंत्र निर्मित नहीं किया है।

(4) उप नियम (3) के अधीन तैयार किए गए प्रत्येक जिले की सूची, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, उप नियम (4) में निर्दिष्ट उद्योगों को निदेश देगा कि ऐसे उद्योगों, जिन्होंने समुचित उपचार संयंत्र स्थापित नहीं किए हैं, को उक्त संयंत्र, निदेश जारी किए जाने के दिनांक से छः माह की अवधि के भीतर स्थापित करना होगा।

(6) उप नियम (5) के अधीन निदेश जारी होने के छः माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को दो माह की अवधि में संबंधित जिलों में पुनः समस्त उद्योगों का भौतिक सत्यापन कराना होगा। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को पुनः ऐसे उद्योगों की एक सूची तैयार करनी होगी, जिन्होंने उप-नियम (5) के अधीन राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेशों का अनुपालन न किया हो।

(7) उप नियम (6) के अधीन तैयार की गयी प्रत्येक जिले की सूची पुनः राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

(8) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, ऐसे भूगर्भ जल उपयोक्ता के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, जो अभी भी निम्नलिखित द्वारा उक्त अवधि के भीतर उपचार संयंत्र स्थापित करने में विफल हैं ;

(एक) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा चिन्हित अभिकरण के माध्यम से ऐसे उपयोक्ताओं की लागत पर आवश्यक उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए आदेश जारी करना ;

(दो) अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन अभियोजन प्रारम्भ करने का आदेश जारी करने के लिए संबंधित जिला की जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को निदेश देना।

25-(1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को समुचित प्राधिकरणों के माध्यम से यह अनुश्रवण करना होगा कि-

(क) कोई सरकारी विभाग/उपक्रम/निगम आदि भूगर्भ जल या भू-पृष्ठ जल में अनुपचारित बहिःस्राव निस्सारित नहीं करेगा।

(ख) कोई अनुपचारित नाला या मलनाली आदि, सीधे नदियों/ तालाबों/झीलों या किसी भूगर्भ जल या भू-पृष्ठ जल में निस्सारित नहीं किये जायेंगे।

(2) प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को इस नियमावली के प्रारंभ होने के दिनांक से दो माह के भीतर, उप नियम (1) के अधीन यथा उपबंधित ऐसे सरकारी निकायों द्वारा अंगीकृत बहिःस्राव निस्सारित किये जाने की प्रक्रिया का भौतिक सत्यापन करना होगा।

(3) भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट ऐसे सरकारी निकायों की एक सूची तैयार करनी होगी, जिन्होंने उपचारित बहिःस्राव की समुचित प्रक्रिया अंगीकृत न किया हो और सीधे भूगर्भ जल या भू-पृष्ठ जल में अनुपचारित बहिःस्राव निस्सारित कर रहे हों।

(4) उप नियम (3) के अधीन तैयार किए गए प्रत्येक जिला की सूची, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को उपनियम (4) में निर्दिष्ट सरकारी निकायों को ऐसे अनुदेश जारी करना होगा, ताकि निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जा सके:-

(क) उक्त अनुदेश जारी किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर समुचित उपचार संयंत्रों का निर्माण किया जाना, या

अनुपचारित बहिःस्राव को भूगर्भ जल या भू-पृष्ठ जल में निस्सारित करने की निबंधनों की प्रक्रिया

(ख) उक्त अनुदेश जारी किये जाने के दिनांक से छः माह के भीतर विद्यमान उपचार संयंत्रों को क्रियाशील किया जाना।

(6) उप नियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को पुनः उन सरकारी विभागों/ उपक्रमों/निगमों/निकायों आदि का भौतिक सत्यापन दो माह के भीतर कराना होगा, जिन्होंने अभी तक बहिःस्राव को उपचारित करने की समुचित प्रक्रिया को अंगीकृत न किये हों और अभी भी सीधे भूगर्भ जल या भू-पृष्ठ जल में अनुपचारित बहिःस्राव निस्सारित कर रहे हों।

(7) उपनियम (6) के अधीन राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परामर्श का अनुपालन न करने वाले सरकारी निकायों की सूची राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी।

अध्याय - नौ

वर्षा जल संचयन

वर्षा जल संचयन के लिए उपबंध अधिरोपित किये जाने की प्रक्रिया

26-(1) समुचित प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक के क्षेत्रफल के भूखण्ड धारित करने वाले समस्त उपयोक्ताओं द्वारा समुचित रूप में कर लिया गया है। वर्षा जल संचयन संरचनाएं संस्थापित किया जाना एतद्द्वारा वर्णित चरणों में विभिन्न उपयोक्ताओं के लिए अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि:-

वर्षा जल संचयन संरचनाओं को संस्थापित किया जाना ऐसे प्रत्येक उपयोक्ता के लिए अनिवार्य होगा, जिसके पास अपने परिसरों में भूगर्भ जल के निष्कर्षण के लिए सबमर्सिबल पंप या कोई अन्य समान प्रकार के भूगर्भ जल निष्कर्षण उपकरण हो।

(2) प्रथम चरण में, प्रत्येक सरकारी विभाग/अर्द्ध-सरकारी विभाग/प्राधिकरण/ सहायता प्राप्त संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से निधिकृत), निजी संस्थाओं या संगठनों, जिनके पास 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक के क्षेत्रफल का भूखंड हो या जो सबमर्सिबल पंप या समान प्रकार के उपकरणों के माध्यम से, भूगर्भ जल निष्कासित कर रहे हों, को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर वर्षा जल संचयन संरचनाएं समुचित रूप से उनके परिसरों में निर्मित कर दी गयी है।

(3) द्वितीय चरण में, (प्रथम चरण के एक वर्ष के पश्चात्), उप नियम (2) में उल्लिखित उपयोक्ता से भिन्न प्रत्येक उपयोक्ता, जिसके पास 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक के क्षेत्रफल का भूखंड हो या जो सबमर्सिबल पंपों या समान प्रकार के उपकरणों के माध्यम से भूगर्भ जल निष्कासित कर रहे हों, को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रथम चरण की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर, उनके परिसरों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं समुचित रूप में निर्मित कर दी गयी है।

(4) वर्षा जल संचयन संरचनाओं को संस्थापित किये जाने के पश्चात् प्रत्येक उपयोक्ता वेब पोर्टल www.upgwdonline.in पर आनलाइन सूचित करेगा।

(5) यदि उप नियम (2) और उप नियम (3) के अधीन उपयोक्ता ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे या सम्बन्धित निकाय को ऐसी रीति से और ऐसे दण्ड से दण्डित किया जायेगा जैसा कि राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाय।

(6) उप नियम (5), में निर्दिष्ट दण्ड के अतिरिक्त सबमर्सिबल पंप या किसी अन्य भूगर्भ जल निष्कर्षण उपकरण को नगरपालिका जल प्रबंधन समिति द्वारा तुरंत असंयोजित कर दिया जायेगा, सील कर दिया जाएगा और जब्त कर लिया जाएगा।

(7) रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की उपयुक्त डिजाइन एवं भूजल रिचार्ज की मात्रा राज्य भूजल प्रबन्धन एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित करायी जाएगी। ऐसे अभिकल्प आनलाइन भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

(8) भूगर्भ जल विभाग, सक्षम प्राविधिक व्यक्तियों की सूची भी परिचालित करेगा, जो समुचित वर्षा जल संचयन संरचनाएं संस्थापित किये जाने के लिए आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध करायेंगे।

(9) समुचित प्राधिकरण, वर्षा जल संचयन तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। समुचित प्राधिकरण ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को भी आमंत्रित करेंगे।

(10) समुचित प्राधिकरण वर्षा जल संचयन के लिए विभिन्न उपयोक्ताओं को सचेतनाशील बनाने के लिए जागरूकता अभियान भी संचालित करेंगे।

(11) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि समस्त संबंधित संस्थाएं यथा: अखिल भारतीय तकनीकी संस्था परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या समान प्रकार के निकाय अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करते समय अपने निर्माण सन्निधियों में समुचित वर्षा जल संचयन को संस्थापित किया जाना सम्मिलित करेंगे।

(12) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, जल संचयन कार्य के लिए अक्रियाशील कूपों को पुनरुज्जीवित करने के लिए सम्बन्धित क्रियान्वयनकर्ता विभाग को निदेश भी जारी करेगी।

(13) समुचित प्राधिकरण, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन अर्थात् हैंडपंपों आदि के अधिशेष जल आहरण का पुनः उपयोग करने के लिए समुचित कार्यवाही करने के निमित्त सम्बन्धित क्रियान्वयनकर्ता विभाग को निर्देश भी जारी करेंगे।

अध्याय-दस

अपराधों का प्रशमन

27-किसी अपराध के प्रशमन के लिए आवेदन इस नियमावली के परिशिष्ट (ख) में अनुलग्न प्रपत्र में किया जायेगा।

अपराधों के प्रशमन की प्रक्रिया

अध्याय - ग्यारह

शिकायत निवारण

28-(1) कोई क्षुब्ध व्यक्ति, अधिनियम की धारा-43 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुद्दों पर वेब पोर्टल www.upgwdonline.in पर आनलाइन पर्याप्त औचित्य के साथ अपना शिकायत प्रस्तुत कर सकता/सकती है।

शिकायत निवारण की प्रक्रिया

(2) जिला भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी, यदि अपेक्षित हो शिकायत सम्बन्धी आवेदन प्राप्त किये जाने के तीस दिनों की अवधि के भीतर अपना शिकायत प्रस्तुत करने के लिए अभिकथित उपयोक्ता को नोटिस जारी कर सकता है।

(3) उक्त अभिकथित व्यक्ति नोटिस प्राप्त किये जाने के तीस दिनों की अवधि के भीतर जिला भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा/करेगी।

(4) जिला भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी अभिकथित प्रयोक्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के दिनांक से तीस दिन के भीतर शिकायत पर विनिश्चय करेगा और क्षुब्ध व्यक्ति को अपना विनिश्चय संसूचित करेगा।

(5) क्षुब्ध व्यक्ति, जिला भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी का विनिश्चय प्राप्त करने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन तथा विनियामक प्राधिकरण को जिला भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील कर सकता है।

अध्याय - बारह

प्रकीर्ण

अन्य उपबंध

29-(1) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद ऐसी विद्यमान सरकारी योजनाओं की पहचान करेगी जो या तो अतिशय भूगर्भ जल आहरण को प्रोत्साहित करती हैं या जिनका उस क्षेत्र की जल गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(2) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को ऐसी योजनाओं का पुनरीक्षण करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

(3) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, तत्काल कार्यवाही करेगा और संबंधित विभागों को अपनी विद्यमान नीतियों या योजनाओं को परिवर्तित करने या फिर से अभिकल्पित करने के लिए निदेश जारी करेगा। समस्त संबंधित विभागों को ऐसे रेखांकित परिक्षेत्रों में अपनी विद्यमान नीतियों या योजनाओं में परिवर्तन करना या उन्हें फिर से अभिकल्पित करना होगा।

30-इस नियमावली में उपबंधित न की गयी किसी बात को राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण के समक्ष रखी जाएगी। ऐसे मामलों में विनिश्चय, अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप किये जायेंगे और तदनुसार संसूचित किये जायेंगे।

आज्ञा से,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट-(ए)

(नियम-4 देखें)

(उपयुक्त प्राधिकारी के गैर-अधिकारियों की योग्यता)

क्र०स०	नियम-3 में संदर्भित सदस्य	योग्यता
1	ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समिति के सदस्य खण्ड (ई) की धारा-3 की उप-धारा (2) में संदर्भित है।	सम्बन्धित ब्लॉक के खण्ड विकास अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग के एक प्रतिनिधि तथा कृषि विभाग के एक प्रतिनिधि को नामित करेंगे।
2	खण्ड पंचायत भूगर्भ जल उप समिति के सदस्य खण्ड (ई) की धारा-4 की उप-धारा (2) में संदर्भित है।	सम्बन्धित जिले के जिला अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग के एक प्रतिनिधि तथा कृषि विभाग के एक प्रतिनिधि को नामित करेंगे।
3	1-नगरपालिका जल प्रबंधन के दो सदस्यों को खण्ड-5 की उप-खण्ड (2) की उप-धारा (ग) में निर्दिष्ट है। 2-नगर जल प्रबंधन समिति के दो सदस्यों ने खंड -5 के उप-खंड (2) के उपखंड (घ) में संदर्भित किया। 3-नगर जल प्रबंधन समिति के तीन सदस्यों ने खंड-5 के उप-खंड (2) के उपखंड (ई) में संदर्भित किया।	जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश राज्य में जल संसाधनों के क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले दो सदस्यों को नामित करेगा। जिला मजिस्ट्रेट, निवासी कल्याण संघों/सामाजिक समूहों के दो सदस्यों को नामित करेंगे। संबन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट, भूगर्भ जल विभाग के एक प्रतिनिधि, लघु सिंचाई विभाग के एक प्रतिनिधि और कृषि विभाग के एक प्रतिनिधि को नामित करेंगे।
4	1- जिला भूजल प्रबंधन परिषद के सदस्य के रूप में एक विषय विशेषज्ञ का खंड-6 के उप-खंड (2) के धारा (सी) में उल्लेख किया गया है। 2- एक सदस्य ने खंड-6 के उप खंड (2) के धारा (डी) में संदर्भित किया गया है।	जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश राज्य में भूजल प्रबंधन में न्यूनतम दस साल के अनुभव के साथ-साथ सिविल विज्ञान/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक या पृथ्वी विज्ञान में स्नातकोत्तर विषय वाले एक विषय विशेषज्ञ को नामित करेगा। जिला मजिस्ट्रेट, सार्वजनिक/ गैर-सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को नामित करेगा।
5	1- राज्य भूजल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण के सदस्य के रूप में तीन विषय विशेषज्ञ धारा -7 के उप-खंड (2) के क्रम संख्या 16 में निर्दिष्ट हैं। 2- सार्वजनिक/गैर-सरकारी संगठन/ सामाजिक क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका धारा-7 के उप खंड (2) के क्रम संख्या 17 में उल्लेख किया है।	राज्य सरकार तीन विषय विशेषज्ञों को नामांकित करेगी, - 1- एक पर्यावरण विशेषज्ञ, जिसे पृथ्वी विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान में परास्नातक डिग्री के साथ-साथ भूजल प्रबंधन या प्रदूषण नियंत्रण में न्यूनतम पंद्रह वर्षों का अनुभव हो। 2- एक भूजल रसायनज्ञ, जिसे रसायन विज्ञान में परास्नातक डिग्री के साथ-साथ भूजल की गुणवत्ता के परीक्षण, विश्लेषण और व्याख्या के क्षेत्र में न्यूनतम पंद्रह वर्षों का अनुभव हो। 3- एक भूगर्भ जल विशेषज्ञ, जिसे पृथ्वी विज्ञान में मास्टर्स डिग्री या सिविल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री के साथ-साथ भूजल अन्वेषण और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जल विज्ञान स्थितियों से संबंधित प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम पंद्रह वर्षों का अनुभव हो। राज्य सरकार सार्वजनिक/गैर-सरकारी संगठन/ सामाजिक क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को नामांकित करेगी।

परिशिष्ट-(बी)

(नियम-27 देखें)

(अपराध के निराकरण के लिए आवेदन का प्रारूप)

क्र०सं०	विवरण	अभ्युक्ति
1	आवेदक का नाम	
2	अपराध *	
3	प्रकरण की स्थिति (अर्थात् विचारणीय/न्यायालय में लम्बित/दोषी/बरी हो चुका है।)	
4	प्रशमन हेतु औचित्य के साथ अपराधों का विवरण (अलग शीट)	
5	क्या आवेदक ने जुर्माने से संबंधित दंड की राशि और किसी अन्य राशि का भुगतान किया है?	
6	क्या आवेदक प्रशमन शुल्क का भुगतान करता है जैसा कि प्रशमन अधिकारी द्वारा सूचित किया जाएगा?	
7	क्या आवेदक के मामले में पहले भी समान अपराध दर्ज किए गए हैं। यदि हाँ, तो कितनी बार?	
8	क्या धारा 41 में उल्लिखित पहले अपराध की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन है?	
9	क्या आवेदक को दंडित किए जाने के लिए किए गए अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था?	

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं यहां यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर प्रस्तुत किए गए ब्योरे सही और सत्य हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी सूचना और विवरण को किसी भी स्तर पर जांच और जांच में गलत पाया गया है या उसके बाद, मेरा आवेदन अस्वीकार या रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

मैं सहमत हूँ

नोट :-

1. हर अपराध के लिए अलग आवेदन पत्र भरा जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विशेष/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
 (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
 (ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकापी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
 (ग) आवेदक द्वारा किए गए अपराध के खिलाफ जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा जारी नोटिस।
5. कंपाउंडिंग ऑफिसर को मामले की योग्यता का परीक्षण करने के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित है।

मैं सहमत हूँ

स्थान:-

दिनांक:-

हस्ताक्षर.....

वर्तमान पता.....

.....

* अपराध जिसके लिए कंपाउंडिंग की मांग की जाती है।

फार्म-1(ए)

{नियम-6(1)देखें}

(वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोगकर्ता)

श्री/श्रीमती :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

बुक सं०-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदन पत्र क्रम सं० :-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मौजूदा कुएं के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

(यू/एस 90 (9) या 99 (9) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 209E)

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ख) जन्मतिथि :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरुष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रियता :

(च) आवेदक का पता :

2. मौजूदा/प्रस्तावित कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/विजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं० /तह सं०

3. मौजूदा/प्रस्तावित कुओं का विवरण :
- (क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :
- (ख) कुएँ का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
- (ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :
- (घ) ट्यूब वेल के मामले में :
- (1) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :
- (2) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :
- (3) आवास पाइप और खाली पाइप की सामग्री: (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)
- (4) छलनी की सामग्री: (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)
- (ङ) डग वेल के मामले में:
- (1) डग वेल (मी0) का व्यास :
- (2) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा / पक्का
- (च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि 'हाँ', तो विवरण दें।
- | | |
|-----|------|
| हाँ | नहीं |
|-----|------|
4. मौजूदा / प्रस्तावित पंपिंग डिवाइस के विवरण:
- (क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
- (सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)
- (ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :
- (ग) पंप क्षमता (एम³/घंटा) :
- (घ) एच0पी0
- (ङ) ऑपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।
- (च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :
5. कुएँ की उपयोगिता के विवरण :
- (क) प्रस्तावित कुएँ का उद्देश्य :
- (औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोग/अन्य (कृपया टिक करें)
- (ख) वार्षिक चलने का समय :
- (ग) दैनिक चलने का समय :
- (घ) क्या क्षेत्र को पाइप के माध्यम से पानी की आपूर्ति प्राप्त होती है :
- हाँ/नहीं (कृपया एक टिक करें)
6. कृपया अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें(उद्योगों के लिए) :
- यदि, (क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :
- (बी) हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)
- यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।
- नोट: यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।
7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है
- हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

8. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :

(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान -

(1) रुपये :

(2) बाउचर सं० :

(3) दिनांक :

(ख) ट्रेजरी/उप-ट्रेजरी / P.S.U. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है -

(ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) -

9. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ

नोट :

1. प्रत्येक व्यक्ति के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जाँच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखें।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
 - (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
 - (ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
 - (ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें आइटम नंबर 2(ए),(बी) और (सी) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जाँच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ

फार्म-1(बी)

{नियम-6(2)देखें}

(केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण या भूगर्भ जल विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. वाले वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोगकर्ता)

श्री/श्रीमती :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

बुक सं०-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदन पत्र क्रम सं० :-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मौजूदा कुएं के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

(यू/एस 90 (9) या 99 (9) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ख) जन्मतिथि :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरुष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. मौजूदा/प्रस्तावित कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं० /तह सं०

3. मौजूदा/प्रस्तावित कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएँ का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएँ की लगभग गहराई (मी०) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

- (1) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी०) और व्यास (मिमी०) (यदि कोई हो) :
- (2) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :
- (3) आवास पाइप और खाली पाइप की सामग्री: (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)
- (4) छलनी की सामग्री: (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले में:

- (1) डग वेल (मी०) का व्यास :
- (2) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा / पक्का

(च) क्या कुएँ की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि 'हाँ', तो विवरण दें।

हाँ	नहीं
-----	------

4. मौजूदा / प्रस्तावित पंपिंग डिवाइस के विवरण:

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :

(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) क,लम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप क्षमता (एम³/घंटा) :

(घ) एच०पी०

(ङ) ऑपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

5. कुएँ की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएँ का उद्देश्य :

(औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/थोक उपयोग/अन्य (कृपया टिक करें))

(ख) वार्षिक चलने का समय :

(ग) दैनिक चलने का समय :

(घ) क्या क्षेत्र को पाइप के माध्यम से पानी की आपूर्ति प्राप्त होती है :

हाँ/नहीं (कृपया एक टिक करें)

6. कृपया केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण या भूगर्भ जल विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. का विवरण प्रस्तुत करें।

N.O.C. द्वारा जारी (कृपया एक टिक करें)

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण

भूगर्भ जल विभाग द्वारा

एन०ओ०सी० निर्गत करने का दिनांक -

एन०ओ०सी० समाप्त होने का दिनांक -

7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है

हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

8. कृपया अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें(उद्योगों के लिए) :
यदि, (क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :
(बी) हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)
यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।
- नोट: यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।
9. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :
(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान -
(1) रुपये :
(2) बाउचर सं0 :
(3) दिनांक :
(ख) ट्रेजरी/उप-ट्रेजरी / P.S.U. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है -
(ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) -
10. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ

नोट :

1. प्रत्येक कृओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखें।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
(क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
(ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
(ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें आइटम नंबर 2(ए), (बी) और (सी) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ

फार्म-1(सी)

{नियम-6(3)देखें}

(भूगर्भ जल का घरेलू या कृषि उपयोगकर्ता)

श्री/श्रीमती :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

बुक सं०-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदन पत्र क्रम सं० :-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मौजूदा कुएं के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

(यू/एस 90 (9) या 99 (9) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ख) जन्मतिथि :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरुष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. मौजूदा/प्रस्तावित कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं० /तह सं०

3. मौजूदा/प्रस्तावित कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएँ का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएँ की लगभग गहराई (मी०) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(1) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी०) और व्यास (मिमी०) (यदि कोई हो) :

(2) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(3) आवास पाइप और खाली पाइप की सामग्री: (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(4) छलनी की सामग्री: (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले में:

(1) डग वेल (मी०) का व्यास :

(2) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा / पक्का

(च) क्या कुएँ की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी

गई है। यदि 'हाँ', तो विवरण दें।

हाँ	नहीं
-----	------

4. मौजूदा / प्रस्तावित पंपिंग ड्रिवाइस के विवरण:

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :

(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप क्षमता (एम³/घंटा) :

(घ) एच०पी०

(ङ) ऑपरेशनल ड्रिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर /डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (विजली चालित पंप के मामले में) :

5. कुएँ की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएँ का उद्देश्य : (सिंचाई/घरेलू/अन्य (कृपया टिक करें)

(ख) पारम्परिक प्रतिभूवी क्षेत्र हे० में (सिंचाई कुओं के लिये) :

(ग) पारम्परागत साझेदार क्षेत्र स्वामी ऊपर प्रदर्शित 5(ख) के अनुसार :

(घ) उपरोक्त 5 (बी) में इंगित क्षेत्र में, विभिन्न फसल मौसमों में कुएँ द्वारा सिंचित क्षेत्र

(1) खरीफ- हे०

(2) रबी- हे०

(3) जायद- हे०

(ङ) कुल वार्षिक चलने का समय (सिंचाई के मामले में) :

(च) घरेलू उपयोग के मामले में दैनिक चलने का समय :

6. क्या आवासीय परिसर का भूखंड का आकार 300 वर्ग मीटर से अधिक है? (केवल घरेलू उपयोगकर्ता के लिए)
: हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है
हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

8. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ

नोट :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जाँच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखें।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
 (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
 (ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
 (ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें आइटम नंबर 2(ए), (बी) और (सी) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जाँच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ

3. प्रस्तावित कुओं का विवरण :

- (क) कुएं के निर्माण/स्रोत आने की तिथि :
- (ख) कुएँ का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/वोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
- (ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :
- (घ) ट्यूब वेल के मामले में :
- (1) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :
 - (2) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :
 - (3) आवास पाइप और खाली पाइप की सामग्री: (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)
 - (4) छलनी की सामग्री: (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)
- (ङ) डग वेल के मामले में:
- (1) डग वेल (मी0) का व्यास :
 - (2) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा / पक्का
- (च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि 'हाँ', तो विवरण दें।

हाँ	नहीं
-----	------

4. प्रस्तावित पंपिंग डिवाइस के विवरण:

- (क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
- (सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)
- (ख) कालम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :
- (ग) पंप क्षमता (एम³/घंटा) :
- (घ) एच0पी0
- (ङ) आपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।
- (च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

5. कुएँ की उपयोगिता के विवरण :

- (क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य : (सिंचाई/घरेलू/अन्य (कृपया टिक करें))
- (ख) पारम्परिक प्रतिभूवी क्षेत्र हे0 में (सिंचाई कुओं के लिये) :
- (ग) पारम्परागत साझेदार क्षेत्र स्वामी ऊपर प्रदर्शित 5(ख) के अनुसार :
- (घ) उपरोक्त 5 (बी) में इंगित क्षेत्र में, विभिन्न फसल मौसमों में कुएं द्वारा सिंचित क्षेत्र
- (1) खरीफ- हे0
 - (2) रबी- हे0
 - (3) जायद- हे0

(ङ) कुल वार्षिक चलने का समय (सिंचाई के मामले में) :

(च) घरेलू उपयोग के मामले में दैनिक चलने का समय :

6. क्या आवासीय परिसर का भूखंड का आकार 300 वर्ग मीटर से अधिक है? (केवल घरेलू उपयोगकर्ता के लिए)
: हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है
हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

8. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ

नोट :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखें।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
 (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
 (ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
 (ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें आइटम नंबर 2(ए), (बी) और (सी) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ

फार्म-2(ए)

{नियम-7(1)देखें}

(अधिसूचित क्षेत्र में वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोगकर्ता के पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन)

श्री/श्रीमती :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

बुक सं०-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदन पत्र क्रम सं० :-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र

(यू/एस 90 (9) या 99 (9) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 209६)

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ख) जन्मतिथि :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरुष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. मौजूदा कुओं के पंजीकरण का विवरण :

(अ) पंजीकरण संख्या -

(ब) पंजीकरण का दिनांक-

3. पंजीकृत मौजूदा कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/विजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं० /तह सं०

4. पंजीकृत मौजूदा कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएँ का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी०) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(1) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी०) और व्यास (मिमी०) (यदि कोई हो) :

(2) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(3) आवास पाइप और खाली पाइप की सामग्री: (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(4) छलनी की सामग्री: (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले में:

(1) डग वेल (मी०) का व्यास :

(2) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा / पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी

गई है। यदि 'हाँ', तो विवरण दें।

हाँ	नहीं
-----	------

5. मौजूदा पंपिंग डिवाइस के विवरण:

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :

(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप क्षमता (एम³/घंटा) :

(घ) एच०पी०

(ङ) आपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (विजली चालित पंप के मामले में) :

6. कुएँ की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य :

(औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोग/अन्य (कृपया टिक करें))

(ख) कुल वार्षिक चलने का समय :

(ग) दैनिक चलने का समय :

(घ) क्या क्षेत्र को पाइप जलापूर्ति के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त होती है : हाँ/नहीं (कृपया एक टिक करें)

7. पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन का विवरण :

8. पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन का कारण :

9. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है :

हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

10. कृपया अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें(उद्योगों के लिए) :
- यदि, (क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :
- (बी) हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)
- यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।
- नोट: यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।
11. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :
- (क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान -
- (1) रुपये :
- (2) बाउचर सं0 :
- (3) दिनांक :
- (ख) ट्रेजरी/उप-ट्रेजरी / P.S.U. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है -
- (ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) -
12. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है।

मैं सहमत हूँ

नोट :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखें।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
 - (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
 - (ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
 - (ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें आइटम नंबर 2(ए), (बी) और (सी) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 25 फरवरी, 2020

33

फार्म-2(बी)

{नियम-7(2)देखें}

(गैर-अधिसूचित क्षेत्र में औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता के पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन)

श्री/श्रीमती :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

बुक सं०-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदन पत्र क्रम सं० :-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र

(यू/एस 90 (9) या 99 (9) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 209६)

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ख) जन्मतिथि :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरुष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रियता :

(च) आवेदक का पता :

2. मौजूदा कुओं के पंजीकरण का विवरण :

(अ) पंजीकरण संख्या -

(ब) पंजीकरण का दिनांक-

3. पंजीकृत मौजूदा कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

- (स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :
- (द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं० /तह सं०
4. पंजीकृत मौजूदा कुओं का विवरण :
- (क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :
- (ख) कुएँ का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
- (ग) कुएं की लगभग गहराई (मी०) :
- (घ) ट्यूब वेल के मामले में :
- (1) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी०) और व्यास (मिमी०) (यदि कोई हो) :
- (2) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :
- (3) आवास पाइप और खाली पाइप की सामग्री: (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)
- (4) छलनी की सामग्री: (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)
- (ङ) डग वेल के मामले में:
- (1) डग वेल (मी०) का व्यास :
- (2) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा / पक्का
- (च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि 'हाँ', तो विवरण दें।
- | | |
|-----|------|
| हाँ | नहीं |
|-----|------|
5. मौजूदा पंपिंग डिवाइस के विवरण:
- (क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
- (सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)
- (ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :
- (ग) पंप क्षमता (एम³/घंटा) :
- (घ) एच०पी०
- (ङ) ऑपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।
- (च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :
6. कुएँ की उपयोगिता के विवरण :
- (क) प्रस्तावित कुएँ का उद्देश्य :
- (औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोग/अन्य (कृपया टिक करें)
- (ख) कुल वार्षिक चलने का समय :
- (ग) दैनिक चलने का समय :
- (घ) क्या क्षेत्र को पाइपड जलापूर्ति के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त होती है/नहीं (कृपया एक टिक करें)
7. पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन का विवरण :
8. पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन का कारण :
9. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है
- हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

10. कृपया अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें(उद्योगों के लिए) :
- यदि, (क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :
- (बी) हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)
- यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।
- नोट: यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।
11. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :
- (क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान -
- (1) रुपये :
- (2) बाउचर सं० :
- (3) दिनांक :
- (ख) ट्रेजरी/उप-ट्रेजरी / P.S.U. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है -
- (ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) -
12. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ

नोट :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जाँच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखें।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
 - (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
 - (ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
 - (ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें आइटम नंबर 2(ए), (बी) और (सी) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ

फार्म-3(ए)

(औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता)

{नियम-8(1)देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

मौजूदा/नये कुओं के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

(यू/एस 90 (9) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 209६)

पंजीकरण सं०.....

1. (क) आवेदक का नाम : श्री/श्रीमती.....
- (ख) पिता का नाम :
- (ग) आवेदक का पता :
- (घ) आवेदन पत्र का क्रमांक तथा जमा करने की तिथि :
- (ङ) हस्ताक्षर नमूना :
2. स्थान का विवरण :
 - (क) जिला :
 - (ख) विकास खण्ड :
 - (ग) प्लॉट संख्या :
 - (घ) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं० /तह सं०
3. मौजूदा कुएँ एवं पम्पिंग डिवाइस का विवरण :
 - (क) कुएँ के निर्माण/स्रोत आने की तिथि :
 - (ख) कुएँ का प्रकार :
 - (ग) कुएँ की गहराई (मी०) :
 - (घ) कुएँ का उद्देश्य :
 - (च) निर्माण आकार (नलकूप के लिये)
 - (छ) छलनी की स्थिति (नलकूप के लिये)
 - (ज) व्यास (ड्रगवेल के लिये)
 - (झ) उपयोग में लाये जा रहे पम्प का प्रकार :
 - (ट) पम्प का एच०पी० :
 - (ठ) संचालन उपकरण :
 - (ड) निकालने की दर (मी³/घण्टे)
 - (ढ) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

पंजीकरण का यह प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है, जो ओवरलीफ शर्तों के अनुसार है।

स्थान :

दिनांक :

आपका आभारी,
जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर
और पदनाम

शर्तें :-

- (1) निकाले गए भूजल की मात्रा को मापने और रिकार्ड करने के उद्देश्य से, प्रत्येक उपयोगकर्ता ने पानी के मीटर की पुष्टि की होगी, जो पंपिंग उपकरणों के आउटलेट पर दर और निष्कर्षण की मात्रा रिकार्ड करता है, और यह माना जाएगा कि मीटर द्वारा दर्ज की गई मात्रा जब तक विपरीत साबित न हो जाए, उक्त उपयोगकर्ता द्वारा निकाला गया है। आइटम 3 (क) में दिखाए गए कुएं से भूजल के निष्कर्षण की दर पानी के मीटर से दर्ज की गई दर से अधिक नहीं होगी।
- (2) जिला भूजल प्रबंधन परिषद, अगर स्थिति की मांग है, तो गुणवत्ता के खतरों या किसी अन्य कारणों से कुओं से भूजल के निकासी को रोकने का अधिकार सुरक्षित है।
- (3) मौजूदा कुओं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में, नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा।
- (4) इस प्रमाणपत्र के क्रमांक (2) और (3) में दर्शाए गए मौजूदा कुएं के संबंध में स्थान, डिजाइन, निकासी की दर और पंपिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी विचलन इस पंजीकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।
- (5) यदि इस पंजीकरण को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए किसी विवरण/सूचना को बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाया जाता है, तो यह पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
- (6) पीजोमीटर का निर्माण और टेलीमेट्री के साथ डिजिटल जल स्तर रिकार्डर की स्थापना उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य होगी। पीजोमीटर की गहराई और जोन का दोहन पंपिंग कुओं के साथ किया जाना चाहिए। डिजिटल जल स्तर रिकार्डर से प्राप्त डेटा, मासिक आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (7) पीजोमीटर की स्थापना और उनकी निगरानी के लिए दिशा निर्देश :-

पीजोमीटर एक बोरवेल/ट्यूबवेल है जिसका उपयोग केवल टेप/साउंडर या स्वचालित जल स्तर मापने वाले उपकरण को कम करके पानी के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। जब भी जरूरत हो पानी के गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पीजोमीटर की स्थापना के लिए सामान्य दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं :

- पंपिंग कुएं से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर पीजोमीटर स्थापित /निर्माण किया जाना है, जिसके माध्यम से भूजल निकाला जा रहा है। पीजोमीटर का व्यास लगभग 4" से 6" होना चाहिए।
- पीजोमीटर की गहराई समान होनी चाहिए क्योंकि पंपिंग कुएं के मामले में जहां से भूजल का सार हो रहा है। यदि, एक से अधिक पीजोमीटर स्थापित हैं, तो दूसरे पीजोमीटर को उथले भूजल की निगरानी करनी चाहिए। यह उथले के साथ-साथ गहरे भूजल जलभरण निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा।
- मापने की आवृत्ति मासिक होनी चाहिए और माप की सटीकता सेमी तक होनी चाहिए। सूचित माप दो दशमलव तक मीटर में दिया जाना चाहिए।
- जल स्तर साउंडर या स्वचालित जल स्तर रिकार्डर (AWLR)/डिजिटल स्वचालित जल स्तर रिकार्डर (बॅस्) की माप के लिए टेलीमेट्री सिस्टम का उपयोग सटीकता के लिए किया जाना चाहिए।
- पीजोमीटर में जल स्तर का माप लिया जाना चाहिए, इसके बाद ही आसपास के नलकूपों से पंपिंग लगभग चार से छह घंटे के लिए रोक दी गई है।
- निर्देशांक, कम स्तर (मतलब स्तर के संबंध में), गहराई, जोन टेप और असेंबली कम के बारे में सभी विवरण पाईजोमीटर को भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, और इसके सत्यापन के लिए हाइड्रोग्राफ मानिटरिंग सिस्टम में लाने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

- प्री-मानसून (मई/जून) और पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवंबर) अवधि के दौरान भूजल की गुणवत्ता को एक वर्ष में दो बार मॉनिटर करना पड़ता है। एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला से गुणवत्ता का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा, एक नमूना (1 लीटर क्षमता की बोतल) संबंधित निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश को रासायनिक विश्लेषण के लिए।
- स्थान, पाईजोमीटर/ट्यूबवेल नंबर, मानक संदर्भ और पहचान के लिए पाईजोमीटर/ट्यूबवेल की गहराई और जोन टैप किए जाने के लिए पाईजोमीटर/ट्यूबवेल साइट पर एक स्थायी डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।
- माप के लिए सुरक्षा और पहुंच के संबंध में किसी अन्य साइट की विशिष्ट आवश्यकता का ध्यान रखा जा सकता है।

(8) जिला भूजल प्रबंधन परिषद द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाया जा सकता है।

कार्यालय की मोहर

फार्म-3(बी)

(केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा या भूजल विभाग द्वारा जारी N.O.C. वाले
औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता)

{नियम-8(2)देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

मौजूदा/नये कुओं के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

(यू/एस 10(1) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

पंजीकरण सं०.....

4. (क) आवेदक का नाम : श्री/श्रीमती.....
 (ख) पिता का नाम :
 (ग) आवेदक का पता :
 (घ) आवेदन पत्र का क्रमांक तथा जमा करने की तिथि :
 (ङ) हस्ताक्षर नमूना :
5. स्थान का विवरण :
 (क) जिला :
 (ख) विकास खण्ड :
 (ग) प्लॉट संख्या :
 (घ) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं० /तह सं०
6. मौजूदा कुएं एवं पम्पिंग डिवाइस का विवरण :
 (क) कुएं के निर्माण/स्रोत आने की तिथि :
 (ख) कुएं का प्रकार :
 (ग) कुएं की गहराई (मी०) :
 (घ) कुएं का उद्देश्य :
 (च) निर्माण आकार (नलकूप के लिये)
 (छ) छलनी की स्थिति (नलकूप के लिये)
 (ज) व्यास (डग वेल के लिये)
 (झ) उपयोग में लाये जा रहे पम्प का प्रकार :
 (ट) पम्प का एच०पी० :
 (ठ) संचालन उपकरण :
 (ड) निकालने की दर (मी³/घण्टे)
 (ढ) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

पंजीकरण का यह प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है, जो ओवरलीफ शर्तों के अनुसार है।

स्थान :

दिनांक :

आपका आभारी,
जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर
और पदनाम

शर्तें :-

- (1) निकाले गए भूजल की मात्रा को मापने और रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से, प्रत्येक उपयोगकर्ता ने पानी के मीटर की पुष्टि की होगी, जो पम्पिंग उपकरणों के आउटलेट पर दर और निष्कर्षण की मात्रा रिकॉर्ड करता है और यह माना जाएगा कि मीटर द्वारा दर्ज की गई मात्रा जब तक विपरीत साबित न हो जाए, उक्त उपयोगकर्ता द्वारा निकाला गया है। आइटम 3 (क) में दिखाए गए कुएं से भूजल के निष्कर्षण की दर पानी के मीटर से दर्ज की गई दर से अधिक नहीं होगी।
- (2) जिला भूजल प्रबंधन परिषद, अगर स्थिति की मांग है, तो गुणवत्ता के खतरों या किसी अन्य कारणों से कुओं से भूजल के निकासी को रोकने का अधिकार सुरक्षित है।
- (3) मौजूदा कुओं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में, नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा।
- (4) इस प्रमाणपत्र के क्रमांक (2) और (3) में दर्शाए गए मौजूदा कुएं के सम्बन्ध में स्थान, डिजाइन, निकासी की दर और पम्पिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में कोई भी विचलन इस पंजीकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।
- (5) यदि इस पंजीकरण को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए किसी विवरण/सूचना को बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाया जाता है, तो यह पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
- (6) पीजोमीटर का निर्माण और टेलीमेट्री के साथ डिजिटल जल स्तर रिकार्डर की स्थापना उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य होगी। पीजोमीटर की गहराई और जोन का दोहन पम्पिंग कुओं के साथ किया जाना चाहिए। डिजिटल जल स्तर रिकार्डर से प्राप्त डेटा, मासिक आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (7) पीजोमीटर की स्थापना और उनकी निगरानी के लिए दिशा निर्देश :-

पीजोमीटर एक बोरवेल/ट्यूबवेल है जिसका उपयोग केवल टेप/साउंडर या स्वचालित जल स्तर मापने वाले उपकरण को कम करके पानी के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। जब भी जरूरत हो पानी के गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पीजोमीटर की स्थापना के लिए सामान्य दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं :

- पम्पिंग कुएं से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर पीजोमीटर स्थापित/निर्माण किया जाना है, जिसके माध्यम से भूजल निकाला जा रहा है। पीजोमीटर का व्यास लगभग 4" से 6" होना चाहिए।
- पीजोमीटर की गहराई समान होनी चाहिए क्योंकि पम्पिंग कुएं के मामले में जहां से भूजल का सार हो रहा है। यदि, एक से अधिक पीजोमीटर स्थापित हैं, तो दूसरे पीजोमीटर को उथले भूजल की निगरानी करनी चाहिए। यह उथले के साथ-साथ गहरे भूजल जलभरण निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा।
- मापने की आवृत्ति मासिक होनी चाहिए और माप की सटीकता सेमी तक होनी चाहिए। सूचित माप दो दशमलव तक मीटर में दिया जाना चाहिए।
- जल स्तर साउंडर या स्वचालित जल स्तर रिकार्डर (AWLR)/डिजिटल स्वचालित जल स्तर रिकार्डर (DWLR) की माप के लिए टेलीमेट्री सिस्टम का उपयोग सटीकता के लिए किया जाना चाहिए।
- पीजोमीटर में जल स्तर का माप लिया जाना चाहिए, इसके बाद ही आसपास के नलकूपों से पम्पिंग लगभग चार से छह घंटे के लिए रोक दी गई है।
- निर्देशांक, कम स्तर (मतलब स्तर के सम्बन्ध में), गहराई, जोन टेप और असेम्बली कम के बारे में सभी विवरण पाईजोमीटर को भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, और इसके सत्यापन के लिए हाइड्रोग्राफ मॉनिटरिंग सिस्टम में लाने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

- ग्री-मानसून (मई/जून) और पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवंबर) अवधि के दौरान भूजल की गुणवत्ता को एक वर्ष में दो बार मॉनिटर करना पड़ता है। एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला से गुणवत्ता का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा, एक नमूना (1 लीटर क्षमता की बोतल) सम्बन्धित निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश को रासायनिक विश्लेषण के लिए।
- स्थान, पाईजोमीटर/ट्यूबवेल नंबर, मानक संदर्भ और पहचान के लिए पाईजोमीटर/ट्यूबवेल की गहराई और जोन टैप किए जाने के लिए पाईजोमीटर/ट्यूबवेल साइट पर एक स्थायी डिस्टले बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।
- माप के लिए सुरक्षा और पहुंच के सम्बन्ध में किसी अन्य साइट की विशिष्ट आवश्यकता का ध्यान रखा जा सकता है।

(8) जिला भूजल प्रबंधन परिषद द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाया जा सकता है।

कार्यालय की मोहर

फार्म-3(बी)

(घरेलू एवं कृषि उपयोगकर्ता)
{नियम-8(3), नियम-8(4), देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

मौजूदा/नये कुओं के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

(यू/एस 10 (1) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

पंजीकरण सं०.....

7. (क) आवेदक का नाम : श्री/श्रीमती.....
- (ख) पिता का नाम :
- (ग) आवेदक का पता :
- (घ) आवेदन पत्र का क्रमांक तथा जमा करने की तिथि :
- (ङ) हस्ताक्षर नमूना :
8. स्थान का विवरण :
 - (क) जिला :
 - (ख) विकास खण्ड :
 - (ग) प्लॉट संख्या :
 - (घ) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं० /तह सं०
9. मौजूदा कुएं एवं पम्पिंग डिवाइस का विवरण :
 - (क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :
 - (ख) कुएं का प्रकार :
 - (ग) कुएं की गहराई (मी०) :
 - (घ) कुएं का उद्देश्य :
 - (च) निर्माण आकार (नलकूप के लिये)
 - (छ) छलनी की स्थिति (नलकूप के लिये)
 - (ज) व्यास (डगवेल के लिये)
 - (झ) उपयोग में लाये जा रहे पम्प का प्रकार :
 - (ट) पम्प का एच०पी० :
 - (ठ) संचालन उपकरण :
 - (ड) निकालने की दर (मी³/घण्टे)
 - (ढ) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

पंजीकरण का यह प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है, जो ओवरलीफ शर्तों के अनुसार है।

स्थान :

दिनांक :

आपका आभारी,
जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर
और पदनाम

शर्तें :-

- (1) जिला भूजल प्रबंधन परिषद, अगर स्थिति की मांग है, तो गुणवत्ता के खतरों या किसी अन्य कारणों से कुओं से भूजल के निकासी को रोकने का अधिकार सुरक्षित है।
- (2) मौजूदा कुओं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में, नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा।
- (3) इस प्रमाणपत्र के क्रमांक (2) और (3) में दर्शाए गए मौजूदा कुएं के सम्बन्ध में स्थान, डिजाइन, निकासी की दर और पम्पिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में कोई भी विचलन इस पंजीकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।
- (4) यदि इस पंजीकरण को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए किसी विवरण/सूचना को बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाया जाता है, तो यह पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
- (5) जिला भूजल प्रबंधन परिषद द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाया जा सकता है।

कार्यालय की मोहर

फार्म-4(ए)

{नियम-8(2), देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

कुएँ के पंजीकरण हेतु आवेदन के अस्वीकृति-पत्र

(यू/एस 10(1) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

संख्या :

दिनांक :

सेवा में,

श्री/श्रीमती.....

विषय : कुएँ के पंजीकरण के अनुदान के लिए आपके आवेदन की अस्वीकृति।

संदर्भ : आपका आवेदन संख्या : जमा करने का दिनांक :

महोदय/महोदया,

आपको सूचित करना है कि आपका आवेदन संख्या.....दिनांक.....

जो कुएँ के पंजीकरण के अनुदान के लिए प्रेषित किया गया है, निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जाता है :

- (1) अपूर्ण आवेदन।
- (2) अपेक्षित दस्तावेजों को जमा नहीं करना।
- (3) अपेक्षित आवेदन-शुल्क के भुगतान में कमी।
- (4) आवेदन-शुल्क गलत मद में जमा करने के कारण।
- (5) अन्य।

आपका आभारी,
जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर

3. पंजीकृत मौजूदा कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएँ का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(1) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :

(2) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(3) आवास पाइप और खाली पाइप की सामग्री: (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(4) छलनी की सामग्री: (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले में:

(1) डग वेल (मी0) का व्यास :

(2) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा / पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी

गई है। यदि 'हाँ', तो विवरण दें।

हाँ	नहीं
-----	------

4. मौजूदा पंपिंग डिवाइस के विवरण:

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :

(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप क्षमता (एम³/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) ऑपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

5. कुएँ की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य :

(औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोग/अन्य (कृपया टिक करें))

(ख) कुल वार्षिक चलने का समय :

(ग) दैनिक चलने का समय :

(घ) क्या क्षेत्र को पाइपड जलापूर्ति के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त होती है। हाँ/नहीं (कृपया एक टिक करें)

6. कृपया अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें(उद्योगों के लिए) :

यदि, (क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :

(बी) हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।

नोट: यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है

हाँ / नहीं (कृपया टिक करें)

8. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :

(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान -

(1) रुपये :

(2) बाउचर सं० :

(3) दिनांक :

(ख) ट्रेजरी/उप-ट्रेजरी / P.S.U. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है -

(ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) -

9. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ

नोट :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि नये कुओं के प्रधिकृत/अनापत्ति प्रमाण के आवेदन हेतु किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये (N.A.) लिखें।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
(क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
(ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
(ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें आइटम नंबर 2(ए), (बी) और (सी) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ

फार्म-8(बी)
{नियम-14(1)देखें}

श्री/श्रीमती :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

बुक सं०-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदन पत्र क्रम सं० :-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

गैर-अधिसूचित क्षेत्र हेतु किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता द्वारा कुओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र
(यू/एस 14 उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ख) जन्मतिथि :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरुष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. प्रस्तावित कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं० /तह सं०

3. पंजीकृत मौजूदा कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएँ का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(1) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :

(2) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(3) आवास पाइप और खाली पाइप की सामग्री: (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(4) छलनी की सामग्री: (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले में:

(1) डग वेल (मी0) का व्यास :

(2) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा / पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी

गई है। यदि 'हाँ', तो विवरण दें।

हाँ	नहीं
-----	------

4. मौजूदा पंपिंग डिवाइस के विवरण:

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :

(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप क्षमता (एम³/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) ऑपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

5. कुएँ की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य :

(औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोग/अन्य (कृपया टिक करें)

(ख) कुल वार्षिक चलने का समय :

(ग) दैनिक चलने का समय :

(घ) क्या क्षेत्र को पाइप जलापूर्ति के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त होती है: हाँ/नहीं (कृपया एक टिक करें)

6. कृपया अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें (उद्योगों के लिए) :

यदि, (क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :

(बी) हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।

नोट: यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है

हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

8. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :

(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान -

(1) रुपये :

(2) बाउचर सं० :

(3) दिनांक :

(ख) ट्रेजरी/उप-ट्रेजरी / P.S.U. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है -

(ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) -

9. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ

नोट :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जाँच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि नये कुओं के प्रधिकृत/अनापत्ति प्रमाण के आवेदन हेतु किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखें।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
(क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
(ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
(ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें आइटम नंबर 2(ए), (बी) और (सी) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ

फार्म-8(सी)

{नियम-15(1)देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता को नये कुओं के लिये प्राधिकृत/अनापत्ति
प्रमाण पत्र

(यू/एस 14 उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

प्राधिकृत/अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या :

तक के लिये वैध :

1. (क) आवेदक का नाम (उपभोगता) : श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री.....
(ख) आवेदक का पता :
(ग) किसान की श्रेणी (कृपया टिक करें) : छोटे किसान/सीमांत किसान/अन्य
(घ) आवेदन संख्या का क्रमांक तथा जमा करने की तिथि :
(च) आवेदक का हस्ताक्षर नमूना :
2. स्थान का विवरण :
(क) जिला
(ख) विकास खण्ड
(ग) प्लॉट संख्या
(घ) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं० /तह सं०
3. मौजूदा कुएँ एवं पम्पिंग डिवाइस का विवरण :
(क) कुएँ का प्रकार :
(ख) कुएँ की लगभग गहराई (मी०)
(ग) कुएँ का उद्देश्य :
(घ) निर्माण आकार (नलकूप के लिये)
(च) छलनी की स्थिति (नलकूप के लिये)
(छ) व्यास (डग वेल के लिये)
(ज) उपयोग में लाये जा रहे पम्प का प्रकार :
(झ) पम्प का एच०पी० :
(ट) संचालन उपकरण :
(ठ) निकासी के दर की अधिकतम सीमा (मी³/घण्टे)
(ड) दैनिक चलने की अधिकतम सीमा
(ढ) भूगर्भ जल के वार्षिक निकासी की अधिकतम सीमा

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक (उपयोगकर्ता) को सीरियल नंबर (2) में निर्दिष्ट स्थान पर एक कुएँ के लिए अधिकृत करता है, जो भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए, जैसा कि सीरियल नंबर (3जे) में दिखाया गया है, दर से अधिक नहीं है, जो जैसा कि सीरियल नंबर (3क) में दिखाया गया है, घंटे/दिन चल रहा है और सीरियल नंबर (3क) में दिखाए गए अनुसार भूजल के अधिकतम स्वीकार्य वार्षिक निष्कर्षण के लिए है। इस ओवरलीफ में कही गयी शर्तों के पालन के लिए मान्य है।

आपका आभारी,
जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर
और पदनाम

शर्तें :-

- (1) प्रस्तावित कुएं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में, नया प्राधिकरण प्राप्त करना होगा।
- (2) इस प्रमाणपत्र के क्रमांक (2) और (3) में दर्शाए गए मौजूदा कुएं के संबंध में स्थान, डिजाइन, निकासी की दर और पंपिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी विचलन इस प्राधिकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।
- (3) निकाले गए भूजल की मात्रा को मापने और रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से, प्रत्येक उपयोगकर्ता ने पानी के मीटर की पुष्टि की होगी, जो पंपिंग उपकरणों के आउटलेट पर दर और निष्कर्षण की मात्रा रिकॉर्ड करता है और यह माना जाएगा कि मीटर द्वारा दर्ज की गई मात्रा जब तक विपरीत साबित न हो जाए, उक्त उपयोगकर्ता द्वारा निकाला गया है। आइटम 3 (क) में दिखाए गए कुएं से भूजल के निष्कर्षण की दर पानी के मीटर से दर्ज की गई दर से अधिक नहीं होगी।
- (4) जिला भूजल प्रबंधन परिषद, अगर स्थिति की मांग है, तो गुणवत्ता के खतरों या किसी अन्य कारणों से कुओं से भूजल के निकासी को रोकने का अधिकार सुरक्षित है।
- (5) प्रस्तावित कुएं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में, नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा।
- (6) इस प्रमाणपत्र के क्रमांक (2) और (3) में दर्शाए गए मौजूदा कुएं के संबंध में स्थान, डिजाइन, निकासी की दर और पंपिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी विचलन इस प्राधिकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।
- (7) यदि इस पंजीकरण को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए किसी विवरण/सूचना को बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाया जाता है, तो यह पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
- (8) प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- (9) पीजोमीटर का निर्माण और टेलीमेट्री के साथ डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर की स्थापना उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य होगी। पीजोमीटर की गहराई और जोन का दोहन पंपिंग कुओं के साथ किया जाना चाहिए। डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर से प्राप्त डेटा, मासिक आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (10) पीजोमीटर की स्थापना और उनकी निगरानी के लिए दिशा निर्देश :-

पीजोमीटर एक बोरवेल/ट्यूबवेल है जिसका उपयोग केवल टेप/साउंडर या स्वचालित जल स्तर मापने वाले उपकरण को कम करके पानी के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। जब भी जरूरत हो पानी के गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पीजोमीटर की स्थापना के लिए सामान्य दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं :

- पंपिंग कुएं से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर पीजोमीटर स्थापित/निर्माण किया जाना है, जिसके माध्यम से भूजल निकाला जा रहा है। पीजोमीटर का व्यास लगभग 4" से 6" होना चाहिए।
- पीजोमीटर की गहराई समान होनी चाहिए क्योंकि पंपिंग कुएं के मामले में जहां से भूजल का सार हो रहा है। यदि, एक से अधिक पीजोमीटर स्थापित हैं, तो दूसरे पीजोमीटर को उथले भूजल की निगरानी करनी चाहिए। यह उथले के साथ-साथ गहरे भूजल जलभरण निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा।
- मापने की आवृत्ति मासिक होनी चाहिए और माप की सटीकता सेमी तक होनी चाहिए। सूचित माप दो दशमलव तक मीटर में दिया जाना चाहिए।
- जल स्तर साउंडर या स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर (AWLR)/डिजिटल स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर (DWLR) की माप के लिए टेलीमेट्री सिस्टम का उपयोग सटीकता के लिए किया जाना चाहिए।

- पीजोमीटर में जल स्तर का माप लिया जाना चाहिए, इसके बाद ही आसपास के नलकूपों से पंपिंग लगभग चार से छह घंटे के लिए रोक दी गई है।
 - निर्देशांक, कम स्तर (मतलब स्तर के संबंध में), गहराई, जोन टैप और असेंबली कम के बारे में सभी विवरण पाईजोमीटर को भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, और इसके सत्यापन के लिए हाइड्रोग्राफ मॉनिटरिंग सिस्टम में लाने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
 - ग्री-मानसून (मई/जून) और पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवंबर) अवधि के दौरान भूजल की गुणवत्ता को एक वर्ष में दो बार मॉनिटर करना पड़ता है। एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला से गुणवत्ता का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा, एक नमूना (1 लीटर क्षमता की बोतल) संबंधित निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश को रासायनिक विश्लेषण के लिए।
 - स्थान, पाईजोमीटर/ट्यूबवेल नंबर, मानक संदर्भ और पहचान के लिए पाईजोमीटर/ट्यूबवेल की गहराई और जोन टैप किए जाने के लिए पाईजोमीटर/ट्यूबवेल साइट पर एक स्थायी डिस्टले बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।
 - माप के लिए सुरक्षा और पहुंच के संबंध में किसी अन्य साइट की विशिष्ट आवश्यकता का ध्यान रखा जा सकता है।
- (11) जिला भूजल प्रबंधन परिषद द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाया जा सकता है।
- (12) यदि इस परमिट को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई विशेष जानकारी, जो किसी भी बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाई जाती है, यह परमिट रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

कार्यालय की मोहर

फार्म-8(ई)

{नियम-15(2)देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता को नये कुओं के लिये प्राधिकृत/अनापत्तिप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

प्राधिकृत/अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या :

तक के लिये वैध :

1. (क) आवेदक का नाम (उपभोगता) : श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री.....
(ख) आवेदक का पता :
(ग) किसान की श्रेणी (कृपया टिक करें) : छोटे किसान/सीमांत किसान/अन्य
(घ) आवेदन संख्या का क्रमांक तथा जमा करने की तिथि :
(च) आवेदक का हस्ताक्षर नमूना :
2. कृपया केंद्रीय भूजल प्राधिकरण या भूजल विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. का विवरण प्रस्तुत करें।
एनओसी निर्गत किया गया (कृपया टिक करें) :

केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण

भूगर्भ जल विभाग

3. स्थान का विवरण :
(क) जिला
(ख) विकास खण्ड
(ग) प्लॉट संख्या
(घ) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं० /तह सं०
4. मौजूदा कुएँ एवं पम्पिंग डिवाइस का विवरण :
(क) कुएँ का प्रकार :
(ख) कुएँ की लगभग गहराई (मी०)
(ग) कुएँ का उद्देश्य :
(घ) निर्माण आकार (नलकूप के लिये)
(च) छलनी की स्थिति (नलकूप के लिये)
(छ) व्यास (डग वेल के लिये)
(ज) उपयोग में लाये जा रहे पम्प का प्रकार :
(झ) पम्प का एचपी
(ट) संचालन उपकरण :
(ठ) निकासी के दर की अधिकतम सीमा (मी³/घण्टे)
(ड) दैनिक चलने की अधिकतम सीमा
(ढ) भूगर्भ जल के वार्षिक निकासी की अधिकतम सीमा

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक (उपयोगकर्ता) को सीरियल नंबर (2) में निर्दिष्ट स्थान पर एक कुएं के लिए अधिकृत करता है, जो भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए, जैसा कि सीरियल नंबर (3जे) में दिखाया गया है, दर से अधिक नहीं है, जो जैसा कि सीरियल नंबर (3क) में दिखाया गया है, घंटे/दिन चल रहा है और सीरियल नंबर (3क) में दिखाए गए अनुसार भूजल के अधिकतम स्वीकार्य वार्षिक निष्कर्षण के लिए है। इस ओवरलीफ में कही गयी शर्तों के पालन के लिए मान्य है।

आपका आभारी,

जारी करने वाले प्राधिकारी का

हस्ताक्षर

और पदनाम

शर्तें :-

- (1) प्रस्तावित कुएं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में, नया प्राधिकरण प्राप्त करना होगा।
- (2) इस प्रमाणपत्र के क्रमांक (2) और (3) में दर्शाए गए मौजूदा कुएं के संबंध में स्थान, डिजाइन, निकासी की दर और पंपिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी विचलन इस प्राधिकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।
- (3) निकाले गए भूजल की मात्रा को मापने और रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से, प्रत्येक उपयोगकर्ता ने पानी के मीटर की पुष्टि की होगी, जो पंपिंग उपकरणों के आउटलेट पर दर और निष्कर्षण की मात्रा रिकॉर्ड करता है और यह माना जाएगा कि मीटर द्वारा दर्ज की गई मात्रा जब तक विपरीत साबित न हो जाए, उक्त उपयोगकर्ता द्वारा निकाला गया है। आइटम 3 (क) में दिखाए गए कुएं से भूजल के निष्कर्षण की दर पानी के मीटर से दर्ज की गई दर से अधिक नहीं होगी।
- (4) जिला भूजल प्रबंधन परिषद, अगर स्थिति की मांग है, तो गुणवत्ता के खतरों या किसी अन्य कारणों से कुओं से भूजल के निकासी को रोकने का अधिकार सुरक्षित है।
- (5) प्रस्तावित कुएं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में, नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा।
- (6) इस प्रमाणपत्र के क्रमांक (2) और (3) में दर्शाए गए मौजूदा कुएं के संबंध में स्थान, डिजाइन, निकासी की दर और पंपिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी विचलन इस प्राधिकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।
- (7) यदि इस पंजीकरण को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए किसी विवरण/सूचना को बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाया जाता है, तो यह पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
- (8) पीजोमीटर का निर्माण और टेलीमेट्री के साथ डिजिटल जल स्तर रिकार्डर की स्थापना उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य होगी। पीजोमीटर की गहराई और जोन का दोहन पंपिंग कुओं के साथ किया जाना चाहिए। डिजिटल जल स्तर रिकार्डर से प्राप्त डेटा, मासिक आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (9) पीजोमीटर की स्थापना और उनकी निगरानी के लिए दिशा निर्देश :-

पीजोमीटर एक बोरवेल/ट्यूबवेल है जिसका उपयोग केवल टेप/साउंडर या स्वचालित जल स्तर मापने वाले उपकरण को कम करके पानी के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। जब भी जरूरत हो पानी के गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पीजोमीटर की स्थापना के लिए सामान्य दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं :

- पंपिंग कुएं से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर पीजोमीटर स्थापित /निर्माण किया जाना है, जिसके माध्यम से भूजल निकाला जा रहा है। पीजोमीटर का व्यास लगभग 4" से 6" होना चाहिए।
 - पीजोमीटर की गहराई समान होनी चाहिए क्योंकि पंपिंग कुएं के मामले में जहां से भूजल का सार हो रहा है। यदि, एक से अधिक पीजोमीटर स्थापित हैं, तो दूसरे पीजोमीटर को उथले भूजल की निगरानी करनी चाहिए। यह उथले के साथ-साथ गहरे भूजल जलभरण निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा।
 - मापने की आवृत्ति मासिक होनी चाहिए और माप की सटीकता सेमी तक होनी चाहिए। सूचित माप दो दशमलव तक मीटर में दिया जाना चाहिए।
 - जल स्तर साउंडर या स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर (AWLR)/डिजिटल स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर (DWLR) की माप के लिए टेलीमेट्री सिस्टम का उपयोग सटीकता के लिए किया जाना चाहिए।
 - पीजोमीटर में जल स्तर का माप लिया जाना चाहिए, इसके बाद ही आसपास के नलकूपों से पंपिंग लगभग चार से छह घंटे के लिए रोक दी गई है।
 - निर्देशांक, कम स्तर (मतलब स्तर के संबंध में), गहराई, जोन टेप और असेंबली कम के बारे में सभी विवरण पाईजोमीटर को भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, और इसके सत्यापन के लिए हाइड्रोग्राफ मॉनिटरिंग सिस्टम में लाने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
 - प्री-मानसून (मई/जून) और पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवंबर) अवधि के दौरान भूजल की गुणवत्ता को एक वर्ष में दो बार मॉनिटर करना पड़ता है। एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला से गुणवत्ता का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा, एक नमूना (1 लीटर क्षमता की बोतल) संबंधित निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश को रासायनिक विश्लेषण के लिए।
 - स्थान, पाईजोमीटर/ट्यूबवेल नंबर, मानक संदर्भ और पहचान के लिए पाईजोमीटर/ट्यूबवेल की गहराई और जोन टेप किए जाने के लिए पाईजोमीटर/ट्यूबवेल साइट पर एक स्थायी डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।
 - माप के लिए सुरक्षा और पहुंच के संबंध में किसी अन्य साइट की विशिष्ट आवश्यकता का ध्यान रखा जा सकता है।
- (10) जिला भूजल प्रबंधन परिषद द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाया जा सकता है।
- (11) यदि इस परमिट को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई विशेष जानकारी, जो किसी भी बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाई जाती है, यह परमिट रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

कार्यालय की मोहर

फार्म-8(डी)

{नियम-15(1)देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

कुएँ के प्राधिकृत/अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन के अस्वीकृति पत्र

(यू/एस 14 उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

क्रमांक :-

दिनांक :-

सेवा में,

श्री/श्रीमती.....

विषय :- कुएँ के प्राधिकृत के लिये आवेदन की अस्वीकृति।

संदर्भ : आपका आवेदन संख्या :

जमा करने का दिनांक :

महोदय/महोदया,

आपको सूचित करना है कि आपका आवेदन संख्या.....दिनांक.....

जो कुएँ के पंजीकरण के अनुदान के लिए प्रेषित किया गया है, निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जाता है:

- (1) अपूर्ण आवेदन।
- (2) अपेक्षित दस्तावेजों को जमा नहीं करना।
- (3) अपेक्षित आवेदन शुल्क के भुगतान में कमी।
- (4) आवेदन शुल्क गलत मद में जमा करने के कारण।
- (5) अन्य।

आपका आभारी,

जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर

5. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :

(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान किया गया:

(1) रुपया :

(2) वाउचर संख्या :

(3) दिनांक :

(ख) ट्रेजरी/सब-ट्रेजरी/पीओएस0यू0 बैंक जहाँ आवेदन शुल्क भुगतान किया गया है-

(ग) बैंक की शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) -

6. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ

नोट :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि नये कुओं के प्रधिकृत/अनापत्ति प्रमाण के आवेदन हेतु किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखें।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
 (क) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
 (ख) पैनकार्ड की छायाप्रति
 (ग) जीओएस0सी0 नम्बर की छायाप्रति
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ

फार्म-5(बी)

{नियम-11(2)देखें}

(मौजूदा ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण)

श्री/श्रीमती :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

बुक सं०-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदन पत्र क्रम-सं० :-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मौजूदा ड्रिलिंग एजेंसियों के पंजीकरण के लिए फार्म

(यू/एस 16 उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

7. आवेदक/फर्म के बारे में विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ख) जन्मतिथि :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरुष/स्त्री

(च) फर्म की पैन संख्या :

(छ) फर्म की जी०एस०टी० संख्या :

(ज) राष्ट्रीयता :

(झ) आवेदक का पता :

8. वह जिला जिसमें फर्म ड्रिलिंग कार्य करना चाहती है :

नोट: एक से अधिक जिलों के लिए, फर्म को अलग से जिला भूगर्भ जल परिषद को आवेदन करना होगा।

9. ड्रिलिंग मशीन/मशीनों का विवरण दें :

10. ड्रिलिंग का उद्देश्य : (कृपया टिक करें) :

(क) शासकीय कार्य : (हाँ/नहीं)

(ख) निजी कार्य : (हाँ/नहीं)

(ग) दोनों : (हाँ/नहीं)

11. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :

(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान किया गया:

(1) रुपया :

(2) वाउचर संख्या :

(3) दिनांक :

(ख) ट्रेजरी/सब-ट्रेजरी/पीओएस0यू0 बैंक जहाँ आवेदन शुल्क भुगतान किया गया है-

(ग) बैंक की शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) -

12. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ

नोट :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि नये कुओं के प्रधिकृत/अनापत्ति प्रमाण के आवेदन हेतु किसी विवरण/ सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखें।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
 (क) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
 (ख) पैनकार्ड की छायाप्रति
 (ग) जीओएस0सी0 नम्बर की छायाप्रति
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ

फार्म-6(ए)

{नियम-11(3)देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

(नई ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र)

(यू/एस 16 उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 1986)

पंजीकरण संख्या

1. (क) फर्म का नाम

(ख) आवेदक का नाम : श्री/श्रीमती.....

(ग) पुत्र/पुत्री

(घ) आवेदक का पता

(च) आवेदन फार्म क्रमांक..... जमा करने का दिनांक.....

.....

2. जिले का नाम जिसमें ड्रिलिंग के लिए एजेंसी पंजीकृत है :

पंजीकरण का यह प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है, जो ओवरलीफ शर्तों के अनुसार है।

स्थान :

दिनांक :



आपका आभारी,

जारी करने वाले प्राधिकारी का

हस्ताक्षर

और पदनाम

शर्तें :-

- (1) ड्रिलिंग एजेंसी अधिसूचित क्षेत्रों में कोई ड्रिलिंग कार्य नहीं करेगी। अधिसूचित क्षेत्रों की सूची वेबपोर्टल WWW.upgwdonline.in से डाउनलोड की जा सकती है।
- (2) ड्रिलिंग एजेंसी भूजल गुणवत्ता संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में कोई ड्रिलिंग कार्य नहीं करेगी। भूजल गुणवत्ता संवेदनशील क्षेत्रों की सूची वेबपोर्टल www.upgwdonline.in से डाउनलोड की जा सकती है।
- (3) एक से अधिक जिलों के लिए, फर्म को अलग से जिला भूगर्भ जल परिषद में आवेदन करना होगा।
- (4) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाई जा सकती है।

कार्यालय की मोहर



फार्म-6(बी)
{नियम-11(4)देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

(मौजूदा ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र)
(यू/एस 16 उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

पंजीकरण संख्या

3. (क) फर्म का नाम
(ख) आवेदक का नाम : श्री/श्रीमती.....
(ग) पुत्र/पुत्री
(घ) आवेदक का पता
(च) आवेदन फार्म क्रमांक..... जमा करने का दिनांक.....
.....
4. जिले का नाम जिसमें ड्रिलिंग के लिए एजेंसी पंजीकृत है :

पंजीकरण का यह प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है, जो ओवरलीफ शर्तों के अनुसार है।

स्थान :

दिनांक :

आपका आभारी,
जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर
और पदनाम

शर्तें -

- (1) ड्रिलिंग एजेंसी अधिसूचित क्षेत्रों में कोई ड्रिलिंग कार्य नहीं करेगी। अधिसूचित क्षेत्रों की सूची वेबपोर्टल www.upgwdonline.in से डाउनलोड की जा सकती है।
- (2) ड्रिलिंग एजेंसी भूजल गुणवत्ता संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में कोई ड्रिलिंग कार्य नहीं करेगी। भूजल गुणवत्ता संवेदनशील क्षेत्रों की सूची वेबपोर्टल www.upgwdonline.in से डाउनलोड की जा सकती है।
- (3) एक से अधिक जिलों के लिए, फार्म को अलग से जिला भूगर्भ जल परिषद में आवेदन करना होगा।
- (4) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाई जा सकती है।

कार्यालय की मोहर

फार्म-7(ए)
{नियम-11(3)देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

(ड्रिलिंग एजेंसियों के पंजीकरण हेतु आवेदन का रद्दीकरण पत्र)

(यू/एस 16 उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

संख्या :

दिनांक :

सेवा में,

श्री/श्रीमती/मै०.....

विषय :- ड्रिलिंग के अनुमोदन हेतु पंजीकरण के लिये आवेदन का रद्दीकरण।

संदर्भ : आपका आवेदन संख्या :

जमा करने का दिनांक :

महोदय/महोदया,

आपको सूचित करना है कि आपका आवेदन संख्या.....दिनांक..... जो

कुएं के पंजीकरण के अनुदान के लिए प्रेषित किया गया है, निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जाता है:

- (1) अपूर्ण आवेदन।
- (2) अपेक्षित दस्तावेजों को जमा नहीं करना।
- (3) अपेक्षित आवेदन शुल्क के भुगतान में कमी।
- (4) आवेदन शुल्क गलत मद में जमा करने के कारण।
- (5) अन्य।

आपका आभारी,

जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 158 /LXXVI-3-2020-10gw-2014, dated February 25, 2020

No. 158 /LXXVI-3-2020-10gw-2014 (Niyamavali)

Dated Lucknow February 25, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 49 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019) the Governor is pleased to make the following rules, namely: -

THE UTTAR PRADESH GROUND WATER
(MANAGEMENT AND REGULATION) RULES, 2020

CHAPTER – I

Preliminary

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Rules, 2020.

Short title, extent
and
commencement

(2) They shall come into force with effects from the date of their publication in the *Gazette*.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

Definitions.

(a) "Act" means the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019)

(b) "Challan" means receipt of depositing fee or any amount, to be deposited in the Ground Water fund, created under section 48.;

(c) "Form" means a Form appended to these rules;

(d) "Section" means a section of the Act, unless specified.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules, shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER – II

Terms of office of members of Appropriate Authorities

3. The terms of office of the members referred to in clause (c), (d) and (e) of sub-section 2 of section 3, clause (c), (d) and (e) of sub-section 2 of section 4, clause (c), (d) and (e) of sub-section 2 of section 5, clause (c), (d) and (e) of sub-section 2 of section 6 and clause (16), (17) and (18) of sub-section 2 of section 3 shall be three years.

Terms of office
of non-official
members

4. The minimum qualification of the members referred to in rule 3 shall be as appended in 'appendix-A' to these rules.

Minimum
Qualification of
non-official
members

5. The meetings of the appropriate authorities shall be at such time as may be directed by the chairperson of an Authority, provided that the period from two consecutive meetings shall not exceed,-

Meetings of the
appropriate
Authorities

(a) thirty days, in the case of Gram Panchayat Ground Water Sub Committee, Block Panchayat Ground Water Management Committee, Municipal Water Management Committee, District Ground Water Management Council.

(b) ninety days, in the case of State Ground Water Management and Regulatory Authority.

CHAPTER – III

Registration of Wells in Notified and Non-notified areas

6. Procedure for application for registration of well, -

(1) Any existing Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user, who has sunk a well for extracting or using ground water in notified area or non-notified area before the date of coming into force of the Act, or any future Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user in Non-notified area shall make, in Form I(A), an application referred to in sub-section (1) of section 10 or sub-section (1) of section 11 of Act, within a period of ninety days from the date of coming into force of the Act, to the District Ground Water Management Council;

Procedure, time
limits, format,
fee and other
provisions for
the grant of
registration of
users in
Notified and
Non-notified
areas.

(2) Any existing Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user, who has sunk a well for extracting or using ground water in notified area or non-notified area before the date of coming into force of the Act, and have valid No Objection Certificate issued by either Central Ground Water Authority or by Ground Water Department, Uttar Pradesh for extracting or using ground water, shall make, in Form 1(B), an application referred to in sub-section (1) of section 10 or sub-section (1) of section 11 of Act, within a period of ninety days from the date of coming into force of the Act, to the District Ground Water Management Council;

(3) Every existing users of ground water, other than those mentioned in sub-clause (1) of rule 6, including domestic and agriculture users of ground water, who have sunk well or boring in his or her premises or agricultural land holdings, shall make, in Form 1(C), an application referred to in sub-section (2) of section 10 or sub-section (2) of section 11 of Act, within a period of six months from the date of coming into force of these rules, to the Block Panchayat Ground Water Management Committee or Municipal Water Management Committee, as the case may be;

(4) Every future users of ground water, other than those mentioned in sub-clause (1) of rule 6, including domestic and agriculture users of ground water, who desires to sink well or boring in his or her premises or agricultural land holdings, shall make, in Form 1(D), an application referred to in sub-section (2) of section 10 or sub-section (2) of section 11 of Act to the Block Panchayat Ground Water Management Committee for Municipal Water Management Committee, as the case may be, prior to sinking of such well;

Provided that a user who has sunk more than one well for extracting or using ground water in the area shall be required to submit separate application Form for each well.

(5) Form 1 shall be downloaded free of cost from the online web portal www.upgwdonline.in.

(6) Improper filling up of Form, and failure to annex all necessary documents specified in, Form 1 shall make the application liable to be rejected.

(7) All applications as mentioned in above sub clauses shall be submitted online at web portal www.upgwdonline.in.

7. Procedure of modification or alteration in registered well,-

(1) If any registered Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user of ground water in notified area, having certificate of registration wants to carry-out any modification or alteration in registered well, he or she or a group of persons or an agency (as the case may be) shall obtain clearance for the same from State Ground Water Management and Regulatory Authority by submitting form 2(A) to respective District Ground Water Management Council. For this, concerning user shall pay fee as prescribed in sub rule (1) of rule 10.

(2) if any registered Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user of ground water wants to carry-out any modification or alteration in registered well in non-notified area, he or she or a group of persons or agency (as the case may be) shall obtain clearance for the same from District Ground Water Management Council by submitting form 2(B) to respective District Ground Water Management Council. For this, concerning user shall pay fee as prescribed in sub rule (1) of rule 10.

8. Disposal of application for certificate of registration by District Ground Water management council or Municipal Water Management Committee or Block Panchayat Ground Water Management Committee. -

(1) On receipt of the application under sub rule (1) of rule, 6, if the District Ground Water Management Council considers that the application is for issuance of a

certificate of registration under sub section (1) of section 10 or sub-section (1) of section 11 of the Act, it shall, after being satisfied in its meeting, approve the case and grant certificate of registration in Form 3(A) to the user and if the concerned District Level Authority is not satisfied with the case, it shall refuse to grant certificate of registration after giving substantial reason and shall intimate accordingly to the user in Form 4(A).

(2) On receipt of the application under sub rule (2) of rule, 6, existing Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user, who submits a copy of valid No Objection Certificate issued by either Central Ground Water Authority or by Ground Water Department, shall automatically be registered. Such users shall get electronically generated certificate of registration in Form 3(B), within 15 days of online submission of proper application.

(3) On receipt of the application under sub rule (3) and sub rule (4) of rule, 6, Agricultural and Domestic users of ground water shall automatically be registered. Such users shall get electronically generated certificate of registration in Form 3(C), within 15 days of online submission of proper application.

(4) Users, whose application for grant of registration have been rejected under sub clause (1), may apply to State Ground Water Management and Regulatory Authority through Secretary of the Authority, for disposal of application. Decision of State Ground Water Management and Regulatory Authority in such cases shall be final.

(5) Any decision taken by the concerned District Ground Water management council or Municipal Water Management Committee or Block Panchayat Ground Water Management Committee, under this rule regarding grant or refusal of certificate or registration shall be intimated to the user electronically, within a period of one month from the date of receipt of such application.

(6) Users may also receive a duly signed copy of registration certificate from office of the District Ground Water management council or Municipal Water Management Committee or Block Panchayat Ground Water Management Committee, as the case may be.

9. Registers for certificate of registration. -

(1). For every registration certificate issued in Form 3(A) or 3(B), an e-register shall be maintained at online web-portal www.upgwdonline.in.

(2) Each District Ground Water Management council shall also maintain a separate register of duly signed copies of registration certificate issued in form 3(A) and 3 (B).

(3). Each Municipal Water Management Committee shall also maintain a separate register of duly signed copies of registration certificate issued in form 3(C).

(4). Each Block Panchayat Ground Water Management Committee shall also maintain a separate register of duly signed copies of registration certificate issued in form 3(C).

10. Application Fee. -

(1). A Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user shall deposit such amount of fee as decided by State Ground Water Management and Regulatory Authority for filing application for registration of well as stated in sub-rule (1) and sub-rule (2) of rule 6. State Ground Water Management and Regulatory Authority may periodically review the amount of fee for different category of users of ground water.

(2) There shall be no fee for filing application under sub rule (3) and sub rule (4) of rule 6.

(3) The application fee referred to in sub-rule (1) and sub-rule (2) shall be paid online and shall be deposited in Ground Water fund, created by State Government.

Process for
registration of
drilling
agencies

11. (1) Any person including firm, agency or company, who desires to perform drilling work for ground water extraction shall make, in Form 5(A), an application referred to in sub-section (1) of Section 17 of the Act, to the District Ground Water Management Council;

(2) Any person including firm, agency or company, who is engaged in drilling work for ground water extraction prior to commencement of Act, shall make, in Form 5(B), an application referred to in sub-section (2) of Section 17 of the Act, within a period of ninety days from the date of coming into force of the Act, to the District Ground Water Management Council;

(3) On receipt of the application under sub rule (1) of rule, 11, if the District Ground Water Management Council considers that the application is for issuance of a certificate of registration under sub section (1) of section 17, it shall, after being satisfied in its meeting, approve the case and grant certificate of registration in Form 6(A) to such drilling agency and if the concerned District Level Authority is not satisfied with the case, it shall refuse to grant certificate of registration and shall intimate accordingly to such person in Form 7(A).

(4) On receipt of the application under sub rule (2) rule 11, the District Ground Water Management Council shall issue certificate of registration in Form 6(B) to such drilling agency within one month of receiving the application.

(5) If any person including firm, agency or company, who desires to perform drilling work in more than one district, he or she or as the case may be shall be required to submit separate application Form for each district.

(6) If any person including firm, agency or company, who has already obtained registration certificate for drilling work in one district and also wants to register in another district he or she shall make, in Form 5(A) an application. He or she shall also have to upload a copy already obtained registration certificate with the form.

(7) On receipt of the application under sub rule (6) rule 11, the District Ground Water Management Council shall issue certificate of registration in Form 6(B) to such drilling agency within seven days of receiving the application.

(8) District Ground Water Management Council shall also ensure that drilling agency registered under sub rule (3), sub rule(4) and sub rule (7) shall not execute drilling work in notified area or ground water quality sensitive areas.

(9) Registered drilling agencies shall also online provide details of drilling work executed in every three months.

(10) Any decision taken by the concerned District Ground Water Management Council, under this rule regarding grant or refusal of certificate or registration shall be intimated to the user electronically, within a period of one month from the date of receipt of such application.

(11) Users may also receive a duly signed copy of registration from office of the District Ground Water Management Council.

(12) Separate registers for issuance of registration certificate to drilling agencies shall be maintained by District Ground Water Management Council.

12. Application Fee. -

(1). Any applicant under sub rule (1), sub rule (2) or sub rule (6) of rule 11 shall deposit such amount of fee as decided by State Ground Water Management and Regulatory Authority.

(2) The application fee referred to in sub-rule (1) shall be paid online and shall be deposited in Ground Water fund, created by State Government.

CHAPTER – IV

Grant of Authorization/No-objection

13. (1) Any future or existing user, under sub clause (1) of rule 6, who does not have No Objection Certificate issued by Central Ground Water Authority or by Ground Water Department, Uttar Pradesh shall make, in Form 8(A), an application to the District Ground Water Management Council for issuance of grant of Authorization/No-objection certificate.

(2) Form 8(A) shall be downloaded free of cost from the online web portal www.upgwdonline.in.

(3) Such forms as are not duly filled or not enclosed with documents specified in Form 8(A) shall be liable to be rejected.

14. (1) Any existing Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user, who has sunk a well for extracting or using ground water in notified or non-notified area, and have valid No Objection Certificate issued by the Central Ground Water Authority or the Ground Water Department before the date of commencement of the Act, and desires to continue extraction of ground water, shall make an application in Form 8(B).

(2) A user, having pre-existing right of ground water, shall apply for renewal of No-objection after one year from the date of commencement of the Act or on the expiry of the validity of existing No-objection Certificate, whichever is earlier.

15 (1) On receipt of the application under rule, 13, if, the District Ground Water Management Council considers that the application is for issuance of grant of Authorization/ No-objection certificate under section 14, it may grant Authorization/ No-objection certificate in Form 8(C) to the user and if the concerned District Ground Water Management Council is not satisfied with the case, it shall refuse to issue certificate of grant of Authorization/ No-objection and shall intimate accordingly to the user in Form 8(D).

(2) Application as received above shall be disposed by District Council in accordance to the provisions of rules within thirty days of receiving of application, otherwise it shall deemed to be issued. In case it is found that the NOC issued as above in not in accordance to the provisions of Rule/ Act, State Ground Water Management and Regulatory Authority shall take appropriate action by fixing the responsibility of the person found guilty.

(3) Authorization/ No-objection certificate, issued under sub rule(1) shall be valid for a period of five years. In case of violation of any of the condition of the No objection certificate or change in ground water status of the area, State Ground Water Management and Regulatory Authority shall have the right to either cancel the NOC or impose restrictions as the Authority find appropriate.

(4) On receipt of the application under rule, 14, District Ground Water Management Council shall forward the application to Ground Water Department for technical comments. On recommendation of Ground Water Department, District Ground Water Management Council, may renew Authorization/ No-objection certificate in Form 8(E) for such period as may be recommended by Ground Water Department.

(5) Users, whose application for grant of Authorization/ No-objection have been rejected under sub rule (1), may prefer an appeal to State Ground Water Management and Regulatory Authority within thirty days from the date of receiving of the order.

(6) Any decision taken by the concerned District Ground Water Management Council, under this rule regarding grant or refusal of certificate of Authorization/No-objection Certificate shall be intimated to the user by registered post with due acknowledgement and electronically, within a period of thirty days from the date of the receipt of such application.

Provided that the user may receive the copy of the intimation by hand from the office of the concerned District Ground Water Management Council

Procedure, time limits, format, fee and other provisions, terms and conditions for the grant of Authorization/ No-objection certificate for users in Non-notified areas.

Procedure for renewal of No-objection Certificate.

Disposal of application for grant of Authorization/ No-objection certificate by District Ground Water Management Council

Registers for certificate of Authorization/No-objection Certificate.

Application Fee for grant of Authorization/No-objection Certificate and Fee for ground water extraction/drawl.

Procedure for Demarcation of Notified Areas and Issuance of Notification for the purpose of Act

16. Every District Ground Water Management council shall maintain separate register for issuing certificate of Authorization/No-objection Certificate.

17. (1). A Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user shall deposit such amount of fee as may be decided by the State Ground Water Management and Regulatory Authority for filing application for obtaining certificate of Authorization/No-objection Certificate for sinking a new well referred to in sub-rule (1) of rule 13. The State Ground Water Management and Regulatory Authority may review the amount of fee for different category of users of ground water time to time.

(2). After grant of authorization on an application referred to in sub-rule (1) of rule 13, an annual amount of fee for ground water extraction, as provided under section 16 of the Act shall be deposited annually by such user. Amount of fee for ground water extraction shall be determined by the State Ground Water Management and Regulatory Authority. The State Ground Water Management and Regulatory Authority may review the amount of fee of extraction for different category of users of ground water, time to time.

(3) The fee referred to in sub-rule (1) and sub rule (2) shall be paid in such manner as prescribed in form 8(A) and shall be deposited in Ground Water fund.

CHAPTER – V

Identification and Demarcation of Notified areas

18. Identification and demarcation of areas to be declared as Notified Areas, - in the manner -

(1) **Rural Areas:** Under the provisions of the Act, for the purpose of demarcation of the Notified Areas, the over-exploited and critical blocks shall be considered. The Ground Water Department, therefore, shall identify and prepare the district wise list of blocks categorized as over-exploited and critical blocks, based on the latest ground water resource assessment report.

(2) **Urban Areas:** In the Urban sector, as provided in the Act, the stressed areas where ground water levels have depleted to critical/alarming levels shall be considered for the purpose of declaring such areas as Notified Areas. The Ground Water Department shall identify and delineate those urban areas as stressed, where ground water levels have recorded a significant decline of more than 20 cm per year during the last five years.

(3) The Ground Water Department shall submit the list of over-exploited and critical blocks and the stressed urban areas to the State Ground Water Management and Regulatory Authority for notifying the said areas, as provided in the Act.

19. Issuance of Notification, -

(1) The State Ground Water Management and Regulatory Authority shall have necessary consultations on the inputs provided by the Ground Water Department related to Over-exploited and Critical blocks categorized as per the latest Ground Water Resource Assessment and the Stressed Urban areas identified by the Department on the basis of analysis of ground water depletion.

(2) The Authority, thereafter, shall advice the State Government to declare by Notification such areas as Notified Areas for the purpose of implementation of different provisions of the Act. On the basis of recommendation of Ground Water Department, the State Ground Water Management and Regulatory Authority shall also advice State Government to discontinue or redesign such Government schemes which are directly dependent on ground water extraction.

(3) The State Government shall duly consider the recommendation and advice of the State Authority for declaration of such areas as Notified Areas by Notification, in the Gazette.

(4) The notification referred to in sub rule (3) shall be uploaded on the websites of all concerned departments And shall also be published in two widely circulated newspapers in the area.

CHAPTER – VI

FIXING LIMIT OF ABSTRACTION OF GROUND WATER FOR COMMERCIAL, INDUSTRIAL, INFRASTRUCTURAL OR BULK USERS

20.(1) For fixing ground water abstraction limit for all the existing Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk users of ground water, the Ground Water Department, in consultation with stake holders, shall submit a proposal to the State Ground Water Management and Regulatory Authority within six month from the date of commencement of these rules.

(2) On the basis of proposal submitted by Ground Water Department, State Ground Water Management and Regulatory Authority shall fix ground water abstraction limits for all the Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk users of ground water.

(3) Ground water abstraction limits fixed under sub rule (2) shall be written in the registration or authorization certificate/ No-objection certificate for wells of existing Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk users of ground water in Notified as well as Non-notified areas and for all the new Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk users of ground water in Non-notified areas, as the case may be, for the purpose of Section 15.

Process for fixing of limit for abstraction of Ground Water for Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk users of ground water

CHAPTER – VII

Demarcation and Declaration of Ground Water Quality Sensitive Zones

21. Demarcation of Ground Water Quality Sensitive Zone, -

(1) To collect, evaluate and analyze ground water quality data and related information for the purpose of generating an overview of the problem, the Ground Water Department shall hold technical consultations with the expert bodies such as Central Ground Water Board, Uttar Pradesh Jal Nigam, Central and State Pollution Control Boards, Indian Institute of Toxicological Research, National Institute of Hydrology, IITs and also those Institutions, which have conducted area specific ground water quality studies, for providing the existing data, reports and information on ground water quality for both rural and urban segments of Uttar Pradesh.

(2) Based on the evaluation, analysis and mapping of such available data, the Ground Water Department shall proceed to generate and develop a comprehensive quality data base for the entire state. Subsequently, the department shall identify those areas which are found affected with poor ground water quality along with risk of pollution hazards on drinking and irrigation water supplies. Such areas shall be demarcated and mapped as Ground Water Quality Sensitive Zones.

(3) The department shall prepare a detailed district wise list of such Ground Water Quality Sensitive Zones with their GPS locations.

(4) The complete information on ground water quality for the entire state shall be submitted to the State Ground Water Management and Regulatory Authority for onward action, with the objective to ensure protection of ground water quality in such delineated zones through appropriate measures for prevention and control of pollution and finding safe quality areas for potable water supplies.

(5) State Ground Water Management and Regulatory Authority shall take immediate action and will issue directions to concerned departments to change or redesign their existing policies or schemes to ensure protection of ground water quality in such delineated zones. All concerned departments shall have to change or redesign their existing policies or schemes in such delineated zones.

Process for Demarcation and Declaration of Ground Water Quality Sensitive Zones.

(6) After issuance of direction in sub rule (5), if District Ground Water Management Council finds that any particular scheme of any department is responsible for pollution of ground water in that district, the Council in such cases shall immediately take action in consonance with the provision of the Act and also shall submit a case to State Ground Water Management and Regulatory Authority.

Issuance of
Notification
for Ground
Water Quality
Sensitive
Zone.

22. (1) The State Ground Water Management and Regulatory Authority shall, after having necessary technical consultations on the information provided by the Ground Water Department regarding ground water quality of the state, recommend and advise the State Government to declare by Notification such areas as Ground Water Quality Sensitive Zones for the purpose of the Act.

(2) The State Government shall duly consider the advice and recommendation of the State Authority for declaration of Ground Water Quality Sensitive Zones in the State and issue a Notification, both in Hindi as well as English language under the sub section (1) of the section 24. The notification shall also contain the directions of the State Government for the notified area.

(3) The Notification shall be published in the Gazette and Subsequently as Public Notice in at least three daily regional newspapers through the Information Directorate, U.P.

Apart from the publication in the newspapers, the Notification shall also be uploaded on the websites of all concerned departments for wide circulation.

CHAPTER - VIII

PROCESS FOR FIXING STANDARDS OF TREATED WASTE WATER AND

PROCEDURE FOR INSTALLATION OF TREATMENT PLANT

Process for
fixing
standards of
treated waste
water.

23. (1) On the direction of the State Ground Water Management and Regulatory Authority, the Ground Water Department, in consultation with Central Ground Water Board, Central and State Pollution Control Boards, Uttar Pradesh Jal Nigam shall submit a proposal to it for approval of standards for treated waste within such time as may be directed by the said Authority.

(2) On the basis of proposal submitted by Ground Water Department, State Ground Water Management and Regulatory Authority shall approve standards for treated waste water.

(3) State Ground Water Management and Regulatory Authority shall issue direction to each District Ground Water Management Council for compliance of approved standard while granting No-objection to user of ground water.

Procedure for
installation of
treatment
plant.

24. (1) The State Ground Water Management and Regulatory Authority shall ensure through District Ground Water Management Councils that all Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk user of ground water that pollute ground water or surface water, will install treatment plants within a period of one year from the date of commencement of these rules.

(2) Each District Ground Water Management Council shall conduct physical verification of all Industries in the district thereof, within two months from the date of commencement of these rules.

(3) On the basis of report of physical verification, the District Ground Water Management Council shall prepare a list of those industries, which have not constructed appropriate treatment plant.

(4) List of each district as prepared under sub rule (3) shall be submitted to the State Ground Water Management and Regulatory Authority.

(5) The State Ground Water Management and Regulatory Authority shall direct the industries referred to in sub rule (4) that the industries which have not installed appropriate treatment plants shall install the said plant within a period of six months from the date issuance of the direction.

(6) After end of six-month period of direction under sub rule (5), each District Ground Water Management Council shall again conduct physical verification of all Industries in concerning districts in two months period. On the basis of report of physical verification, District Ground Water Management Council shall again prepare a list of those industries, which have not complied to the direction issued by State Ground Water Management and Regulatory Authority under sub rule (5).

(7) List of each district as prepared under sub rule (6) shall again be submitted to State Ground Water Management and Regulatory Authority.

(8) State Ground Water Management and Regulatory Authority shall take action against such user of ground water, who still fails to set up treatment plant within the said period, by:

(i) issue order for construction of necessary treatment plant at such user's cost by the agency identified by the State Ground Water Management and Regulatory Authority;

(ii) direct District Ground Water Management Council of concerning district to issue order for start of prosecution under the provisions of sub-section (2) of section 39 of the Act.

25. (1) State Ground Water Management and Regulatory Authority shall monitor through Appropriate Authorities that,-

(a) no Government department/ undertaking/ Corporation, etc. discharge untreated effluent into ground water or surface water.

(b) no untreated nala or sewer. etc are directly discharged into rivers/ ponds/ lakes or any groundwater or surface water.

(2) Each District Ground Water Management Council shall conduct physical verification for process of effluent discharge adopted by such Government bodies as provided under sub rule (1), within two months from the date of commencement of these rules.

(3) On the basis of report of physical verification, District Ground Water Management Council shall prepare a list of the Government bodies referred to in sub rule (1), which have not adopted appropriate process for treating effluent and are directly discharging untreated effluent into ground water or surface water.

(4) List of each district as prepared under sub rule (3) shall be submitted to State Ground Water Management and Regulatory Authority.

(5) The State Ground Water Management and Regulatory Authority shall issue such instructions to Government bodies referred to in sub rule (4), so as to ensure:

(a) the construction of appropriate treatment plants within one year from the date of issuance of the said instruction, or

(b) to make functional the existing treatment plants within six months from the date of issuance of the said instruction.

(6) At the end of period specified under sub rule (5), each District Ground Water Management Council shall again conduct physical verification of those Government departments/undertakings/ Corporations/ bodies, etc. which have not yet adopted appropriate process for treating effluent and are still directly discharging untreated effluent into ground water or surface water, within two months.

(7) List of those Government bodies, who have not complied to the advisory issued by State Ground Water Management and Regulatory Authority under sub rule (6) shall be submitted to State Ground Water Management and Regulatory Authority for action.

Procedure for restrictions for discharging untreated effluent into ground water or surface water.

CHAPTER - IX

RAIN WATER HARVESTING

Process of imposing provisions for rain water harvesting

26. (1) Appropriate Authorities shall ensure that Rain Water Harvesting Structures have been properly constructed by all users having plot area of 300 square meters or more. Installation of rain water harvesting structures shall be made compulsory for different users in phases, described hereunder.

Provided that :-

Installation of Rain Water Harvesting Structures shall be compulsory for every such user, who have submersible pump or any similar ground water extracting device for extraction of ground water in his or her premises.

(2) In first phase, every Government Department/Semi-Government Department/ Authorities/ Aided Institutions/ Public Sector Undertaking (either fully or partially funded by Government), Private Institutions or Organizations, having plot area of 300 square meters or more, or who are extracting ground water through submersible pumps or similar devices, shall also ensure that Rain Water Harvesting Structures have been properly constructed in their premises within one year of date of commencement of Act.

(3) In second phase (after one year of first phase), every user other than those mentioned in sub rule (2), having plot area of 300 square meters or more, or who are extracting ground water through submersible pumps or similar devices, shall also ensure that Rain Water Harvesting Structures have been properly constructed in their premises, within one year of end of first phase.

(4) After installation of Rain Water Harvesting Structures, every user shall inform online on web portal www.upgwdonline.in.

(5) If such user under sub rule (2) and sub rule (3), fails to do so, he or she or concerning body shall be punished in such manner and with such punishment as may be determined by the State Ground Water Management and Regulatory Authority.

(6) Besides punishment referred to in sub rule (5), submersible pump or any other ground water extracting device shall immediately be disconnected, sealed and seized by the Municipal Water Management Committee.

(7) Area-specific design of Rain Water Harvesting Structures and quantum of recharge shall be decided by State Ground Water Management and Regulatory Authority. Such designs shall also be made available online.

(8) Ground Water Department shall also circulate list of competent technical persons, who shall provide necessary technical assistance for installation of appropriate Rain Water Harvesting Structures.

(9) Appropriate Authorities shall organise training programs for demonstrating rain water harvesting techniques. Appropriate Authorities shall also invite different non-government organisations to participate in such training programs.

(10) Appropriate Authorities shall also conduct awareness campaign to sensitize different users for rain water harvesting.

(11) State Ground Water Management and Regulatory Authority shall also ensure that all concerning Institutions like 'All India Council of Technical Institution', 'Medical Council of India', University Grants Commission, or similar bodies shall include installation of appropriate rain water harvesting structure into their building norms while issuing No Objection Certificate.

(12) District Ground Water Management Council shall also issue direction to concerning implementing department to rejuvenate the defunct wells for water harvesting work.

Appropriate Authorities shall also issue direction to concerning implementing department to take appropriate actions for water harvesting, viz., reuse the surplus drawl water of hand pumps, etc. in urban and rural areas.

CHAPTER - X

COMPOUNDING OF OFFENCES

27. The application for compounding of an offence shall be made in the form appended as appendix (B) to these rules. Process of
Compounding of
Offence

CHAPTER - XI

GRIEVANCE REDRESSAL

28.(1) Any aggrieved person may submit his or her grievance with sufficient justification online at web portal www.upgwdonline.in on issues referred to in subsection (2) of section 43 of the Act. Process of
Grievance
Redressal

(2) The District Ground Water Grievance Redressal Officer may if require issue notice to the alleged user to submit his or her explanation within a period of thirty days from the receipt of grievance application.

(3) The alleged person shall submit his or her explanation to District Ground Water Grievance Redressal Officer, within a period of thirty days of receiving notice.

(4) District Groundwater Grievance Redressal Officer shall decide the grievance and communicate his or her decision to the aggrieved person within thirty days of receiving of explanation of alleged user.

The aggrieved person may prefer an appeal against the decision of the District Ground Water Grievance Redressal Officer to the State Ground Water Management and Regulation Authority within thirty days from the date of receipt of the decision of the District Ground Water Grievance Redressal Officer.

CHAPTER - XII

MISCELLANEOUS

29. (1) District Ground Water Management Council shall identify such existing Government schemes which either encourage excessive ground water drawl or have adverse impact on water quality of that area. Other Provisions

(2) District Ground Water Management Council shall submit proposal for revisiting such schemes to State Ground Water Management and Regulatory Authority.

(3) State Ground Water Management and Regulatory Authority shall take immediate action and will issue directions to concerned departments to change or redesign their existing policies or schemes. All concerned departments shall have to change or redesign their existing policies or schemes in such delineated zones.

30. Anything, which has not been provided in these rules shall be put before State Ground Water Management and Regulatory Authority. Decisions, in such cases shall be taken in consonance with the provisions of Act, and communicated accordingly.

By order,
ANURAG SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

Appendix (A)

[See rule 4]

(Qualification of non-official members of Appropriate Authorities)

S. No.	Members referred to in Rule 3	Qualification
1.	Members of Gram Panchayat Ground Water Sub Committee, referred to in clause (e) of sub-section (2) of section 3.	Block Development officer of respective block shall nominate one representative from Minor irrigation department and one representative from Agriculture Department.
2.	Members of Block Panchayat Ground Water Management Committee referred to in clause (e) of sub-section (2) of section 4.	District Magistrate of respective district shall nominate one representative from Minor irrigation department and one representative from Agriculture Department.
3.	I. Two members of Municipal Water Management Committee referred to in sub clause (c) of sub-section (2) of section-5.	District Magistrate shall nominate two members having field knowledge of water resources in the state of Uttar Pradesh.
	II. Two members of Municipal Water Management Committee referred to in sub clause (d) of sub-section (2) of section-5.	District Magistrate shall nominate two members of Resident Welfare Associations/ Social Groups.
	III. Three members of Municipal Water Management Committee referred to in sub clause (e) of sub-section (2) of section-5.	District Magistrate of respective district shall nominate one representative from Ground Water Department, one representative from Minor Irrigation department and one representative from Agriculture Department.
4.	I. One subject expert as member of District Ground water Management Council mentioned in clause (c) of sub-section (2) of section-6.	District Magistrate shall nominate one subject expert having Masters degree in Earth Sciences or Graduate in Civil/ Mechanical Engineering as well as minimum ten years of experience in ground water management in the state of Uttar Pradesh.
	II. One member referred to in clause (d) of sub section (2) of section-6.	District Magistrate shall nominate one eminent person from Public/Non-Government Organization/Social Sector.
5.	I. Three subject experts as members of State Ground Water Management and Regulatory Authority referred to in serial number 16 of sub-section (2) of section-7.	State Government shall nominate three subject experts as,- I. One Environmental Expert, having Masters degree in Earth Sciences/ Environmental science as well as minimum fifteen years of experience in ground water management or pollution control; II. One Ground Water Chemist, having Masters degree in Chemistry as well as minimum fifteen years of experience in the field of testing, analysis and interpretation of ground water quality;

S. No.	Members referred to in Rule 3	Qualification
		III. One Ground Water Expert, having Masters Degree in Earth sciences or Graduate Degree in Civil/ Mechanical Engineering as well as minimum fifteen years of experience in the field of ground water exploration and management related to different hydrogeological conditions of Uttar Pradesh.
	II. One eminent person from Public /Non-Government Organization /Social Sector referred to in serial number 17 of sub section (2) of section-7.	State Government shall nominate one eminent person from Public/Non-Government Organization/Social Sector.

Appendix (B)

[See rule 27]

(Format of Application for Compounding of an Offence)

S. No.	Particulars	Remarks
1	Name of the applicant	
2	Offences committed u/s *	
3	Status of case (i.e. whether contemplated/pending in Court/convicted/acquitted)	
4	Particulars of offences along-with justification for compounding (separate sheet)	
5	Whether the applicant has paid the amount of penalty and any other sum due relating to the offence?	
6	Whether the applicant undertakes to pay the compounding charges as shall be intimated by the compounding officer?	
7	Whether similar offences in the case of the applicant have been compounded earlier. If yes, how many times?	
8	Whether the application is for compounding of first offence referred to in Section 41?	
9	Whether the applicant was convicted by a court of law for the offence sought to be compounded	

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the particulars furnished herein above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application is liable to be rejected / cancelled.

I agree

Note:

- Separate application form should be filled for every offence.
- The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
- In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification / scrutiny, the application is liable for rejection.
- Please attach the following documents along with the application:
 - Document showing proof of ownership of land;
 - Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card / any other proof of identification
 - Notice issued by District Ground Water Management Council against offence committed by the applicant.
- The compounding Officer reserves the right to ask for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

I agree

Place

Date

Signature.....

Current address.....

* Offence for which compounding is sought

5. Particulars of usefulness of well:

- (a) Purpose of the proposed well (Industrial / Commercial / Infrastructural / Bulk use / Others
(Please tick)
- (b) Annual running hours
- (c) Daily running hours:
- (d) Whether the area receives supply through piped water supply: YES / NO
(Please tick one)

6. (a) Please submit mode of treatment of waste water/ effluent (for industries):

If, (a) applies, please mention whether obtained NOC from Uttar Pradesh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water:

- (b) YES / NO (Please tick) If YES, attach copy of same.

Note: If applicant has not obtained NOC from Uttar Pradesh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water, application shall be liable for rejection.

7. Whether rain water harvesting structure has been constructed within the premises

YES / NO (Please tick)

8. Details of payment of application fee:

- (a) Amount of Application Fee paid –

(i) Rs:

(ii) Voucher No:

(iii) date:

- (b) Name of Treasury /Sub-Treasury / P.S.U. Bank where Application Fee has been paid-

(c) Name of Bank Branch (if payment has been made in a Bank)-

9. Any other information which the applicant would like to furnish :**DECLARATION BY THE APPLICANT**

I do hereby declare that the particulars furnished herein above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application / registration is liable to be rejected / cancelled.

I agree

Note:

- Separate application form should be used for registration of each individual well.
- The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
- In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification / scrutiny, the application is liable for rejection.
- In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
- Please write 'N.A.' against those items which are not applicable.
- Please attach the following documents along with the application:
 - Document showing proof of ownership of land;
 - Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card / any other proof of identification
 - Map showing location of the existing well, the command area and the existing wells which have been referred to in item no. 2(a), (b) and (c).
- The concerned Authority reserves the right to ask for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

I agree

4. Particulars of existing pumping device:

- (a) Type of pump to be used (Please tick): (Centrifugal / Submersible / Turbine / Ejecto pump, etc.)
- (b) Length of column pipe (in case of submersible / turbine pump):
- (c) Pump Capacity (m³/hr.): _____ ;
- (d) H.P.:
- (e) Operational device (Please tick): Electric Motor / Diesel Engine.
- (f) Date of energization (in case of electricity driven pump):

5. Particulars of usefulness of well:

- (a) Purpose of the proposed well (Industrial / Commercial / Infrastructural / Bulk use / Others (Please tick))
- (b) Annual running hours
- (c) Daily running hours
- (d) Whether the area receives supply through piped water supply: YES / NO (Please tick one)

6. Please submit details of N.O.C. issued by Central Ground Water Authority or by Ground Water Department:

N.O.C. issued by (Please tick one)

Central Ground Water Authority by Ground Water Department

Date of issue of N.O.C.

Date of expiry of N.O.C.

7. Whether rain water harvesting structure has been constructed within the premises

YES / NO (Please tick)

8.(a) Please submit mode of treatment of waste water/ effluent (for industries):

If, (a) applies, please mention whether obtained NOC from Uttar Pradesh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water:

(b) YES / NO (Please tick) If YES, attach copy of same.

Note: If applicant has not obtained NOC from Uttar Pradesh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water, application shall be liable for rejection.

9. Details of payment of application fee:

(a) Amount of Application Fee paid –

(i) Rs:

(ii) Voucher No:

(iii) date:

(b) Name of Treasury I Sub-Treasury I P.S.U. Bank where Application Fee has been paid-

(c) Name of Bank Branch (if payment has been made in a Bank)-

9. Any other information which the applicant would like to furnish :

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the particulars furnished herein above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application / registration is liable to be rejected / cancelled.

I agree

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification / scrutiny, the application is liable for rejection.
4. In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
5. Please write 'N.A.' against those items which are not applicable.
6. Please attach the following documents along with the application:
 - (a) Document showing proof of ownership of land;
 - (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card / any other proof of identification
 - (c) Map showing location of the existing well, the command area and the existing wells which have been referred to in item no. 2(a), (b) and (c).
7. The concerned Authority reserves the right to ask for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

I agree

Form 1 (C)

[See rule 6(3)]

(Domestic or Agricultural User of Ground Water)

Issued to: Shri / Smt

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BOOK NO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Application Form Sl. No

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF EXISTING WELL

(UIS 10(1) or 11(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.)

1. Particulars about the applicant:

(g) Name of the owner applicant (IN BLOCK LETTERS): (Please attach ID proof)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(h) Date of Birth:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(i) Son / Daughter / Wife / Husband of

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(d) Sex (Please tick): M / F;

(e) Nationality:

(f) Address of the applicant:

2. Location particulars of the existing well:

(a) District;

(b) Block:

(c) Plot No/ Khasra No. (Please attach Aadhaar Card/ Electricity Bill/ Any other document as address proof for ownership of land):

(a) Municipality/ Corporation, Ward No./, Holding No.

3. Particulars of the existing well:

(a) Date of construction / sinking of the well:

(b) Type of the well viz. Dug Well/Tube Well/Boring: Others (Please specify)

(c) Approx. depth of the well (m):

(d) In case of Tube Well:

(i) Approx. length (m) & diameter (mm) of the housing pipe (if any)

(ii) Approx. length (m) & diameter (mm) of the strainer

(iii) Material of the housing pipe & blank pipe: (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(iv) Material of the strainer: (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(e) In case of Dug Well:

(i) Diameter of the Dug Well (m):

(ii) Type of structure of the Dug Well (Please tick): Kuchcha / Pucca

(f) Whether there has been any adverse report regarding water quality of the well.

Y	N
---	---

If 'Yes', give particulars.

4. Particulars of existing pumping device:

- (a) Type of pump to be used (Please tick): (Centrifugal / Submersible / Turbine / Ejecto pump, etc.)
- (b) Length of column pipe (in case of submersible / turbine pump):
- (c) Pump Capacity (m³/hr.): _____ ;
- (d) H.P.:
- (e) Operational device (Please tick): Electric Motor / Diesel Engine.
- (f) Date of energization (in case of electricity driven pump): _____

5. Particulars of usefulness of well:

- (a) Purpose of the existing well: Irrigation / Domestic / Others (Please specify)
- (b) Cultural command area in ha (for irrigation well):
- (c) Owner's share of land within the command area indicate in 5. (b) above:
- (d) Out of the area indicated in 5 (b) above, area irrigated by the well in different crop seasons
- (i) Kharif- ha;
- (ii) Rabi- ha;
- (iii) Zayad- ha;
- (e) Total annual running hours (in case of irrigation well):
- (f) Daily running hours in case of domestic use:

6. Is plot size of residential premises is more than 300 square meters? (for domestic user only)

Y	N
---	---

7. Whether rain water harvesting structure has been constructed within the premises (for domestic user only)

Y	N
---	---

8. Any other information which the applicant would like to furnish :**DECLARATION BY THE APPLICANT**

I do hereby declare that the particulars furnished hereinabove are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application / registration is liable to be rejected / cancelled.

I agree

Note:

- Separate application form should be used for registration of each individual well.
- The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
- In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification/scrutiny, the application is liable for rejection.
- In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
- Please write 'N.A.' against those items which are not applicable.
- Please attach the following documents along with the application:
 - Document showing proof of ownership of land;
 - Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card / any other proof of identification
- The concerned Authority reserves the right to ask for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

I agree

Form 1 (D)

[See rule 6(4)]

(Future User of ground Water for Domestic or Agricultural Use)

Issued to: Shri / Smt.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BOOK NO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Application Form SI. No

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF WELL

(UIS 10(1) or 11(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.)

1. Particulars about the applicant:

(a) Name of the owner applicant (IN BLOCK LETTERS):(Please attach ID proof)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(b) Date of Birth:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(c) Son / Daughter / Wife / Husband of

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(d) Sex (Please tick): M / F;

(e) Nationality:

(f) Address of the applicant:

2. Location particulars of the proposed well:

(a) District;

(b) Block;

(c) Plot No/ Khasra No. (Please attach Aadhaar Card/ Electricity Bill/ Any other document as address proof for ownership of land):

(d) Municipality/ Corporation, Ward No./ Holding No.

3. Particulars of the proposed well:

(a) Proposed date of construction / sinking of the well:

(b) Type of the well viz. Dug Well/Tube Well/Boring: Others (Please specify)

(c) Approx. depth of the well (m) :

(d) In case of Tube Well:

(i) Approx. length (m) & diameter (mm) of the housing pipe (if any)

(ii) Approx. length (m) & diameter (mm) of the strainer

(iii) Material of the housing pipe & blank pipe: (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(iv) Material of the strainer: (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(e) In case of Dug Well:

(i) Diameter of the Dug Well (m):

(ii) Type of structure of the Dug Well (Please tick): Kuchcha / Pucca

(f) Whether there has been any adverse report regarding water quality of the well.

Y	N
---	---

If 'Yes', give particulars.

4. Particulars of proposed pumping device:

- (a) Type of pump to be used (Please tick): (Centrifugal / Submersible / Turbine / Ejecto pump, etc.)
- (b) Length of column pipe (in case of submersible / turbine pump):
- (c) Pump Capacity (m³ / hr.):
- (d) H.P.:
- (e) Operational device (Please tick): Electric Motor / Diesel Engine.
- (f) Date of energization (in case of electricity driven pump):

5. Particulars of usefulness of proposed well:

- (a) Purpose of the existing well: Irrigation / Domestic / Others (Please specify)
- (b) Cultural command area in ha (for irrigation well):
- (c) Owner's share of land within the command area indicate in 5. (b) above:
- (d) Out of the area indicated in 5 (b) above, area irrigated by the well in different crop seasons
- (i) Kharif- ha;
- (ii) Rabi- ha;
- (iii) Zayad- ha;
- (e) Total annual running hours (in case of irrigation well):
- (f) Daily running hours in case of domestic use:

6. Is plot size of residential premises is more than 300 square meters? (for domestic user only)

Y	N
---	---

7. Whether rain water harvesting structure has been constructed within the premises (for domestic user only)

Y	N
---	---

8. Any other information which the applicant would like to furnish :**DECLARATION BY THE APPLICANT**

I do hereby declare that the particulars furnished hereinabove are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application / registration is liable to be rejected / cancelled.

I agree

Note:

- Separate application form should be used for registration of each individual well.
- The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
- In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification / scrutiny, the application is liable for rejection.
- In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
- Please write 'N.A.' against those items which are not applicable.
- Please attach the following documents along with the application:
 - Document showing proof of ownership of land;
 - Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card / any other proof of identification
- The concerned Authority reserves the right to ask for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

I agree

- (f) Whether there has been any adverse report regarding water quality of the well.

Y	N
---	---

If 'Yes', give particulars.

5. Particulars of existing pumping device:

- (a) Type of pump to be used (Please tick): (Centrifugal / Submersible / Turbine / Ejecto pump, etc.)
- (b) Length of column pipe (in case of submersible / turbine pump):
- (c) Pump Capacity (m³ / hr.):
- (d) H.P.:
- (e) Operational device (Please tick): Electric Motor / Diesel Engine.
- (f) Date of energization (in case of electricity driven pump):

6. Particulars of usefulness of well:

- (a) Purpose of the proposed well (Industrial / Commercial / Infrastructural / Bulk use / Others (Please tick))
- (b) Annual running hours
- (c) Daily running hours
- (d) Whether the area receives supply through piped water supply: YES / NO (Please tick one)

7. Details of modification or alteration in registered well:

8. Reason of modification or alteration in registered well:

9. Whether rain water harvesting structure has been constructed within the premises

YES / NO (Please tick)

10.(a) Please submit mode of treatment of waste water/ effluent (for industries):

If, (a) applies, please mention whether obtained NOC from Uttar Pradesh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water:

(b) YES / NO (Please tick)

If YES, attach copy of same.

Note: If applicant has not obtained NOC from Uttar Pradesh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water, application shall be liable for rejection.

11. Details of payment of application fee:

(a) Amount of Application Fee paid –

(i) Rs:

(ii) Voucher No:

(iii) date:

(b) Name of Treasury / Sub-Treasury / P.S.U. Bank where Application Fee has been paid-

(c) Name of Bank Branch (if payment has been made in a Bank)-

12. Any other information which the applicant would like to furnish :

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the particulars furnished herein above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application / registration is liable to be rejected / cancelled.

I agree

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification / scrutiny, the application is liable for rejection.
4. In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
5. Please write 'N.A.' against those items which are not applicable.
6. Please attach the following documents along with the application:
 - (a) Document showing proof of ownership of land;
 - (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card / any other proof of identification
 - (c) Map showing location of the existing well, the command area and the existing wells which have been referred to in item no. 2(a), (b) and (c).
7. The concerned Authority reserves the right to ask for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

I agree

Form 2 (B)

[See rule 7(2)]

(Modification or alteration in registered well of Commercial or Industrial or Infrastructural or Bulk user in non-notified area)

Issued to: Shri / Smt.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BOOK NO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Application Form SI. No

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORM OF APPLICATION FOR**MODIFICATION OR ALTERATION IN REGISTERED WELL**

(UIS 10(1) or 11(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.)

1. Particulars about the applicant:

(d) Name of the owner applicant (IN BLOCK LETTERS):(Please attach ID proof)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(e) Date of Birth:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(f) Son / Daughter / Wife / Husband of

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(d) Sex (Please tick): M / F;

(e) Nationality:

(f) Address of the applicant:

2. Details of Registration of existing well

(a) Registration number:

(b) Date of Registration:

3. Location particulars of the existing registered well:

(a) District;

(b) Block:

(c) Plot No/ Khasra No. (Please attach Aadhaar Card/ Electricity Bill/ Any other document as address proof for ownership of land):

(d) Municipality/ Corporation. Ward No. /, Holding No.

4. Particulars of the existing registered well:

(a) Date of construction / sinking of the well:

(b) Type of the well viz. Dug Well/Tube Well/Boring: Others (Please specify)

(c) Approx. depth of the well (m):

(d) In case of Tube Well :

(i) Approx. length (m) & diameter (mm) of the housing pipe (if any)

(ii) Approx. length (m) & diameter (mm) of the strainer

(iii) Material of the housing pipe & blank pipe : (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(iv) Material of the strainer: (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(e) In case of Dug Well:

(i) Diameter of the Dug Well (m):

(ii) Type of structure of the Dug Well (Please tick): Kuchcha / Pucca

(f) Whether there has been any adverse report regarding water quality of the well.

Y	N
---	---

If 'Yes', give particulars.

5. Particulars of existing pumping device:

(a) Type of pump to be used (Please tick): (Centrifugal / Submersible / Turbine / Ejecto pump, etc.)

(b) Length of column pipe (in case of submersible / turbine pump):

(c) Pump Capacity (m³ / hr.):

(d) H.P.:

(e) Operational device (Please tick): Electric Motor / Diesel Engine.

(f) Date of energization (in case of electricity driven pump):

6. Particulars of usefulness of well:

(a) Purpose of the proposed well

(Industrial / Commercial / Infrastructural / Bulk use / Others (Please tick))

(b) Annual running hours

(c) Daily running hours

(d) Whether the area receives supply through piped water supply: YES / NO (Please tick one)

7. Details of modification or alteration in registered well:

8. Reason of modification or alteration in registered well:

9. Whether rain water harvesting structure has been constructed within the premises

YES / NO (Please tick)

10.(a) Please submit mode of treatment of waste water/ effluent (for industries):

If, (a) applies, please mention whether obtained NOC from Uttar Pradesh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water:

(b) YES / NO (Please tick)

If YES, attach copy of same.

Note: If applicant has not obtained NOC from Uttar Pradesh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water, application shall be liable for rejection.

11. Details of payment of application fee:

(a) Amount of Application Fee paid –

(i) Rs:

(ii) Voucher No:

(iii) date:

(b) Name of Treasury / Sub-Treasury / P.S.U. Bank where Application Fee has been paid-

(c) Name of Bank Branch (if payment has been made in a Bank)-

12. Any other information which the applicant would like to furnish :

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the particulars furnished herein above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application / registration is liable to be rejected / cancelled.

I agree

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification /scrutiny, the application is liable for rejection.
4. In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
5. Please write 'N.A.' against those items which are not applicable.
6. Please attach the following documents along with the application :
 - (a) Document showing proof of ownership of land ;
 - (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card / any other proof of identification
 - (c) Map showing location of the existing well, the command area and the existing wells which have been referred to in item no. 2(a), (b) and (c).
7. The concerned Authority reserves the right to ask for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

I agree

Form 3 (A)**(Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user)**

[See Rule 8(1)]

**(EMBLEM OR HOLOGRAM OF THE
DISTRICT GROUND WATER MANAGEMENT COUNCIL)
CERTIFICATE OF REGISTRATION OF EXISTING/NEW WELL**

{U/S10(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}

REGISTRATION NO...

1. (a) Name of the owner applicant : Shri/Smt.
- (b) Son / Daughter of:
- (c) Address of the applicant:
- (d) Application Form Serial No. and date of submission:
- (e) Specimen signature:
2. Location particulars:
 - (a) District:
 - (b) Block:
 - (c) . Plot No. :
 - (d) Municipality / Corporation, Ward No./:
3. Particular of the existing well and pumping device:
 - (a) Date of construction / sinking of the well
 - (b) Type of the well:
 - (c) Depth of the well (m):
 - (d) Purpose of the well:
 - (e) Assembly size (for tube well) :
 - (f) Strainer position (for tube well)
 - (g) Diameter (for dug well):
 - (h) Type of pump used
 - (i) H.P. of the pump:
 - (j) Operational device
 - (k) Rate of withdrawal (m³/ hr.):
 - (l) Date of energization (in case of electric pump):

This certificate of registration is issued on the basis of the information furnished by th applicant subject to the conditions stated overleaf.

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature of the issuing authority
and Designation

CONDITIONS

- (1) For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix water meters, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well as shown in item 3(k) shall not exceed to the recorded rate from water meters.
- (2) The District Ground Water Management Council reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands.
- (3) In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.
- (4) No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well as indicated at Sl. (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the District Ground Water Management Council. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this registration.
- (5) In case, any of the particulars / information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this registration is liable for cancellation.
- (6) Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level recorders shall be made available to this office on monthly basis.
- (7) **Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring**
Piezometer is a borewell / tubewell used only for measuring the water level by lowering the tape/ sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing whenever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows:
 - The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".
 - The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometers are installed the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
 - The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter upto two decimal.
 - For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic water level recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.
 - The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
 - All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone taped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Hydrograph Monitoring System for Ground Water Department, Uttar Pradesh, and for its validation.
 - The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 lt capacity bottle) to the concerned Director, Ground Water Department, Uttar Pradesh, for chemical analysis.
 - A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.
 - Any other site specific requirement regarding safety and access for measurement may be taken care off.
- (8) Any other condition(s) that may be imposed by the District Ground Water Management Council.

OFFICE SEAL

Form 3 (B)

(Commercial or Industrial or Infrastructural or Bulk user having N.O.C. issued by Central Ground Water Authority or by Ground Water Department)

[See Rule 8(2)]

(EMBLEM OR HOLOGRAM OF THE
DISTRICT GROUND WATER MANAGEMENT COUNCIL)

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF EXISTING/NEW WELL

{UIS10(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}

REGISTRATION NO...

1. (a) Name of the owner applicant : Shri/Smt.
- (b) Son / Daughter of:
- (c) Address of the applicant
- (e) Application Form Serial No. and date of submission:
- (f) Specimen signature:
2. Location particulars:
 - (a) District:
 - (b) Block:
 - (c) Plot No. :
 - (d) Municipality / Corporation, Ward No.:
3. Particular of the existing well and pumping device:
 - (a) Date of construction / sinking of the well
 - (b) Type of the well:
 - (c) Depth of the well (m):
 - (d) Purpose of the well:
 - (e) Assembly size (for tube well) :
 - (f) Strainer position (for tube well)
 - (g) Diameter (for dug well):
 - (h) Type of pump used
 - (i) H.P. of the pump:
 - (j) Operational device
 - (k) Rate of withdrawal (m³/ hr.):
 - (l) Date of energization (in case of electric pump):

This certificate of registration is issued on the basis of the information furnished by the applicant subject to the conditions stated overleaf.

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature of the issuing authority
and Designation

CONDITIONS

- (1) For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix water meters, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well as shown in item 3(k) shall not exceed to the recorded rate from water meters.
- (2) The District Ground Water Management Council reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands.
- (3) In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.
- (4) No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well as indicated at SI. (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the District Ground Water Management Council. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this registration.
- (5) In case, any of the particulars / information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this registration is liable for cancellation.
- (6) Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level recorders shall be made available to this office on monthly basis.
- (7) **Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring**

Piezometer is a borewell / tubewell used only for measuring the water level by lowering the tape/sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing whenever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows:

- The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".
 - The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometers are installed the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
 - The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter upto two decimal.
 - For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic water level recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.
 - The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
 - All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone taped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Hydrograph Monitoring System for Ground Water Department, Uttar Pradesh, and for its validation.
 - The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 lt capacity bottle) to the concerned Director, Ground Water Department, Uttar Pradesh, for chemical analysis.
 - A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.
 - Any other site specific requirement regarding safety and access for measurement may be taken care off.
- (8) Any other condition(s) that may be imposed by the District Ground Water Management Council.

OFFICE SEAL

Form 3 (C)

(Domestic and Agricultural user)

[See Rule 8(3), Rule 8(4)]

(EMBLEM OR HOLOGRAM OF THE

(MUNICIPAL WATER MANAGEMENT COMMITTEE / BLOCK PANCHAYAT GROUND WATER MANAGEMENT COMMITTEE)

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF EXISTING/NEW WELL

{UIS10(2) / 11(2) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}

REGISTRATION NO...

1. (a) Name of the owner applicant : Shri/Smt.
- (b) Son / Daughter of:
- (c) Address of the applicant:
- (d) Application Form Serial No. and date of submission:
- (e) Specimen signature:
2. Location particulars:
 - (a) District:
 - (b) Block:
 - (c) Plot No. :
 - (d) Municipality / Corporation, Ward No./:
3. Particular of the existing well and pumping device:
 - (a) Date of construction / sinking of the well
 - (b) Type of the well:
 - (c) Depth of the well (m):
 - (d) Purpose of the well:
 - (e) Assembly size (for tube well) :
 - (f) Strainer position (for tube well)
 - (g) Diameter (for dug well):
 - (h) Type of pump used
 - (i) H.P. of the pump.
 - (j) Operational device
 - (k) Rate of withdrawal (m³/ hr.):
 - (l) Date of energization (in case of electric pump):

This certificate of registration is issued on the basis of the information furnished by the applicant subject to the conditions stated overleaf.

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature of the issuing authority
and Designation

CONDITIONS

- (1) The District Ground Water Management Council reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands.
- (2) In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.
- (3) No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well as indicated at SI. (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Appropriate Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this registration.
- (4) In case, any of the particulars / information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this registration is liable for cancellation.
- (5) Any other condition(s) that may be imposed by the Appropriate Authority.

OFFICE SEAL

Form 4 (A)

[See Rule 8(2)]

(EMBLEM OR HOLOGRAM OF THE

DISTRICT GROUND WATER MANAGEMENT COUNCIL)

LETTER OF REJECTION OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF WELL

{U/S10(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}

No. _____ Dated _____

To,

Shri / Smt.

Sub: Rejection of your application for grant of registration of well.

Ref: Your Application No. _____ submitted on _____

Sir / Madam,

This is to inform you regretfully that your Application No.dated.....
submitted for grant of registration of well has been rejected because of the following reason(s):

- (1) Incomplete application
- (2) Non-submission of requisite documents
- (3) Shortfall in payment of requisite Application Fee
- (4) Incorrect Head of A/C for deposition of Application Fee
- (5) Others:

Yours faithfully,

Signature of the issuing authority

- (f) Whether there has been any adverse report regarding water quality:
of the well.

Y	N
---	---

If 'Yes', give particulars.

4. Particulars of proposed pumping device:

- (a) Type of pump to be used (Please tick): (Centrifugal / Submersible / Turbine / Ejecto pump, etc.)
- (b) Length of column pipe (in case of submersible / turbine pump):
- (c) Pump Capacity (m^3 / hr.): ;
- (d) H.P.:
- (e) Operational device (Please tick): Electric Motor / Diesel Engine.
- (f) Date of energization (in case of electricity driven pump):

5. Particulars of usefulness of well:

- (a) Purpose of the proposed well (Industrial/Commercial /Infrastructural/Bulk use /Others (Please tick)
- (b) Annual running hours
- (c) Daily running hours:
- (d) Whether the area receives supply through piped water supply: YES / NO (Please tick one)

6. (a) Please submit mode of treatment of waste water/ effluent (for industries):

If, (a) applies, please mention whether obtained NOC from Uttar Pradesh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water:

- (b) YES / NO (Please tick)

If YES, attach copy of same.

Note: If applicant has not obtained NOC from Uttar Pradesh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water, application shall be liable for rejection.

7. Whether rain water harvesting structure has been constructed within the premises

YES / NO (Please tick)

8. Details of payment of application fee:

- (a) Amount of Application Fee paid –

(i) Rs:

(ii) Voucher No:

(iii) Date:

- (b) Name of Treasury / Sub-Treasury / P.S.U. Bank where Application Fee has been paid-

(c) Name of Bank Branch (if payment has been made in a Bank)-

9. Any other information which the applicant would like to furnish :

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the particulars furnished herein above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application / registration is liable to be rejected / cancelled.

I agree

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification / scrutiny, the application is liable for rejection.
4. In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the AUTHORIZATION/ NO OBJECTION CERTIFICATE FOR SINKING OF NEW WELL, same shall be liable for cancellation.
5. Please write 'N.A.' against those items which are not applicable.
6. Please attach the following documents along with the application :
 - (a) Document showing proof of ownership of land ;
 - (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card / any other proof of identification
 - (c) Map showing location of the proposed well, which have been referred to in item no. 2(a), (b) and (c).
7. The District Ground Water Management Council reserves the right to ask for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

I agree

- (f) Whether there has been any adverse report regarding water quality of the well.

Y	N
---	---

If 'Yes', give particulars.

4. Particulars of proposed pumping device:

- (a) Type of pump to be used (Please tick): (Centrifugal / Submersible / Turbine / Ejecto pump, etc.)
- (b) Length of column pipe (in case of submersible / turbine pump):
- (c) Pump Capacity (m^3 / hr.): ;
- (d) H.P.:
- (e) Operational device (Please tick): Electric Motor / Diesel Engine.
- (f) Date of energization (in case of electricity driven pump):

5. Particulars of usefulness of well:

- (a) Purpose of the proposed well (Industrial / Commercial / Infrastructural / Bulk use / Others (Please tick)
- (b) Annual running hours
- (c) Daily running hours:
- (d) Whether the area receives supply through piped water supply: YES / NO (Please tick one)

6. (a) Please submit mode of treatment of waste water/effluent (for industries):

If, (a) applies, please mention whether obtained NOC from Uttar Pradesh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water:

- (b) YES / NO (Please tick)

If YES, attach copy of same.

Note: If applicant has not obtained NOC from Uttar Pradesh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water, application shall be liable for rejection.

7. Whether rain water harvesting structure has been constructed within the premises

YES / NO (Please tick)

8. Details of payment of application fee:

- (a) Amount of Application Fee paid –

(i) Rs:

(ii) Voucher No:

(iii) date:

- (b) Name of Treasury / Sub-Treasury / P.S.U. Bank where Application Fee has been paid-

(c) Name of Bank Branch (if payment has been made in a Bank)-

9. Any other information which the applicant would like to furnish :

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the particulars furnished herein above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application / registration is liable to be rejected / cancelled.

I agree

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification/scrutiny, the application is liable for rejection.
4. In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the AUTHORIZATION/ NO OBJECTION CERTIFICATE FOR SINKING OF NEW WELL, same shall be liable for cancellation.
5. Please write 'N.A.' against those items which are not applicable.
6. Please attach the following documents along with the application :
 - (a) Document showing proof of ownership of land ;
 - (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID /ration card /any other proof of identification
 - (c) Map showing location of the proposed well, which have been referred to in item no. 2(a), (b) and (c).
7. The District Ground Water Management Council reserves the right to ask for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

I agree

Form 8 (C)

[See rules 15(1)]

(EMBLEM OR HOLOGRAM OF THE DISTRICT GROUND WATER MANAGEMENT COUNCIL)

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE FOR SINKING OF NEW WELL FOR
INDUSTRIAL/ COMMERCIAL/ INFRASTRUCTURAL OR BULK USER OF GROUND WATER

[Under Section 14 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE NO.

VALID UP TO:.....

1. (a) Name of the applicant (user): Shri/Smt. Son / Daughter of:
- (b) Address of the applicant:
- (c) Category of farmer (Please tick): Small Farmer / Marginal Farmer/ Others
- (d) Serial No. of application Form and date of submission:
- (e) Specimen signature of the user:

2. Location particulars:

- (a) District
- (b) Block, , Plot No.:
- (c) Municipality/ Corporation

Ward No. / Holding No.:

3. Particulars of the proposed well and pumping device:

- (a) Type of the well:
- (b) Approx. depth of the well (m):
- (c) Purpose of the well:
- (d) Assembly size (for tube well): mm. x mm.
- (e) Approx. strainer length (for tube well): m.
- (f) Diameter (for dug well): m.
- (g) Type of pump to be used:
- (h) H.P. of the pump:
- (i) Operational device:
- (j) Maximum allowable rate of withdrawal (m^3 / hr.):
- (k) Maximum allowable running hours per day:
- (l) Maximum allowable annual extraction of ground water:

This No-Objection certificate authorizes the owner applicant (user) to sink a well in the location specified at Sl. (2) for extraction of ground water at a rate not exceeding that as shown at Sl. (3j), for running hours / day as shown at Sl. (3k), and for maximum allowable annual extraction of ground water as shown at Sl. (3l) and is valid subject to the observance of the conditions stated overleaf.

Place:

Yours faithfully,
Signature of the issuing authority
and Designation

OFFICE SEAL

CONDITIONS:

- (1) In case of any change of ownership of the proposed well, fresh authorization has to be obtained.
- (2) No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the proposed well as indicated at SL (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this authorization.
- (3) For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix water meters, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well as shown in item 3(k) shall not exceed to the recorded rate from water meters.
- (4) The concerned Authority reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands.
- (5) In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.
- (6) No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well as indicated at Sl. (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this registration.
- (7) In case, any of the particulars / information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this registration is liable for cancellation.
- (8) The Certificate of Authorization/ NOC shall be valid for a period of five years from the date of issue.
- (9) Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level recorders shall be made available to this office on monthly basis.
- (10) **Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring**

Piezometer is a borewell /tubewell used only for measuring the water level by lowering the tape/sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing whenever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows for compliance of NOC:

- The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".
- The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometers are installed the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
- The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter upto two decimal.
- For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic water level recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.
- The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.

- All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone taped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Hydrograph Monitoring System for Ground Water Department, Uttar Pradesh, and for its validation.
 - The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 lt capacity bottle) to the concerned Director, Ground Water Department, Uttar Pradesh, for chemical analysis.
 - A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.
 - Any other site specific requirement regarding safety and access for measurement may be taken care off.
- (11) Any other condition(s) that may be imposed by the concerned Authority.
- (12) In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this permit is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this permit is liable for cancellation.
- (13) Any other condition imposed by the concerned Authority.

OFFICE SEAL

Form 8 (E)

[See rules 15(2)]

(EMBLEM OR HOLOGRAM OF THE DISTRICT GROUND WATER MANAGEMENT COUNCIL)

RENEWAL OF AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE FOR SINKING OF NEW WELL FOR INDUSTRIAL/ COMMERCIAL/ INFRASTRUCTURAL OR BULK USER OF GROUND WATER AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE NO:

VALID UP TO:.....

1. (a) Name of the applicant (user): Shri/Smt. Son / Daughter of:
 (b) Address of the applicant:
 (c) Category of farmer (Please tick): Small Farmer / Marginal Farmer/ Others
 (d) Serial No. of application Form and date of submission:
 (e) Specimen signature of the user :
2. Please submit details of N.O.C. issued by Central Ground Water Authority or by Ground Water Department:
 N.O.C. issued by (Please tick one)
 Central Ground Water Authority
 by Ground Water Department
 Date of issue of N.O.C.
 Date of expiry of N.O.C.
2. Location particulars:
 (a) District
 (b) Block, , J.L. No., Plot No. :
 (c) Municipality / Corporation
 Ward No. / Holding No.:
3. Particulars of the well and pumping device:
 (a) Type of the well:
 (b) Approx. depth of the well (m):
 (c) Purpose of the well:
 (d) Assembly size (for tube well): mm. X mm.
 (e) Approx. strainer length (for tube well): m.
 (f) Diameter (for dug well): m.
 (g) Type of pump to be used:
 (h) H.P. of the pump:
 (i) Operational device:
 (j) Maximum allowable rate of withdrawal ($m^3/hr.$):
 (k) Maximum allowable running hours per day:
 (l) Maximum allowable annual extraction of ground water:

This No-Objection certificate authorizes the owner applicant (user) to sink a well in the location specified at Sl. (3) for extraction of ground water at a rate not exceeding that as shown at Sl. (3j), for running hours/day as shown at Sl. (3k), and for maximum allowable annual extraction of ground water as shown at Sl. (3k) and is valid subject to the observance of the conditions stated overleaf.

Place:

Date:

Yours faithfully,
 Signature of the issuing authority
 and Designation

OFFICE SEAL

CONDITIONS:

- (1) In case of any change of ownership of the proposed well, fresh authorization has to be obtained.
- (2) No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the proposed well as indicated at SL (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this authorization.
- (3) For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix water meters, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well as shown in item 3(k) shall not exceed to the recorded rate from water meters.
- (4) The concerned Authority reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands.
- (5) In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.
- (6) No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well as indicated at Sl. (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this registration.
- (7) In case, any of the particulars/information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this registration is liable for cancellation.
- (8) Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level recorders shall be made available to this office on monthly basis.
- (9) **Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring**

Piezometer is a borewell /tubewell used only for measuring the water level by lowering the tape/sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing whenever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows for compliance of NOC:

- The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".
- The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometers are installed the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
- The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter upto two decimal.
- For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic Water Level Recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.
- The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
- All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone taped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Hydrograph Monitoring System for Ground Water Department, Uttar Pradesh, and for its validation.

- The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 Lt capacity bottle) to the concerned Director, Ground Water Department, Uttar Pradesh, for chemical analysis.
 - A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.
 - Any other site specific requirement regarding safety and access for measurement may be taken care off.
- (10) Any other condition(s) that may be imposed by the concerned Authority.
- (11) In case, any of the particulars/information furnished by the applicant in his application for issuance of this permit is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this permit is liable for cancellation.
- (12) Any other condition imposed by the concerned Authority.

OFFICE SEAL

Form 8 (D)

[See Rule 15(1)]

(EMBLEM OR HOLOGRAM OF THE
DISTRICT GROUND WATER MANAGEMENT COUNCIL)

**LETTER OF REJECTION OF APPLICATION FOR GRANT OF AUTHORIZATION/
NO OBJECTION FOR SINKING OF WELL**

{U/S 14 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}

No.

Dated

To

Shri / Smt.

Sub: Rejection of your application for grant of authorization of well.

Ref: Your Application No submitted on

Sir / Madam,

This is to inform you regretfully that your Application No dated
submitted for grant of authorization of well has been rejected because of the following reason(s):

- (1) Incomplete application
- (2) Non-submission of requisite documents
- (3) Shortfall in payment of requisite Application Fee
- (4) Incorrect Head of A/C for deposition of Application Fee
- (5) Others:

Yours faithfully,

Signature of the issuing authority

Form 5 (A)

[See rule 11(1)]

(Registration of New Drilling Agencies)

Issued to: Shri/Smt/M/s.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BOOK NO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Application Form Sl. No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF NEW DRILLING AGENCIES

(Under Section 16 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.)

1. Particulars about the applicant/ firm:

(a) Name of the owner applicant (IN BLOCK LETTERS): (Please attach ID proof)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(b) Date of Birth:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(c) Son / Daughter / Wife / Husband of

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(d) Sex (Please tick): M / F;

(e) PAN no. of Firm:

(f) GST No. of Firm

(e) Nationality:

(f) Address of the applicant:

2. District in which firm desires to do drilling work:**Note:** For more than one district, firm have to applied separately to concerning District Ground Water council**3. Give details of drilling machine/ machines:****4. Purpose of drilling:** (Please tick):

(a) Government Work: YES / NO

(b) Private Work: YES/ NO

(c) Both: YES/ NO

5. Details of payment of application fee:

(a) Amount of Application Fee paid –

(i) Rs.

(ii) Voucher No:

(iii) Date:

- (b) Name of Treasury / Sub-Treasury / P.S.U. Bank where Application Fee has been paid-
- (c) Name of Bank Branch (if payment has been made in a Bank)-

6. Any other information which the applicant would like to furnish :

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the particulars furnished herein above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application / registration is liable to be rejected / cancelled.

I agree

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification/scrutiny, the application is liable for rejection.
4. In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
5. Please write 'N.A.' against those items which are not applicable.
6. Please attach the following documents along with the application :
 - (a) Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card, as proof of identification.
 - (b) Photocopy of PAN card.
 - (c) Photocopy of GST number.
7. The concerned Authority reserves the right to ask for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

I agree

(b) Name of Treasury /Sub-Treasury/P.S.U. Bank where Application Fee has been paid-

(c) Name of Bank Branch (if payment has been made in a Bank)-

6. Any other information which the applicant would like to furnish :

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the particulars furnished herein above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application /registration is liable to be rejected / cancelled.

I agree

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification/scrutiny, the application is liable for rejection.
4. In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
5. Please write 'N.A.' against those items which are not applicable.
6. Please attach the following documents along with the application:
 - (a) Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card, as proof of identification.
 - (b) Photocopy of PAN card.
 - (c) Photocopy of GST number.
7. The concerned Authority reserves the right to ask for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

I agree

Form 6 (A)

[See Rule 11(3)]

(EMBLEM OR HOLOGRAM OF THE

DISTRICT GROUND WATER MANAGEMENT COUNCIL)

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF NEW DRILLING AGENCY

{U/S 16 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}

REGISTRATION NO...

1. (a) Name of Firm:
- (b) Name of the owner applicant: Shri/Smt.
- (c) Son / Daughter of:
- (d) Address of the applicant:
- (e) Application Form Serial No. and date of submission:

2. Name of district in which agency is registered for drilling:

This certificate of registration is issued on the basis of the information furnished by the applicant subject to the conditions stated overleaf.

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature of the issuing authority

and Designation

CONDITIONS

- (1) Drilling Agency shall not do any drilling work in notified areas. List of notified areas can be downloaded from web portal www.upgwdonline.in.
- (2) Drilling Agency shall not do any drilling work in areas identified as ground water quality sensitive zones. List of ground water quality sensitive zones can be downloaded from web portal www.upgwdonline.in.
- (3) For more than one district, firm have to applied separately to concerning District Ground Water Council.
- (4) Any other condition(s) that may be imposed by the District Ground Water Management Council.

OFFICE SEAL

Form 6 (B)

[See Rule 11(4)]

(EMBLEM OR HOLOGRAM OF THE
DISTRICT GROUND WATER MANAGEMENT COUNCIL)
CERTIFICATE OF REGISTRATION OF EXISTING DRILLING AGENCY

{U/S 16 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}

REGISTRATION NO...

1. (a) Name of Firm:
(b) Name of the owner applicant: Shri/Smt.
(c) Son / Daughter of:
(d) Address of the applicant:
(e) Application Form Serial No. and date of submission:
2. Name of district in which agency is registered for drilling:

This certificate of registration is issued on the basis of the information furnished by the applicant subject to the conditions stated overleaf.

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature of the issuing authority
and Designation

CONDITIONS

- (1) Drilling Agency shall not do any drilling work in notified areas. List of notified areas can be downloaded from web portal www.upgwdonline.in.
- (2) Drilling Agency shall not do any drilling work in areas identified as ground water quality sensitive zones. List of ground water quality sensitive zones can be downloaded from web portal www.upgwdonline.in.
- (3) For more than one district, firm have to applied separately to concerning District Ground Water council.
- (4) Any other condition(s) that may be imposed by the District Ground Water Management Council.

OFFICE SEAL

Form 7 (A)

[See Rule 11(3)]

(EMBLEM OR HOLOGRAM OF THE

DISTRICT GROUND WATER MANAGEMENT COUNCIL)

LETTER OF REJECTION OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF DRILLING AGENCY*{U/S 16 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}*

No.

Dated

To

Shri / Smt./ M/s.

Sub: Rejection of your application for grant of registration of drilling.

Ref: Your Application No.

submitted on

Sir / Madam,

This is to inform you regretfully that your Application Nodated..... submitted for grant of registration of drilling agency has been rejected because of the following reason(s):

- (1) Incomplete application
- (2) Non-submission of requisite documents
- (3) Shortfall in payment of requisite Application Fee
- (4) Incorrect Head of A/C for deposition of Application Fee
- (5) Others:

Yours faithfully,

Signature of the issuing authority

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 718 राजपत्र-(हिन्दी)-2020-(1719)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 2 सा0 नमामी गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति-2020-(1720)-1000 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

क्रम-संख्या—19



रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 21 जनवरी, 2020
माघ 1, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3
संख्या 58/76-3-2020/10जीडब्लू/2014
लखनऊ, 21 जनवरी, 2020
अधिसूचना

प० आ०-19

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण को उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों से समाविष्ट राज्य के प्रत्येक जिला हेतु जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् का गठन करने के लिये निदेश देती हैं।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 58/76-3-2020/10gw/2014, Lucknow dated January 21, 2020 :

No. 58/76-3-2020/10gw/2014

Dated Lucknow, January 21, 2020

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 6 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019), the Governor is pleased to direct the State Ground Water Management and Regulatory Authority to constitute the District Ground Water Management Council for each district of the State consisting of the Chairperson and members in accordance with the provisions of the said section.

By order,
ANURAG SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-575-राजपत्र (हि०)-(1399)-2020-599 प्रतियां--(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-4 सा० भूगर्भ जल-(1400)-1000 प्रतियां--(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2417

राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण,

(अधिसूचना संख्या 1320/62-1-2019-10 जी0डब्लू0/2014, दिनांक 13 नवम्बर, 2019 के द्वारा गठित)

संख्या /यूपीराभूजप्रविप्रा
लखनऊ: दिनांक : 05 जून, 2020

-: कार्यालय ज्ञाप :-

अधिसूचना संख्या 58/76-3-2020/10जीडब्लू/2014, दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 06 में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में एतद्द्वारा "जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्" का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1.	जिला मजिस्ट्रेट।	अध्यक्ष
2.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य में भूगर्भ जल प्रबन्धन के क्षेत्र में दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले एक विषय विशेषज्ञ।	सदस्य
3.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट भूगर्भ जल के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का एक व्यक्ति।	सदस्य
4.	सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।	सदस्य
5.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।	सदस्य
6.	जिला कृषि अधिकारी।	सदस्य
7.	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग।	सदस्य
8.	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम।	सदस्य
9.	नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत (यथास्थिति)।	सदस्य
10.	मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण।	सदस्य
11.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवम् जल संसाधन विभाग।	सदस्य
12.	उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र।	सदस्य
13.	प्रभागीय वनाधिकारी।	सदस्य
14.	जिला उद्यान अधिकारी।	सदस्य
15.	जिला विकास अधिकारी।	सदस्य/सचिव

उक्त सदस्यों के अतिरिक्त नगर पालिका, भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति तथा खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति से एक-एक सदस्य परिषद् के आमंत्रित सदस्य के रूप में भी सम्मिलित किए जाएंगे। "जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्" के क्रम संख्या 02, एवम् 03 पर नामित सदस्यों की सेवा एवम् शर्तें, इत्यादि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली, 2020 के अध्याय-2 के अनुसार होगी।


(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव/अध्यक्ष

पत्रांक: 01 / यूपीराभूजप्रविप्रा / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (सदस्य प्राधिकरण)।
2. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (सदस्य प्राधिकरण)।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, 9वाँ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,


(वी०के० उपाध्याय)


निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव

पत्रांक: / यूपीराभूजप्रविप्रा / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ प्रत्येक जनपद के सक्षम अधिकारी को जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् के सदस्य के रूप में पदेन नामित करें।

1. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,


(वी०के० उपाध्याय)

निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 2 मार्च, 2021

फाल्गुन 11, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3

संख्या 331/76-3-2021-44एनजी-2020

लखनऊ, 2 मार्च, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०-10

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 51 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण की संस्तुति पर, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नये पैकेज वाले जल उद्योगों को छोड़कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम०एस०एम०ई०) की श्रेणी में आने वाले नये उद्योगों को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 12 के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 2 मार्च, 2021

फाल्गुन 11, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3

संख्या 330/76-3-2021-44एनजी-2020

लखनऊ, 2 मार्च, 2021

अधिसूचना

सा०पा०नि०-9

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 51 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण की संस्तुति पर, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों जिनका भू-गर्भ जल आहरण 10 घन मीटर प्रतिदिन से कम हो, को भू-गर्भ जल निष्कर्षण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपबन्ध से छूट प्रदान करती हैं। तथापि ऐसे उद्यम पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 तथा 11 के अधीन यथाविहित रीति से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।